



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 9, 1968 (कार्तिक 18, 1890)

No. 45]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 9, 1968 (KARTIKA 18, 1890)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-11, दिनांक 24 अक्टूबर 1968

सं० एफ० 2/20/68-स्था० (क) (I)—संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी ग्रेड II स्टेनोग्राफर श्री मदेश चन्द्र माणो को, राष्ट्रपति द्वारा, अवकाश पर गए स्थायी ग्रेड I स्टेनोग्राफर श्री बूटासिंह जैन के स्थान पर 24-10-68 से 30-11-68 तक की अवधि के लिए उक्त सेवा संवर्ग के ग्रेड I में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

आर० के० जी० राव
अवर सचिव (प्रशासन-प्रभारी)
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-11, दिनांक 28 अक्टूबर 1968

सं० पी०/1528-स्था० (क) (I)—भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेख पेशा के अधिकारी, एवं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अवर सचिव श्री धरमवीर की सेवाएं, 24 अक्टूबर 1968 के अमराह से, भाग्य के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक को पुनः सौंपी जाती हैं।

आर० के० जी० राव
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-11, दिनांक 28 अक्टूबर 1968

सं० पी०/1594-स्था० (क) (I)—सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, श्री एच० जी० हनुमप्पा को, जो पहले वैकुण्ठाथ 316GI/68

मेहता राष्ट्रीय महकारी प्रबंध संस्थान में अनुसंधान सहायक थे, 26 मितम्बर, 1968, के पूर्वाह्न से अग्रेतर आदेश जारी होने तक, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में जूनियर अनुसंधान अधिकारी के अस्थायी पद पर नियुक्त किया जाता है।

आर० के० जी० राव, अवर सचिव
कृते सचिव, संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 1968

सं० पी० एफ०/एस०-73/65-एडी० 1—राष्ट्रपति, श्री श्रीकिशन लाल, पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कपट दस्ता-2 शाखा, नई दिल्ली को सितम्बर 21, 1968 (पूर्वाह्न) से अगला आदेश होने तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष अन्वेषण एकक (मुख्य कार्यालय), नई दिल्ली में बिल्कुल अस्थायी रूप से पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एफ० वी० अरुल, निदेशक
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 1968

सं० पी० एफ०/एच०-41/66-एडी०-1—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश राज्य के एक पुलिस अधिकारी श्री हरबंश मिह को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष एकक, नई दिल्ली में दिनांक 16-10-68 के दोपहर-पूर्व से अगला आदेश जारी होने तक

के लिये पुलिस अधीक्षक के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

(एफ० वी० अरुल) निदेशक
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिदेशक
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 1968

सं० एफ०-11/6(4)/68-एडी०-1—पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना श्री वी० आर० नवाथे, उप-निरीक्षक को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बम्बई शाखा में दिनांक 13-9-68 के दोपहर-पूर्व से अगला आदेश जारी होने तक के लिये निरीक्षक के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

ओम प्रकाश बंसल, प्रशासनिक अधिकारी
कृते पुलिस उप-महानिरीक्षक
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना

भारत के महापंजीकार तथा पवेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 24 अक्टूबर 1968

सं० 3/6/67-आर० जी०—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश राज्य असैनिक सेवा के अधिकारी श्री के० सी० दुबे को जनगणना अधीक्षक, मध्य प्रदेश के कार्यालय में उप जनगणना अधीक्षक के पद पर कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश होने तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

उनका मुख्यालय भोपाल में होगा।

दिनांक 25 अक्टूबर 1968

सं० 3/63/68-आर० जी०—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री सी० सी० डाक्टर को 14 अक्टूबर, 1968 के पूर्वाह्न से जनगणना अधीक्षक, गुजरात के पद पर, आगामी आदेश होने तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

उनका मुख्यालय अहमदाबाद होगा।

दिनांक 26 अक्टूबर 1968

सं० 3/62/68-आर० जी०—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री डी० एम० मिन्हा को 11 अक्टूबर, 1968 के पूर्वाह्न से जनगणना अधीक्षक, उत्तर प्रदेश के पद पर, आगामी आदेश होने तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

उनका मुख्यालय लखनऊ होगा।

ए० चन्द्रशेखर, भारत के महापंजीकार

श्रम, रोजगार एवं पुनर्वास मंत्रालय (श्रम एवं रोजगार विभाग) श्रम ब्यूरो

शिमला, दिनांक 2 नवम्बर 1968

सं० 23/25/68-सी० पी० आई०—सितम्बर 1968 का अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता कीमत सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100) 179 (एक सौ उन्नासी)।

के० के० भाटिया, निदेशक,
श्रम ब्यूरो

महानिदेशालय : आकाशवाणी

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्टूबर 1968

सं० 4(10) 67-एम० 1—महानिदेशक, आकाशवाणी एतद्वारा श्री एम० के० सूथर लैक्चरर इन एग्जिक्यूटिव, ग्राम सेवक ट्रेनिंग मेंटर जूनागढ़ को फार्म एण्ड होम यूनिट आकाशवाणी राजकोट पर दिनांक 31-8-68 से अस्थाई रूप में फार्म रेडियो आफिसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 28 अक्टूबर 1968

सं० 6(34) 62-एम० 1—महानिदेशक आकाशवाणी एतद्वारा श्री गजेन्द्र नायक, ट्रांस्मिशन एग्जिक्यूटिव आकाशवाणी कटक, को आकाशवाणी कटक में दिनांक 16-9-1968 से अगले आदेश तक तदर्थ रूप में प्रोग्राम एग्जिक्यूटिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० एन० मिसल, उप-निदेशक, प्रशासन
कृते महानिदेशक

रक्षा लेखा विभाग

रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 1968

सं० 23012(1)/68-ए० एन०/ए०—निम्नलिखित स्थाई लेखापालों को प्रत्येक के सामने दिखाई गई तारीख से लेखा अधिकारी के पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है :—

क्रमसं०	नाम	कार्यालय जिम में काम कर रहे हैं	तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री एम० वी० कृष्णमूर्थी	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायुसेना) वित्त (रक्षा) मंत्रालय में प्रति नियुक्ति पर	21-6-68
2.	„ एल० आर० वेंकटरमण	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान	20-7-68
3.	„ के० एम० रमानुजम	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन)	25-8-68
4.	„ मनोहर सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य श्रेणी)	10-10-68
5.	„ राम लाल आनन्द	रक्षा लेखा नियंत्रक (मध्य कमान)	10-10-68
6.	„ पी० एस० सन्दरसन	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य श्रेणी)	10-10-68

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	श्री अजित सिंह साहनी	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य श्रेणी)	10-10-68
8.	„ तेज भान कोहली	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	10-10-68
9.	„ आर० पदमानाभन	रक्षा लेखा नियंत्रक, (नौसेना)	10-10-68
10.	„ जे० सी० बनर्जी	रक्षा लेखा नियंत्रक (मध्य कमान)	10-10-68
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति पर			
11.	„ जगदीश चन्द्र दत्ता	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
12.	„ हरबंस सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना)	10-10-68
13.	„ वी० एस० कामत	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अफसर)	10-10-68
14.	„ ब्रह्म देव	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
15.	„ ए० एम० शंकरावेलू	रक्षा लेखा नियंत्रक, (दक्षिणी कमान)	10-10-68
16.	„ राम सरन दाम	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना)	10-10-68
17.	„ हरबंस लाल भाटिया	रक्षा लेखा नियंत्रक, (पश्चिमी कमान)	10-10-68
18.	„ जगन नाथ बोखलू	रक्षा लेखा नियंत्रक, (पश्चिमी कमान)	10-10-68
19.	„ चानन दास	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
20.	„ एम० रंगाचारी	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
21.	„ पी० जी० वेलप्पन नाथर	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
22.	„ के० वी० हरिहरन	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
एन० सी० निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर			
23.	„ टी० के० मिवाग्मन	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
24.	„ एम० वाई० परादकर	रक्षा लेखा नियंत्रक, (दक्षिणी कमान)	10-10-68
25.	„ एम० वी० भंडारी	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर			
26.	„ जी० नरसिमहन	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
27.	„ मनोहर लाल मिक्का	रक्षा लेखा नियंत्रक, (पश्चिमी कमान)	10-10-68
28.	„ वी० बृट्चौरमैया	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
29.	„ के० एन० जानकीरमन	रक्षा लेखा नियंत्रक, (वायु सेना)	10-10-68
30.	„ वी० राजागोपालन	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
31.	„ रोजन लाल पामी	रक्षा लेखा नियंत्रक, (मध्य कमान)	10-10-68
32.	„ टी० वी० नरसिमहन	रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्टरी)	10-10-68
33.	„ हरी दत्त बाणी	रक्षा लेखा नियंत्रक, (मध्य कमान)	10-10-68
34.	„ कसन लाल खट्टर	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
35.	„ बलबीर नारायण खन्ना	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
36.	„ द्वारका दास जेहन	रक्षा लेखा नियंत्रक, (पेंशन)	10-10-68
37.	„ ए० के० मेन	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
38.	„ ए० एन० परूलकर	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
39.	„ के० वैकटाचलम	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
40.	„ वी० गोपालन	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
41.	„ एन० टी० रंगास्वामी	रक्षा लेखा नियंत्रक, (नौ सेना)	10-10-68
42.	„ आर० नारायणन	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्टरी)	10-10-68
43.	„ वी० लक्ष्मी वाराहन	रक्षा लेखा नियंत्रक, (वायु सेना)	10-10-68
44.	„ ए० एम० बालामब्रामनियम	रक्षा लेखा नियंत्रक, (दक्षिणी कमान)	10-10-68
45.	„ यश पाल मेहता	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	10-10-68
46.	„ आर० श्रीनिवासन	रक्षा लेखा नियंत्रक, (वायु सेना)	10-10-68
47.	„ के० एम० गोखले	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अफसर)	10-10-68
48.	„ एम० कृष्णमूर्ति	रक्षा लेखा नियंत्रक, (वायु सेना)	10-10-68

(1)	(2)	(3)	(4)
49	श्री एम० कृष्णमूर्ति II	रक्षा लेखा नियंत्रक, (पश्चिमी कमान)	10-10-68
50	, वा० लट्गोजन	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
51	, विश्वा नाथ ओभेराय	रक्षा लेखा नियंत्रक, (पश्चिमी कमान)	10-10-68
52	, अपूर्व कृष्ण दत्त	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	10-10-68
53	, मदन मोहन मुखर्जी	रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्टरी)	10-10-68
54	, राम चन्द्र गुप्तानी	रक्षा लेखा नियंत्रक, (मध्य कमान)	10-10-68
55	, पेशोरी लाल आहूजा	रक्षा लेखा नियंत्रक, (पेशन)	10-10-68
56	, एन० एम० शोनिवासन	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
57	, पी० गी० मयथ अथयगर	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य श्रेणी)	10-10-68
58	, रतन चन्द्र कपूर	रक्षा लेखा नियंत्रक, (मध्य कमान)	10-10-68
59	, के० शोनिवासन	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	10-10-68
		वित्त (रक्षा) मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर	
60	, जी० सी० प्रागच्चा	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	10-10-68
61	, ई० बी० शर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्टरी)	10-10-68
62	, के० बरद वीरा राघवन	रक्षा लेखा नियंत्रक (पश्चिमी कमान)	10-10-68
63	, एच० एम० विश्वाम	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	10-10-68
64	, मनोहर लाल पमरोचा	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेशन)	10-10-68
65	, जी राजागोपालन	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना)	10-10-68
		वित्त (रक्षा) मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर	10-10-68
66	, एम० मनोहरन	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य श्रेणी)	10-10-68
67	, कस्तूरी लाल वर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक (मध्य कमान)	10-10-68

ए० पी० बी० नायर,
रक्षा लेखा महाविभागाध्यक्ष

परमाणु ऊर्जा विभाग

राजस्थान परमाणु विद्युत् प्रायोजना

अणुशक्ति, दिनांक 6 अक्टूबर 1968

स० आर० ए० पी० पी०/04627/1(214)/68/3533—
राजस्थान परमाणु विद्युत् प्रायोजना के मुख्य प्रायोजना इंजीनियर प्रसन्नतापूर्वक दूर संचालन सेवा, बम्बई के महानिदेशक के कार्यालय के स्थायी कनिष्ठ तकनीकी महायक, श्री बृज मोहन को 23 सितम्बर 1968 के पूर्वार्द्ध में आगामी आदेश तक इस प्रायोजना के संयत्न स्थल पर स्थानापन्न रूप में विज्ञान अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड एस बी नियुक्त करते हैं।

जी० जी० कुलकर्णी, जनरल प्रशासन अधिकारी

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-74, दिनांक 17 अक्टूबर 1968

स० 1(3)68-सिद्धन्दी-V/334—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के नियंत्रक, अनुसंधान केन्द्र के एक स्थानापन्न सहायक, श्री के० सुब्रह्मण्यन को 16 अगस्त, 1968 से 16 सितम्बर

1968 तक, श्री एम० आर० डोगरे, जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है, के स्थान पर स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।
टी० आर० कृष्णमूर्ति, उप-सिद्धन्दी अधिकारी

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय (भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली-3, दिनांक 24 अक्टूबर, 1968

स० ई० (1)00853—वेधशालाओं के महानिदेशक एतद् द्वारा श्री पी० एन० शर्मा को उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पूना में 16 सितम्बर 1968 के पूर्वार्द्ध से और आगामी आदेशों तक अवर विज्ञान अधिकारी (साधारण केन्द्रीय सेवा, श्रेणी II) के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 25 अक्टूबर 1968

स० ई० (1)03884—वेधशालाओं के महानिदेशक एतद् द्वारा श्री ए० एच० पेन्डसे, व्यावसायिक महायक, वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (पूर्वानुमान), पूना, का कार्यालय, को 4-10-68 के पूर्वार्द्ध में छत्तीस दिनों की अवधि के लिये स्थानापन्न के रूप में सहायक मौसम विशेषज्ञ नियुक्त करते हैं।

श्री पेन्डसे वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (पूर्वानुमान), पूना, के कार्यालय में तैनात रखे गये हैं।

पी० ए० जार्ज, मौसम विशेषज्ञ
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 1968

सं० 33/3/68-ई० सी० 1—गान्धुपति श्री वी० ए० कृष्ण-मूर्ति, अधीक्षक इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल) को 27 नवम्बर, 1968 के अपराह्न में 69 दिवस की अवधि के लिए तदर्थ मुख्य इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के रूप में स्थानापन्न नियुक्त करते हैं।

वेदप्रकाश सरवगिया, उप-निदेशक,
प्रशासन

उत्तर रेलवे

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1968

सं० 40—भारतीय रेलवे यातायात सेवा विभाग के अधिकारी श्री आर० के० सहगल रेलवे सेवा में 28-9-1968 अपराह्न से अन्तिम रूप से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

सं० 41—भारतीय रेलवे यातायात सेवा के स्थानापन्न प्रवर वेतन-मान अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह 15-10-1968 अपराह्न से रेलवे सेवा से अन्तिम रूप से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

दिनांक 17 अक्टूबर 1968

सं० 43—भारतीय रेलवे सेवा यान्त्रिक इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित दर्जा II के स्थानापन्न अधिकारियों को इस रेलवे पर दर्जा II में सहायक यान्त्रिक इंजीनियर के रूप में प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से स्थायी कर दिया गया है।

नाम	तारीख
1. श्री करतार सिंह	26-10-66
2. श्री आशिक अली	1-1-68

महेन्द्र नाथ बेरी, महाप्रबन्धक

पूर्व रेलवे

कलकत्ता, दिनांक 25 अक्टूबर 1968

सं० डब्ल्यू डब्ल्यू/कैडर/भाग II—श्री एन० एन० मुखर्जी स्थानापन्न सहायक सुरक्षा अधिकारी को पूर्व रेलवे सुरक्षा विभाग की द्वितीय श्रेणी सेवा में से स्थायी किया जाता है।

के० के० मुखर्जी, महाप्रबन्धक

संघ लोक सेवा आयोग**नोटिस****स्पेशल क्लास रेलवे प्रॉटेक्सेज परीक्षा, 1969**

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 1968

सं० एफ० 6/2/68-ई०-I (बी०)—भारत के राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर, 1968, में रेल मंत्रालय (रेल-बोर्ड) द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार यांत्रिक इंजीनियरों से सम्बद्ध भारतीय रेल सेवा में (Indian Railway Service of Mechanical Engineers) स्पेशल क्लास प्रॉटेक्सेज के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन

के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, कटक, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, नागपुर, पटियाला, पटना, शिलांग तथा त्रिचेन्द्रम में 8 मई, 1969, में एक परीक्षा ली जाएगी :—

आयोग यदि चाहे तो परीक्षा के उपर्युक्त केंद्रों तथा उसके प्रारम्भ होने की तारीख, में परिवर्तन कर सकता है।

परीक्षा में प्रवेश के लिए स्वीकृत उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा कि उन्हें कहां, किस समय और किस तारीखों को उपस्थित होना है।

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या 10 है। इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

इन रिक्तियों में से अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण भारत सरकार द्वारा निश्चित संख्या के अनुसार किया जाएगा।

3. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को निर्धारित आवेदन-प्रपत्र पर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-11, को आवेदन करना चाहिए। निर्धारित आवेदन-प्रपत्र तथा परीक्षा के सम्बद्ध पूर्ण विवरण एक रुपया भेज कर आयोग से डाक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यह राशि सचिव, संघ लोक सेवा, आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-11, को मनीआर्डर द्वारा भेजी जानी चाहिए और मनीआर्डर कृपण पर उस परीक्षा का नाम, जिसके लिए आवेदन-प्रपत्र मांगा जा रहा है, स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। मनीआर्डर के स्थान पर पोस्टल आर्डर या बैंक या करेंसी नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये आवेदन-प्रपत्र आयोग के काउंटर पर एक रुपया नकद देकर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। एक रुपए की यह राशि किसी भी हालत में वापस नहीं की जाएगी।

4. भरा हुआ आवेदन-पत्र सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-11, के पास 6 जनवरी, 1969, को या उसके पूर्व, उपाबन्ध-II में उम्मीदवारों को दी गई हिदायतों के अनुसार आवश्यक प्रमाण-पत्र आदि के साथ अवश्य पहुंचाना चाहिए। उस तारीख के बाद मिलने वाले किसी भी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

किन्तु विदेशों में तथा अन्डमान और निकोबार तथा लकादिव, मिनिक्वाय एवं अमिनदिवि द्वीप समूहों में रहने वाले उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र 20 जनवरी, 1969, तक लिए जाएंगे। (यह उन्ही व्यक्तियों पर लागू होगा जो आवेदन-पत्र भेजने समय वास्तव में विदेश में या अन्डमान और निकोबार तथा लकादिव, मिनिक्वाय एवं अमिनदिवि द्वीप समूहों में रह रहे हों)।

नोट :—आवेदन-प्रपत्र की मांग अथवा आवेदन-पत्र देर से भेजने वाले उम्मीदवार अपने दायित्व पर ही ऐसा करेंगे।

5. निर्धारित शुल्क (वेल्डिंग उपाबन्ध-I) आवेदन-पत्र के साथ भारतीय पोस्टल आर्डरों के द्वारा भेजा जाना चाहिए।

जिस आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किए हुए भारतीय पोस्टल आर्डर नहीं होंगे, उसे एकदम अरबीकार कर दिया जाएगा। यह पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए उन विस्थापित व्यक्तियों पर तथा बर्मा और श्रीलंका से प्रत्यावर्तित उन मूलतः भारतीय व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जो क्रमशः 1 जनवरी, 1964, 1 जून, 1963, और 1 नवम्बर, 1964, को या उसके बाद भारत आए हैं। और उपाबन्ध-I के पैरा 3 के अनुसार निर्धारित शुल्क से छूट चाहते हैं।

प्रत्येक पोस्टल आर्डर अनिवार्यतः इस प्रकार रेखांकित किया जाए :—



और इस प्रकार भरा जाए :—

“Pay to The Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office”.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि पोस्टल आर्डरों को रेखांकित किए बिना या उन पर “Pay to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office.” लिखे बिना भेजना सुरक्षित नहीं है। पोस्टल आर्डर का पूरा ब्यौरा आवेदन-पत्र के कालम 26 में दर्ज कर देना चाहिए।

6. यदि कोई उम्मीदवार 1968, में ली गई स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा में बैठा हो और अब इस परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहता हो तो उसे 1968, के परीक्षा परिणाम या नियुक्ति प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बिना ही निर्धारित तारीख तक अपना आवेदन-पत्र भेज देना चाहिए। यदि यह 1968, के परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्त हो जाएगा तो उसके अनुरोध पर इस परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसको उसी प्रकार शुल्क लौटा दिया जाएगा जिस प्रकार उपाबन्ध-I के पैरा 2 के अनुसार उस उम्मीदवार को लौटा दिया जाता है जिसको परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता।

7. आवेदन-पत्र में सम्बद्ध सभी पत्र आदि मविच, संघ लोक सेवा आयोग धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-11, को भेजे जाए और उनमें निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाए :—

- (i) परीक्षा का नाम
- (ii) परीक्षा का महीना और वर्ष
- (iii) रोल नम्बर (यदि उम्मीदवार को सूचित कर दिया गया हो)
- (iv) उम्मीदवार का नाम (बड़े अक्षरों में)
- (v) आवेदन-पत्र में दिया गया पत्र-व्यवहार का पता।

जिन पत्रों आदि में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभवतः उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग को इस परीक्षा के

विषय में लिखे जाने वाले प्रत्येक पत्र और उसके लिफाफे पर उम्मीदवारों को सबसे ऊपर अनिवार्यतः “स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 1969” लिख देना चाहिए।

डी० आर० कोहली,
उप-सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग

उपाबन्ध-I शुल्क

इस परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे भरे हुए आवेदन-पत्र के साथ आयोग को नीचे लिखे शुल्क का भुगतान अवश्य करें :—

रु० 36 00 (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रु० 9 00)। यह राशि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को देय रेखांकित किए हुए भारतीय पोस्टल आर्डरों के द्वारा भुगतान की जानी चाहिए। आयोग किसी अन्य प्रकार में किए गए भुगतान को स्वीकार नहीं करेगा।

2. यदि आयोग ने किसी आवेदन-पत्र पर एक बार विचार कर लिया है और उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश देने का अपना निर्णय उसको सूचित कर दिया है, तो आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और न ही उस शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा। किन्तु यदि आयोग किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं देता है अथवा परीक्षा में प्रवेश देने के अपने निर्णय की सूचना देने से पूर्व वह किसी उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति दे देता है तो उसको रु० 21 00 (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को रु० 5 00) की राशि वापस कर दी जाएगी।

3. आयोग, यदि चाहे तो, उस स्थिति में निर्धारित शुल्क से छूट दे सकता है जब वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि आवेदक या तो 1 जनवरी, 1964, को या उसके बाद पूर्व पाकिस्तान से भारत आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है, या वह बर्मा से वास्तविक रूप में प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति है और 1 जून, 1963, को या उसके बाद भारत आया है, या वह श्रीलंका से वास्तविक रूप में प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति है और 1 नवम्बर, 1964, को या उसके बाद भारत आया है, और निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में नहीं है।

उपाबन्ध-II

उम्मीदवारों को हिदायतें

1. इस नोटिस के पैरा 3 के अनुसार इस परीक्षा से सम्बद्ध नोटिस, नियमावली, आवेदन-पत्र तथा अन्य विवरण, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को चाहिए कि वे आवेदन-पत्र भरने या निर्धारित शुल्क का भुगतान करने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ कर देखने कि वे परीक्षा में बैठने के पात्र भी हैं या नहीं। निर्धारित शर्तों में छूट नहीं दी जा सकती है।

आवेदन-पत्र भेजने से पहले उम्मीदवार को नोटिस के पैरा 1 में दिए गए केन्द्रों में से किसी एक को, जहाँ वह परीक्षा देने का इच्छुक है, अन्तिम रूप से चुन लेना चाहिए। सामान्यतः चुने हुए स्थान में परिवर्तन से सम्बद्ध किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. उम्मीदवार को आवेदन प्रपत्र, माध्यकन प्रपत्र तथा पावती कार्ड अपने हाथ से ही भरने चाहिए। सभी प्रविष्टि/उत्तर शब्दों में होने चाहिए, रेखा या द्विदु आदि के द्वारा नहीं। भरा हुआ आवेदन प्रपत्र, माध्यकन प्रपत्र तथा पावती कार्ड सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-11, को सीधे भेजना चाहिए ताकि वह उनके पास नोटिस में निर्धारित अन्तिम तारीख तक अवश्य पहुँच जाए।

नोटिस में निर्धारित तारीख के बाद आयोग को प्राप्त होने वाला कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जो उम्मीदवार पहले से ही स्थायी या अस्थायी रूप से सरकारी नौकरी में हों, उसे अपना आवेदन-पत्र सम्बद्ध विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष की मार्फत भेजना चाहिए, जो आवेदन-पत्र के अन्त में दिए गए मूल्यांकन को भर कर आयोग को भेज देगा।

गैर-सरकारी नौकरी में लगे या सरकारी औद्योगिक सगठनों या किसी प्रकार के अन्य सगठनों में काम करने वाले दूसरे सभी उम्मीदवारों के आवेदन सीधे लिए जा सकते हैं। यदि कोई ऐसा उम्मीदवार अपना आवेदन-पत्र अपने नियोक्ता की मार्फत भेजता है और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुँचता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वह नियोक्ता को अन्तिम तारीख से पहले प्रस्तुत किया गया हो।

3. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन-प्रपत्र भरते समय कोई भी झूठा ब्यौरा न दें और न ही किसी तथ्य को छिपाएं।

4. उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र आदि अवश्य भेजने चाहिए :—

- (i) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किए हुए भारतीय पोस्टल आर्डर, जो सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, को नई दिल्ली जनरल डाकघर पर देय हों। (वेखिए उपावन्ध-I)।
- (ii) आयु का प्रमाण-पत्र
- (iii) चरित्र का प्रमाण-पत्र
- (iv) शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र
- (v) स्कूल और कालेज में उम्मीदवार के शिक्षण काल का संक्षिप्त विवरण जिसमें उसकी शैक्षिक तथा खेल-कूद में सम्बद्ध सफलताओं का उल्लेख हो तथा जिसे वह स्वयं अपने हाथ से लिखे और उस पर हस्ताक्षर करे।
- (vi) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट-आकार (लगभग 5 सें० मी० × 7 सें० मी०) के फोटो की तीन प्रतियां।

ऊपर की मद (i), (ii), (iii), (iv) और (vi) में दिए गए प्रमाण-पत्र आदि का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(i) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किए हुए भारतीय पोस्टल आर्डर :—

सभी पोस्टल आर्डरों पर जारी करने वाले पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर और जारी करने वाले डाकघर की स्पष्ट मुहर होनी चाहिए। सभी पोस्टल आर्डर रेखांकित किए जाएँ और इस प्रकार भरे जाएँ :—

“Pay to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office.”

किसी अन्य डाकघर पर देय पोस्टल आर्डर किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएँगे। विरूपित या कटे-फटे पोस्टल आर्डर भी स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

नोट :—जो उम्मीदवार आवेदन-पत्र भेजते समय विदेश में रह रहे हों, वे निर्धारित शुल्क की राशि (रु० 36 00 के बराबर और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रु० 9*00 के बराबर) उस देश में स्थित भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या प्रतिनिधि के कार्यालय में जमा करवाएँ, और उनसे कहा जाए कि ये इस राशि को लेखा शीर्ष “XXI-मिमलेनियम डिपार्टमेन्ट एक्जामिनेशन फ्रीम-रिजिस्ट्र आफ दी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन” में जमा कर दे। उम्मीदवार उस कार्यालय से रसीद लेकर आवेदन-पत्र के साथ भेजें।

(ii) आयु का प्रमाण-पत्र :—आयोग सामान्यतः जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र (मेकण्डरो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट) या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या विश्व-विद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित विश्वविद्यालय के मैट्रिक-पास छात्रों के रजिस्टर के उद्धरण (एकमट्रैक्ट) में दर्ज की गई हो। हिदायतों के इस भाग में आए “मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र” के अन्तर्गत इन सभी वैकल्पिक प्रमाण-पत्रों को सम्मिलित समझा जाए।

इस प्रकार उम्मीदवारों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आयु के प्रमाण के रूप में मैट्रिकुलेशन का प्रमाण-पत्र हर हालत में भेजना आवश्यक है और आवेदन-पत्र के साथ आयोग को अनिवार्यतः उसकी मूल प्रति, एक प्रतिलिपि के साथ, भेजी जानी चाहिए।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिए होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष प्रमाण-पत्र के अनिर्दिष्ट उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिन्सिपल से लिए गए प्रमाण-पत्र की मूल प्रति, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, भेजनी चाहिए जहाँ से उसने मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के मुख्यालय रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र के साथ इन हिदायतों में निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र में लिखी जन्म की तारीख मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दी गई आयु से भिन्न हो और

इसके लिए कोई स्पष्टीकरण न दिया गया हो तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

नोट 1 :—जिस उम्मीदवार के पाम पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र (कम्प्लोटेड सेकण्डरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट) हो, उसे इस प्रमाण-पत्र की मूल प्रति के साथ केवल आयु सम्बन्धी प्रविष्टि वाले पृष्ठ की प्रतिलिपि भेजनी चाहिए।

नोट 2 :—उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार लिख भेजने और आयोग द्वारा उसके स्वीकृत हो जाने के बाद किसी अगली परीक्षा में उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाएगी।

नोट 3 :—जिन विस्थापित लोगों के मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पाकिस्तान में खो गई हो, उन्हें सम्बद्ध विश्वविद्यालय से उसकी अनुलिपि मंगवा लेनी चाहिए। यदि वे सम्बद्ध विश्व-विद्यालय से मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र की अनुलिपि न मंगवा सकते हों तो उन्हें विश्वविद्यालय के उम गजट का उद्धरण भेजना चाहिए जिसमें उनके परीक्षा परिणाम प्रकाशित हुए हों। इस उद्धरण में जन्म की तारीख लिखी होनी चाहिए और यह रजिस्ट्रार या हैड-मास्टर द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

(iii) **चरित्र का प्रमाण-पत्र :—**उम्मीदवार को उम शिक्षा संस्था के किसी प्राधिकारी (जैसे प्रिंसिपल, प्राक्टर, डॉन आदि) से, जिसमें वह पढ़ रहा हो या जिसमें वह आवेदन करने की तारीख से पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक वर्ष तक पढ़ चुका हो, चरित्र का प्रमाण-पत्र लेकर उसकी एक प्रतिलिपि के साथ भेजना चाहिए।

प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले को अपना पूरा पदनाम लिखना चाहिए।

नोट 1 :—जिस उम्मीदवार ने आवेदन-पत्र भेजने की तारीख से पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक शैक्षिक वर्ष तक किसी शिक्षा संस्था में अध्ययन न किया हो वह किसी सेवा-रत राजपत्रित अधिकारी से चरित्र का प्रमाण-पत्र लेकर उसकी एक प्रतिलिपि के साथ भेज सकता है।

नोट 2 :—चरित्र का एक ही प्रमाण-पत्र अपेक्षित है।

(iv) **शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र :—**उम्मीदवार को अपना मूल प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ भेजना चाहिए ताकि इस बात का प्रमाण मिल सके कि नियम 6 में निर्धारित योग्यताओं में से कोई एक योग्यता उसके पास है। भेजा गया प्रमाण-पत्र उस प्राधिकारी (अर्थात् विश्वविद्यालय या किसी अन्य परीक्षा-निकाय) का होना चाहिए जिसने उसे उस योग्यता विशेष का प्रमाण-पत्र दिया हो। यदि ऐसा प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा न भेजा जाए तो उम्मीदवार को उसे न भेजने का कारण बताना चाहिए और अपेक्षित योग्यता से सम्बद्ध अपने दावे के प्रमाण में किसी अन्य प्रमाण-पत्र की मूल प्रति भेजनी चाहिए। आयोग इस प्रमाण के औचित्य पर विचार करेगा, किन्तु वह उसे पर्याप्त मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।

यदि उम्मीदवार द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए विश्वविद्यालय के इंटरमीडिएट या कोई अन्य अर्हक परीक्षा पाम करने के प्रमाण पत्र में सर्वा उत्तीर्ण विषयों का उल्लेख नहीं है तो उसे प्रिंसिपल से इस आशय का प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत करना चाहिए कि उसने अर्हक परीक्षा गणित, तथा भौतिकशास्त्र और रसायन शास्त्र में से कम से कम एक विषय लेकर उत्तीर्ण की है।

जिस उम्मीदवार पर नियम 6(ख) या नियम 6(ङ) लागू होता हो उसे अपनी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण स्वरूप सम्बद्ध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/कालेज के प्रिंसिपल/संस्था के अध्यक्ष से नीचे दिए निर्धारित फार्म में लिए गए प्रमाण-पत्र की मूल प्रति, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*
मुपुत्र/मुपुत्री* श्री डग विश्वविद्यालय/
कालेज/संस्था* के/की* वास्तविक छात्र/छात्रा* है/थी*।

2. उन्होंने त्रि-वर्षीय डिग्री कोर्स की प्रथम वर्ष की परीक्षा पंच-वर्षीय इंजीनियरी डिग्री कोर्स की प्रथम वर्ष की परीक्षा/राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद (National Council for Rural Higher Education) का ग्रामीण सेत्राओं में त्रि-वर्षीय डिप्लोमा कोर्स की प्रथम परीक्षा* जो को समाप्त हुई, उत्तीर्ण कर ली है और उन्हें प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित विषयों में से किसी में भी परीक्षा में नहीं बैठना है।

अथवा

उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा संनालित त्रि-वर्षीय डिग्री कोर्स की प्रथम/द्वितीय* वर्ष की परीक्षा*/पंच-वर्षीय इंजीनियरी डिग्री कोर्स की प्रथम वर्ष की परीक्षा* श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली है। परीक्षा को समाप्त हुई।

† 3. उनके परीक्षा-विषय निम्नलिखित थे :—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

† पंच-वर्षीय इंजीनियरी डिग्री कोर्स के विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा।

(रजिस्ट्रार/प्रिंसिपल* के हस्ताक्षर)
विश्वविद्यालय/कालेज/संस्था* का नाम

तारीख

स्थान

*जो शब्द लागू न हो उन्हें कृपया काट दें।

(v) जिस उम्मीदवार पर नियम 6 के नीचे दिया गया नोट 1 लागू होता हो तो उसे जिस संस्था से उसने परीक्षा उत्तीर्ण की हो उसके प्रिंसिपल/हैडमास्टर से लिए गए इस आशय के प्रमाण पत्र की मूल प्रति, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए न करनी चाहिए कि उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक विश्वविद्यालय/

बोर्ड* द्वारा निर्धारित प्रथम या द्वितीय श्रेणी की अंक-सीमाओं के अन्तर्गत आते हैं।

नोट—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के प्रारम्भ होने से पहले समाप्त हो जाए। किन्तु ऐसे उम्मीदवारों को निम्नलिखित निर्धारित फार्म में सम्बन्धित कालेज/संस्था* के प्रिंसिपल से एक प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करना चाहिए। यदि वे अन्य शर्तें पूरी करते हैं तो उनको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अन्तिम मानी जाएगी और यदि वे अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करते, तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है।

परीक्षा में इस प्रकार बैठने की अनुमति प्राप्त उम्मीदवार को, चाहे वह इस परीक्षा के लिखित भाग में उत्तीर्ण हो अथवा नहीं, उपर्युक्त अवधि के भीतर अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस द्विबोधन का पालन न करने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे अपना परिणाम जानने का अधिकार नहीं होगा।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*
सुपुत्र/सुपुत्री* निम्नलिखित विषय लेकर
..... द्वारा संचालित,
परीक्षा में मास, 19 .., में बैठने
वाले/वाली है* /बैठ चुके/चुकी* है—

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

प्रिंसिपल के हस्ताक्षर
(कालेज/संस्था* का नाम)

तारीख
स्थान

* जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें।

(vi) फोटो की तीन प्रतियां:—उम्मीदवार को अपने हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 से० मी० X 7 से० मी०) के फोटो की तीन प्रतियां अवश्य भेजनी चाहिए। इनमें से एक एक प्रति आवेदन प्रपत्र तथा माध्यमक प्रपत्र के पहले पृष्ठ पर चिपका देनी चाहिए और तीसरी प्रति आवेदन-पत्र के साथ अच्छी तरह लक्ष्मी कर देनी चाहिए। फोटो की प्रत्येक प्रति के ऊपर उम्मीदवार को म्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए।

5. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र अधूरा या गलत भरा हुआ हो या उसके साथ ऊपर पैरा 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(v) और 4(vi) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र आदि में से कोई एक मंगलन न हो और उसे न भेजने का उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया हो तो यह आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है और इस अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। यदि कोई प्रमाण-पत्र आदि आवेदन-पत्र के साथ न भेजे गए हों तो उन्हें आवेदन-पत्र भेजने के बाद शीघ्र ही भेज देना चाहिए और उनको [ऊपर पैरा 4(v) के नोट में उल्लिखित स्थिति को छोड़कर] हर हालत में आवेदन-पत्र भेजने की अन्तिम तारीख में एक महीने के भीतर आयोग के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

उम्मीदवार को यह भी चेतावनी दी जाती है कि जो भी प्रमाण-पत्र आदि वे प्रस्तुत करें, उनकी किर्मा भी प्रविष्टि में वे कभी भी कोई शुद्धि या परिवर्तन न करें, न उनमें किसी अन्य प्रकार का फेर-बदल करें, और न ही फेर-बदल किए गए प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करें। यदि कोई अशुद्धि हो अथवा ऐसे दो या अधिक प्रमाण-पत्रों आदि में कोई असंगति हो तो उस असंगति के बारे में अलग से स्पष्टीकरण देना चाहिए।

6. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आम तौर से रहते हों, जिला अधिकारी या उप-मण्डल अधिकारी या किसी अन्य ऐसे अधिकारी से जिसे मन्वद राज्य सरकार ने यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में नामित किया हो, नीचे दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आम तौर पर रहता हो।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का उम्मीदवार उक्त प्रमाण-पत्र अति-रिक्त जिला मैजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के वृत्तिक (स्टाडपेंडिअरी) मैजिस्ट्रेट या रेवेन्यू असिस्टेंट से भी लेकर प्रस्तुत कर सकता है।

भारत सरकार के पर्वों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म:—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*
..... सुपुत्र/सुपुत्री* श्री जो
गांव/कस्बा* जिला/मन्डल*
..... राज्य/
संघ राज्य क्षेत्र* के/की* निवासी है,
..... जाति/ आदिम जाति* के/की* हैं जिसे निम्न-
लिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति* के
रूप में मान्यता दी गई है:—

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां
(संशोधन) आदेश, 1956*

संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जातिया आदेश, 1956*

संविधान (अन्धमान और निकोबार-द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जातिया आदेश, 1959*

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातिया आदेश 1962*

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जातिया आदेश, 1962*

संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जातिया आदेश 1964*

संविधान (अनुसूचित आदिम जातिया) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967*

2 श्री/श्रीमती/कुमारी*
और/या* उनका परिवार आम तौर से गाव/कस्बा*
. जिला/मण्डल*
राज्य/सघ राज्य क्षेत्र* में
रहते/रहती* हैं।

हस्ताक्षर

**पद

(कार्यालय का मोहर)

राज्य*

स्थान मघ राज्य क्षेत्र
तारीख

*जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें।

नोट—यहां "आम तौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो "रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, 1950" की धारा 20 में है।

**अनुसूचित जाति/आदिम जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी।

(1) जिला मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/क्लेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/ऐडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी क्लेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडिअरी मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट† सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट/ताल्लुक मैजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा अफिसेंट कमिश्नर।

† (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडिअरी मैजिस्ट्रेट से कम ओहदे का नहीं।)

(ii) चीफ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट/ऐडीशनल चीफ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट।

(iii) रेवेन्यू अफसर जिनका ओहदा तहमीलदार से कम न हो।

(iv) उस इलके का सब-डिवीजनल अफसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आम तौर से रहता हो।

(v) ऐडमिनिस्ट्रेटर/ऐडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डिप्लोमेट अफसर (लकादिव, मिनिक्वाय और अमिनिदिव द्वीप-समूह)।

7. (i) उपाबन्ध-I के पैरा 3 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क में छूट चाहने वाले पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित किसी भी व्यक्ति को दण्डकारण्य परियोजना के ट्राजिट केन्द्रों के कैम्प कमांडेंट से, अथवा सहायता शिविरों के कैम्प कमांडेंट से, अथवा उस क्षेत्र के जिला मैजिस्ट्रेट से जिसमें वह इस समय निवास कर रहा है, लिया गया मूल प्रमाण-पत्र, उसकी प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह पूर्वी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964, को या उसके बाद भारत आया है। उसे किसी जिला अधिकारी से अथवा सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी से अथवा ससद् या राज्य विधान मण्डल के किसी सदस्य से लिया गया मूल प्रमाण पत्र भी यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में नहीं है।

(ii) उपाबन्ध-I के पैरा 3 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क में छूट चाहने वाले श्रीलंका से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति को श्री श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय से लिया गया इस आशय का मूल प्रमाण-पत्र, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत करना चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो अक्टूबर 1964, के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964, को या उसके बाद भारत आया है। उसको किसी जिला अधिकारी से अथवा सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी से अथवा संसद् या राज्य विधान मण्डल के किसी सदस्य से लिया गया मूल प्रमाण-पत्र भी यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में नहीं है।

(iii) उपाबन्ध-I के पैरा 3 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क में छूट चाहने वाले बर्मा से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति को भारतीय राजदूतावास रगून द्वारा दिया गया मूल पहिचान प्रमाण-पत्र, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो 1 जून, 1963, को या उसके बाद भारत आया है, अथवा उसे जिस क्षेत्र का वह निवासी है उसके जिला मैजिस्ट्रेट से लिया गया एक प्रमाण-पत्र यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और 1 जून, 1963, को या उसके बाद भारत आया है। उसको किसी जिला अधिकारी से अथवा सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी से अथवा ससद् या राज्य विधान मण्डल के किसी सदस्य से लिया गया मूल प्रमाण-पत्र भी यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में नहीं है।

(iv) नियम 5(ख) (ii) अथवा 5(ख) (iii) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति को दण्डकारण्य परियोजना के ट्राजिट केन्द्रों के कैम्प कमांडेंट से, अथवा सहायता शिविरों के कैम्प कमांडेंट से, अथवा उम क्षेत्र के जिला मैजिस्ट्रेट से, जिसमें वह इस समय निवास कर रहा है, लिया गया मूल प्रमाण-पत्र, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ

वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964, को अथवा उसके बाद भारत आया है।

(v) नियम 5(ख) (iv) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के उम्मीदवार को उस शिक्षा संस्था के प्रिंसिपल से, जिसमें उसने शिक्षा प्राप्त की है, लिया गया मूल प्रमाण-पत्र उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि उसने किसी स्तर पर फ़्लैच के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है।

(vi) नियम 5(ख) (v) अथवा 5(ख) (vi) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले श्रीलंका से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय उम्मीदवार को श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय से लिया गया मूल प्रमाण-पत्र, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो अक्टूबर, 1964, के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964, को या उसके बाद भारत आया है।

(vii) नियम 5(ख) (vii) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले गोआ, दमन और दियु के संघ राज्य क्षेत्र के उम्मीदवार को अपनी मांग की पुष्टि के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से लिया गया मूल प्रमाण-पत्र, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत करना चाहिए :—

- (1) सिविल प्रशासन का निदेशक
- (2) कौंसलहोस के प्रशासक (Administrators of the Concelhos)

(viii) नियम 5(ख) (viii) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले कीनिया, उगांडा तथा सयुक्त गणराज्य टंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका तथा जंजीबार) से आए हुए उम्मीदवार को, उस क्षेत्र के ज़िला मैजिस्ट्रेट से जहां वह इस समय निवास कर रहा है, लिया गया मूल प्रमाण-पत्र, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह वास्तव में उपर्युक्त देशों से आया है।

(ix) नियम 5(ख) (ix) अथवा 5(ख) (x) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले बर्मा से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय उम्मीदवार को भारतीय राजदूतावास, रंगून, द्वारा जारी किया गया मूल पहिचान प्रमाण-पत्र उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो 1 जून, 1963, को या उसके बाद भारत आया है, अथवा उसे जिस क्षेत्र का वह निवासी है उसके ज़िला मैजिस्ट्रेट से लिया गया एक प्रमाण-पत्र यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह बर्मा से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और 1 जून, 1963, को या उसके बाद भारत आया है।

(x) नियम 5(ख) (xi) अथवा 5(ख) (xii) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले एम उम्मीदवार को, जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महानिदेशक, पुनर्वास, रक्षा मन्त्रालय से नीचे निर्धारित फार्म पर लिया गया मूल प्रमाण-पत्र उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना

चाहिए कि वह रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट के रैंक न० श्री रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में/अशांतिग्रस्त क्षेत्र में* फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए अथवा उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।

हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख

*जो शब्द लागू न हो उसे कृपया काट दें।

8. (क) यदि किसी व्यक्ति के लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र (एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट) आवश्यक हो तो उसे अभीष्ट पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के रेल मन्त्रालय (रेल बोर्ड) को आवेदन करना चाहिए।

(ख) यदि किसी व्यक्ति के लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक न हो तो उसे प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सामने नान-जुडीशियल स्टाम्प-पेपर पर नीचे लिखे किसी भी रूप में (जो उस पर लागू होता हो) शपथ लेकर शपथ-पत्र (एफिडेविट) प्रस्तुत करना चाहिए :—

(1) "मैं घोषणा करता हूँ कि मैं 19 जुलाई, 1948, से पहले उन इलाकों से भारत आया था जो अब पाकिस्तान में हैं और तब से आम तौर पर भारत में रह रहा हूँ।"

(2) "मैं घोषणा करता हूँ कि मैं 19 जुलाई, 1948, को या उसके बाद उन इलाकों से भारत आया था जो अब पाकिस्तान में हैं और मैं तब से आम तौर पर भारत में रह रहा हूँ और मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करा लिया है।"

(3) "मैं घोषणा करता हूँ कि पात्रता-प्रमाण-पत्र के बिना ही संविधान के लागू होने की तारीख, अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले संघ की सेवा में आ गया था और तब से मैं लगातार उसी सेवा में हूँ और मेरे सेवाकाल का क्रम नहीं टूटा है।"

नोट :—यदि कोई उम्मीदवार ऊपर की मद (2) के अन्तर्गत आता है तो वह ऊपर के सब-पैरा (ख) में अपेक्षित, प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सामने लिए गए शपथ-पत्र के स्थान पर भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण का मूल प्रमाण-पत्र एक प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत कर सकता है।

9. ऊपर के पैरा 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(v), 6, 7 और 8 (ख) में उल्लिखित मूल प्रमाण-पत्र (उसकी प्रतिलिपियों)

के साथ) अवश्य भेजे जाने चाहिए। आयोग मूल प्रमाण-पत्रों के बिना इन प्रमाणपत्रों की अभिप्रमाणित या किसी अन्य प्रकार की प्रतियां स्वीकार नहीं करता।

ऊपर के पैरा 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(v), 6, 7 और 8 (ख) के अनुसार भेजे गए सभी मूल प्रमाण-पत्र उम्मीदवार को आवेदन-पत्र के परिणाम की सूचना देते समय लौटा दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रमाण-पत्रों को आयोग के पास भेजने से पहले उनकी अभिप्रमाणित प्रतियां अपने पास रख लें। आयोग आवेदन-पत्र के परिणाम की सूचना भेजने के पूर्व इन प्रमाण-पत्रों को न तो लौटा सकता है और न ही उनकी अभिप्रमाणित प्रतियां भेज सकता है, चाहे उम्मीदवार को उनकी आवश्यकता किसी भी काम के लिए क्यों न हो।

यदि उम्मीदवार ऊपर के पैरा 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(v), 6, 7 और 8(ख) में उल्लिखित प्रमाण-पत्रों को, सघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई किसी और परीक्षा के सम्बन्ध में पहले ही भेज चुका हो, और उन्हें अभी तक उसे लौटया नहीं गया हो तो उसे अपना आवेदन-पत्र भेजते समय यह बात लिख देनी चाहिए और यदि हो सके तो प्रत्येक प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि भी साथ भेजनी चाहिए। यदि प्रमाण-पत्र आयोग के पास न हों तो, चाहे उम्मीदवार इस आयोग द्वारा ली गई किसी अन्य परीक्षा में पहले बैठा हो या नहीं, उसे आवेदन-पत्र के साथ प्रमाण-पत्र अवश्य भेजने चाहिए। यदि कोई प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ न भेजा जा सके तो आवेदन-पत्र में उसे न भेजने का उचित कारण अवश्य लिखा जाना चाहिए।

10. आवेदन-पत्र देर से प्रस्तुत किए जाने पर देरी के कारण के रूप में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आवेदन-प्रपत्र ही अमुक तारीख को भेजा गया था। आवेदन-प्रपत्र को भेजा जाना ही स्वतः इस बात का सूचक न होगा कि प्रपत्र पाने वाला परीक्षा में बैठने का पात्र हो गया है।

11. यदि परीक्षा से सम्बद्ध आवेदन-पत्रों के पहुंच जाने की आखिरी तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र की पावती (एक्नालिजमेन्ट) न मिले तो उसे पावती प्राप्त करने के लिए आयोग से तत्काल संपर्क स्थापित करना चाहिए।

12. इस परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन-पत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि परिणाम कब सूचित किया जाएगा। यदि परीक्षा के शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र के परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से कोई सूचना न मिले तो परिणाम की जानकारी के लिए उसे आयोग से तत्काल संपर्क स्थापित करना चाहिए। यदि उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया तो वह अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से बंचित हो जाएगा।

13. पिछले वर्षों में ली गई परीक्षाओं के नियमों और प्रश्न-पत्रों से सम्बद्ध पुस्तिकाओं की प्रतियों की बिक्री मैनेजर आफ पब्लिकेशन्स, सिविल लाइन्स, दिल्ली-6, के द्वारा की जाती है और उन्हें वहां से केवल मेल आर्डर द्वारा सीधे प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें (i) किताब महान, 14 ए बैरक्स जनपथ, नई दिल्ली और (ii) गवर्नमेन्ट आफ इंडिया बुक डिपो, 8 ट्रेडिंग स्ट्रीट,

कलकत्ता-1, से भी नकद पैसा देकर खरीदा जा सकता है। ये पुस्तिकाएं विभिन्न मुफ़रिसल नगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजेंटों से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

14. आवेदन-पत्र से सम्बद्ध पत्र-व्यवहार :— आवेदन-पत्र से सम्बद्ध सभी पत्र आवि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-11, को भेजे जाएं तथा उनमें नीचे लिखा ब्योरा अनिवार्य रूप से दिया जाए :—

- (i) परीक्षा नाम
- (ii) परीक्षा का महीना और वर्ष
- (iii) रोल नम्बर (यदि उम्मीदवार को सूचित कर दिया गया हो)
- (iv) उम्मीदवार का नाम (बड़े अक्षरों में)
- (v) आवेदन-पत्र में दिया गया पत्र-व्यवहार का पता

ध्यान दें :—जिन पत्रों आवि में यह ब्योरा नहीं होगा संभवतः उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

15. पते में परिवर्तन :—उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन-पत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आवि, आवश्यक होने पर, उसको बचले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना, उपर्युक्त पैरा 14 में उल्लिखित ब्योरे के साथ यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। यद्यपि आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है किन्तु इस विषय में वह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

नोटिस

इंजीनियरी सेवा (इलेक्ट्रॉनिकी) परीक्षा, 1969

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 1968

सं० एफ० 3/2/67-ई०I (बी०)—भारत के राजपत्र, दिनांक 9 नवंबर, 1968, में संचार विभाग द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार निम्नलिखित पदों पर भरती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, शिलांग तथा त्रिवेन्द्रम में 19 अप्रैल, 1969, से एक सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी :—

- (1) इंजीनियर (क्लास-I) वायर लैस आयोजन एवं समन्वय पक्ष/अनुश्रवण संगठन, संचार विभाग।
- (1) Engineer (Class I) in the Wireless Planning and Co-ordination Wing/Monitoring Organisation, Department of Communications.
- (2) सहायक स्टेशन इंजीनियर (क्लास-I), आकाश-वाणी; सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय।
- (2) Assistant Station Engineer (Class I) in the All India Radio, Ministry of Information and Broadcasting.

(3) सहायक तकनीकी अधिकारी, नागर विमानन विभाग; पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय ।

(3) Assistant Technical Officer in the Civil Aviation Department, Ministry of Tourism and Civil Aviation.

आयोग यदि चाहे तो परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा प्रारम्भ होने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है । परीक्षा में प्रवेश करने के लिए स्वीकृत उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा कि उन्हें कहां, किस समय और किन तारीखों को उपस्थित होना है ।

इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के बारे में केन्द्र सरकार के अधीन अन्य पदों के लिए भी विचार किया जा सकता है जिनके लिए समान शैक्षिक योग्यताओं की आवश्यकता हो । (देखिए संचार विभाग की उपर्युक्त अधिसूचना के परिशिष्ट III का पैरा 4) ।

2 इस परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले विभिन्न पदों की रिक्तियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है ।

(1) इंजीनियर (क्लास-I), वायर लैस आयोजन एवं समन्वय पक्ष/अनुश्रवण संगठन, संचार विभाग ।

(1) Engineer (Class I) in the Wireless Planning and Co-ordination Wing/Monitoring Organisation, Department of Communications.

(2) सहायक स्टेशन इंजीनियर (क्लास-I), आकाश वाणी; सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ।—24

(2) Assistant Station Engineer (Class I) in the All India Radio, Ministry of Information and Broadcasting.

(3) सहायक तकनीकी अधिकारी, नागर विमानन विभाग, पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय ।—5

(3) Assistant Technical Officer in the Civil Aviation Department, Ministry of Tourism and Civil Aviation.

उपर्युक्त संख्याओं में परिवर्तन किया जा सकता है ।

इन रिक्तियों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण भारत सरकार द्वारा निश्चित संख्या के अनुसार किया जाएगा ।

3. उम्मीदवार उपर्युक्त पदों में से किसी एक अथवा सभी के लिए परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है । उसे केवल उसी पद/उन्हीं पदों के लिए उम्मीदवार माना जाएगा जिसके लिए वह आवेदन करेगा ।

यदि वह एक से अधिक पदों के लिए परीक्षा में प्रवेश चाहता है तो भी उसे केवल एक ही आवेदन-पत्र भेजने की आवश्यकता है । उपाबंध I में उल्लिखित शुल्क भी उसे केवल एक बार देना होगा, उस प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग नहीं जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है ।

4. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को निर्धारित आवेदन-पत्र पर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-11, को आवेदन करना चाहिए । निर्धारित आवेदन-पत्र तथा परीक्षा से सम्बद्ध पूर्ण विवरण एक रूपया भेज कर आयोग से डाक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं । यह राशि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-11 को मनीआर्डर द्वारा भेजी जानी चाहिए और मनीआर्डर कूपन

पर उम परीक्षा का नाम, जिसके लिए आवेदन-पत्र मांगा जा रहा है, स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए । मनीआर्डर के स्थान पर पोस्टल आर्डर या चेक या कर्सेसी नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे । ये आवेदन-पत्र आयोग के काउंटर पर एक रूपया नकाद देकर भी प्राप्त किए जा सकते हैं । एक रूपए की यह राशि किसी भी हालत में वापस नहीं की जाएगी ।

5. भरा हुआ आवेदन-पत्र सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-11 के पास 23 दिसम्बर, 1968, को या उसके पूर्व, उपाबंध-II में उम्मीदवारों को दी गई हिदायतों के अनुसार आवश्यक प्रमाण-पत्र आदि के साथ अवश्य पहुंचाना चाहिए । उस तारीख के बाद मिलने वाले किसी भी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा ।

किन्तु विदेशों में तथा अंडमान और निकोबार तथा लकादिव, मिनिक्वाय एवं अमिनदिवि-द्वीप समूहों में रहनेवाले उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र 6 जनवरी, 1969, तक लिए जाएंगे । (यह उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होगा जो आवेदन-पत्र भेजते समय वास्तव में विदेश में या अंडमान और निकोबार तथा लकादिव, मिनिक्वाय एवं अमिनदिवि द्वीप समूहों में रह रहे हों) ।

नोट :—आवेदन-पत्र की मांग अथवा आवेदन-पत्र देर में भेजने वाले उम्मीदवार अपने दायित्व पर ही ऐसा करेंगे ।

6. निर्धारित शुल्क (देखिए उपाबंध-I) आवेदन-पत्र के साथ भारतीय पोस्टल आर्डरों के द्वारा भेजा जाना चाहिए ।

जिस आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किए हुए भारतीय पोस्टल आर्डर नहीं होंगे, उसे एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा । यह पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए उन विस्थापित व्यक्तियों पर तथा बर्मा और श्रीलंका से प्रत्यावर्तित उन मूलतः भारतीय व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जो क्रमशः 1 जनवरी, 1964, 1 जून, 1963 और 1 नवम्बर, 1964, को या उसके बाद भारत आए हैं और उपाबंध-I के पैरा 3 के अनुसार निर्धारित शुल्क से छूट चाहते हैं ।

प्रत्येक पोस्टल आर्डर अनिवार्यतः इस प्रकार रेखांकित किया जाए :—



और इस प्रकार भरा जाए :—

“Pay to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office.”

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि पोस्टल आर्डरों को रेखांकित किए बिना या उन पर “Pay to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office.” लिखे बिना भेजना सुरक्षित नहीं है । पोस्टल आर्डरों का पूरा ग्यौरा आवेदन-पत्र के कालम 26 में वर्ज कर देना चाहिए ।

7. आवेदन-पत्र में सम्बद्ध सभी पत्र आदि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-11, को भेजे जाएं और उनमें निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाए :—

- (i) परीक्षा का नाम ।
- (ii) परीक्षा का महीना और वर्ष ।
- (iii) रोल नंबर (यदि उम्मीदवार को सूचित किया गया हो) ।
- (iv) उम्मीदवार का नाम (बड़े अक्षरों में) ।
- (v) आवेदन-पत्र में दिया गया पत्र-व्यवहार का पता ।

जिन पत्रों आदि में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभवतः उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । संघ लोक सेवा आयोग को इस परीक्षा विषय में लिखे जाने वाले प्रत्येक पत्र और उसके लिफाफे पर उम्मीदवारों को सबसे ऊपर अनिवार्यतः "इंजीनियरी सेवा (इलेक्ट्रानिकी) परीक्षा, 1969 लिख देना चाहिये

डी० आर० कोहली, उप-सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

उपाबंध-I

शुल्क

इस परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे भरे हुए आवेदन-पत्र के साथ आयोग को नीचे लिखे शुल्क का भुगतान अवश्य करें :—

रु० 48.00 (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रु० 12.00) । यह राशि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को देय रेखांकित किए हुए भारतीय पोस्टल आर्डरों के द्वारा भुगतान की जानी चाहिए । आयोग किसी अन्य प्रकार से किए गए भुगतान को स्वीकार नहीं करेगा ।

2. यदि आयोग ने किसी आवेदन-पत्र पर एक बार विचार कर लिया है और उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश देने का अपना निर्णय उसको सूचित कर दिया है, तो आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही उस शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा । किन्तु यदि आयोग किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं देता है अथवा परीक्षा में प्रवेश देने के अपने निर्णय की सूचना देने से पूर्व वह किसी उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति द देता है तो उसको रु० 30.00 (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के उम्मीदवारों को रु० 8.00) की राशि वापस कर दी जाएगी ।

3. आयोग, यदि चाहे तो, उस स्थिति में निर्धारित शुल्क से छूट दे सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदक या तो 1 जनवरी, 1964, को या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से भारत आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है, या वह

वर्मा से वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति है और 1 जून, 1963, को या उसके बाद भारत आया है, या वह श्रीलंका से वास्तविक रूप में प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति है और 1 नवंबर, 1964, को या उसके बाद भारत आया है, और निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में नहीं है ।

उपाबंध-II

उम्मीदवारों को हिवायतें

1. इस नोटिस के पैरा-4 के अनुसार इस परीक्षा से संबद्ध नोटिस, नियमावली, आवेदन-प्रपत्र तथा अन्य विवरण संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं । उम्मीदवारों को चाहिए कि वे आवेदन-प्रपत्र भरने या निर्धारित शुल्क का भुगतान करने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ कर देख लें कि वे परीक्षा में बैठने के पात्र हैं या नहीं । निर्धारित शर्तों में छूट नहीं दी जा सकती है ।

आवेदन-पत्र भेजने से पहले उम्मीदवार को नोटिस के पैरा 1 में दिए गए केन्द्रों में से किसी एक को, जहां वह परीक्षा देने का इच्छुक है, अंतिम रूप से चुन लेना चाहिए । सामान्यतः चुने हुए स्थान में परिवर्तन से संबद्ध किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

2. उम्मीदवार को आवेदन-प्रपत्र, साक्ष्यकन प्रपत्र तथा पावती कार्ड अपने हाथ से ही भरने चाहिए । सभी प्रविष्टियां/उत्तर शब्दों में होने चाहिए, रेखा या विंदु आदि के द्वारा नहीं । भरा हुआ आवेदन-प्रपत्र, साक्ष्यकन प्रपत्र तथा पावती कार्ड सचिव, संघ-लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-11, को सीधे भेजना चाहिए ताकि वह उनके पास नोटिस में निर्धारित अंतिम तारीख तक अवश्य पहुंच जाए ।

नोटिस में निर्धारित तारीख के बाद आयोग को प्राप्त होने वाला कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

जो उम्मीदवार पहले से ही स्थायी या अस्थायी रूप से सरकारी नौकरी में ही, उसे अपना आवेदन-पत्र संबद्ध विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष की माफत भेजना चाहिए जो आवेदन-पत्र के अन्त में दिए गए पृष्ठांकन को भर कर आयोग को भेज देगा ।

गैर-सरकारी नौकरी में लगे या सरकारी औद्योगिक संगठनों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में काम करने वाले दूसरे सभी उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र सीधे लिए जा सकते हैं । यदि कोई ऐसा उम्मीदवार अपना आवेदन-पत्र अपने नियोक्ता की माफत भेजता है और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंचता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वह नियोक्ता को अंतिम तारीख से पहले प्रस्तुत किया गया हो ।

3. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन-प्रपत्र भरते समय कोई भी झूठा ब्यौरा न दें और न ही किसी तथ्य को छिपाएं ।

4. उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र आदि अवश्य भेजने चाहिए :—

- (i) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किए हुए भारतीय पोस्टल आर्डर, जो सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, को नई दिल्ली जनरल डाकघर पर देय हों । (दखिए उपावध-I) ।
- (ii) आयु का प्रमाण-पत्र
- (iii) चरित्र का प्रमाण-पत्र
- (iv) शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र
- (v) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट-आकार (लगभग 5 सें० सी० × 7 सें० सी०) के फोटो की तीन प्रतियां ।

ऊपर की मद (i), (ii), (iii), (iv), और (v) में दिए गए प्रमाण-पत्र आदि का ब्योरा निम्नलिखित है :—

(i) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किए हुए भारतीय पोस्टल आर्डर :—सभी पोस्टल आर्डरों पर जारी करने वाले पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर और जारी करने वाले डाकघर की स्पष्ट मुहर होनी चाहिए । सभी पोस्टल आर्डर रेखांकित किए जाएं और इस प्रकार भरे जाएं :—

“Pay to the Secretary, Union Public Service Commission, at New Delhi General Post Office.”

किसी अन्य डाकघर पर देय पोस्टल आर्डर किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे । विरूपित या फटे-फटे पोस्टल आर्डर भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

नोट :—जो उम्मीदवार आवेदन-पत्र भेजते समय विदेश में रह रहे हों, वे निर्धारित शुल्क की राशि (रु० 48.00 के बराबर और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रु० 12.00 के बराबर) उस देश में स्थित भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या प्रतिनिधि के कार्यालय में जमा करवाए, और उनसे कहा जाए कि वे इस राशि को लेखा शीर्ष “XXI—मिसलेनियम डिपार्टमेंट एक्जामिनेशन फ्रीस-रिसीट्स आफ दी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन” में जमा कर दें । उम्मीदवार उस कार्यालय से रसीद लेकर आवेदन-पत्र के साथ भेजें ।

(ii) आयु का प्रमाण-पत्र :—आयोग सामान्यतः जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र (सेकण्डरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट) या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित विश्वविद्यालय के मैट्रिक-पास छात्रों के रजिस्टर के उद्धरण (एक्सट्रैक्ट) में दर्ज की गई हो । हिदायतों के इस भाग में आए “मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र” के अन्तर्गत इन सभी वैकल्पिक प्रमाण-पत्रों को सम्मिलित मंजूर जाए ।

इस प्रकार उम्मीदवारों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए । कि आयु के प्रमाण के रूप में मैट्रिकुलेशन का प्रमाण-पत्र हर हालत में भेजना आवश्यक है और आवेदन-पत्र के साथ आयोग को अनिवार्यतः उसकी मूल प्रति, एक प्रतिलिपि के साथ, भेजी जानी चाहिए ।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिए होते हैं । ऐसे मामलों में उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष प्रमाण-पत्र के अनिश्चित उम्र संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण-पत्र की मूल प्रति उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, भेजनी चाहिए जहां से उराने मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो । इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए ।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र के साथ इन हिदायतों में निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है । उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र में लिखी जन्म की तारीख मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दी गई आयु से भिन्न हो और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण न दिया गया हो तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है ।

नोट 1 :—जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र (कम्प्लीटड सेकण्डरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट) हो, उसे इस प्रमाण-पत्र की मूल प्रति के साथ केवल आयु संबंधी प्रविष्टि वाले पृष्ठ की प्रतिलिपि भेजनी चाहिए ।

नोट 2—उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार लिख भेजने और आयोग द्वारा उसके स्वीकृत हो जाने के बाद किसी अगली परीक्षा में उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाएगी ।

नोट 3 :—जिन विस्थापित लोगों के मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पाकिस्तान में रखी गई हो, उन्हें संबद्ध विश्व-विद्यालय से उसकी नकल मंगवा लेनी चाहिए । यदि वे संबद्ध विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र की नकल न मंगवा सकते हों तो उन्हें विश्वविद्यालय के उस गजट का उद्धरण भेजना चाहिए जिसमें उनके परीक्षा परिणाम प्रकाशित हुए हों । इस उद्धरण में जन्म की तारीख लिखी होनी चाहिए और यह रजिस्ट्रार या हैडमास्टर द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए ।

(iii) चरित्र का प्रमाण-पत्र :—उम्मीदवार को उस शिक्षा संस्था के किसी प्राधिकारी (जैसे प्रिंसिपल, प्राक्टर, डीन आदि) से, जिसमें वह पढ़ रहा हो या जिसमें वह आवेदन करने की तारीख से पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक वर्ष तक पढ़ चुका हो, चरित्र का प्रमाण-पत्र लेकर उसकी एक प्रतिलिपि के साथ भेजना चाहिए ।

प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले को अपना पूरा पदनाम लिखना चाहिए ।

नोट 1 :—जिस उम्मीदवार ने आवेदन-पत्र भेजने की तारीख से पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक शैक्षिक वर्ष तक किसी

शिक्षा संस्था में अध्ययन न किया हो वह किसी सेवा-रत राज-पत्रित अधिकारी से चरित्र का प्रमाण-पत्र लेकर उसकी एक प्रतिलिपि के साथ भेज सकता है ।

नोट 2 :—चरित्र का एक ही प्रमाण-पत्र अपेक्षित है ।

(iv) शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र—उम्मीदवार को अपना मूल प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ भेजना चाहिए ताकि इस बात का प्रमाण मिल सके कि नियमावली के पैरा 6 में निर्धारित योग्यताओं में से कोई एक योग्यता उसके पास है । भेजा गया प्रमाण-पत्र उस प्राधिकारी (अर्थात् विश्वविद्यालय या किसी अन्य परीक्षा-निकाय) का होना चाहिए जिसने उसे उस योग्यता विशेष का प्रमाण-पत्र दिया हो । यदि ऐसा प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा न भेजा जाए तो उम्मीदवार को उसे न भेजने का कारण बताना चाहिए और अपेक्षित योग्यता से संबद्ध अपने दावे के प्रमाण में किसी अन्य प्रमाण-पत्र की मूल प्रति भेजनी चाहिए । आयोग इस प्रमाण के औचित्य पर विचार करेगा, किन्तु वह उसे पर्याप्त मानने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

नोट 1 :—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह भी इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है । जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा (इक्वालिफाइंग एक्जामिनेशन) में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के प्रारंभ होने से पहले समाप्त हो जाए । यदि ऐसे उम्मीदवार अन्य शर्तें पूरी करते हैं तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा । परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अन्तिम मानी जाएगी और यदि वे अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी-से-जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के प्रारंभ होने की तारीख से अधिक-से-अधिक दो महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है ।

नोट 2 :—इस परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को, जिसके पास नियमावली के पैरा 6 (ड) में उल्लिखित योग्यता हो, संबद्ध कालेज/संस्था/विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल/डीन से लिया गया एक प्रमाण-पत्र यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह उक्त नियम में उल्लिखित विशेष विषयों में किसी एक के साथ एम० एम०-सी० डिग्री या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण/सम्मिलित हुआ है ।

(v) फोटो की तीन प्रतियाँ :— उम्मीदवार को अपने हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० × 7 सें० मी०) के फोटो की तीन प्रतियाँ अवश्य भेजनी चाहिए । इनमें से एक-एक प्रति आवेदन प्रपत्र तथा साक्ष्यकन प्रपत्र के पहले पृष्ठ पर चिपका देनी चाहिए और तीसरी प्रति आवेदन-पत्र के साथ अच्छी तरह नथी कर देनी चाहिए । फोटो की प्रत्येक प्रति के ऊपर उम्मीदवार को स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए ।

5. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र अधूरा या गलत भरा हुआ हो या उसके साथ ऊपर पैरा

4(ii), 4(iii), 4(iv) और 4(v) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र आदि में से कोई एक संलग्न न हो और उसे न भेजने का उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया हो तो यह आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है और इस अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी । यदि कोई प्रमाण-पत्र आदि आवेदन-पत्र के साथ न भेजे गए हों तो उन्हें आवेदन-पत्र भेजने के बाद शीघ्र ही भेज देना चाहिए और उनको [ऊपर पैरा 4(iv) के नोट 1 में उल्लिखित स्थिति को छोड़कर] हर हालत में आवेदन-पत्र भेजने की अंतिम तारीख से एक महीने के भीतर आयोग के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए । यदि ऐसा न किया गया तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है ।

उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि जो भी प्रमाण-पत्र आदि वे प्रस्तुत करें, उनकी किसी भी प्रविष्टि में वे कभी भी कोई शुद्धि या परिवर्तन न करें, न उनमें किसी अन्य प्रकार का फेर-बदल करें, और न ही फेर-बदल किए गए प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करें । यदि कोई अशुद्धि हो अथवा ऐसे दो या अधिक प्रमाण-पत्रों आदि में कोई असंगति हो तो उस असंगति के बारे में अलग से स्पष्टीकरण देना चाहिए ।

6. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता ('या जीवित माता या पिता) आम तौर से रहते हों, जिला अधिकारी या उप-मण्डल अधिकारी या किसी अन्य ऐसे अधिकारी से, जिसे संबद्ध राज्य सरकार ने यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मक्षम अधिकारी के रूप में नामित किया हो, नीचे दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा में भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आम तौर पर रहता हो ।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का उम्मीदवार उक्त प्रमाण-पत्र अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के वृत्तिक (स्टाड-पेंडिअरी, मैजिस्ट्रेट या रेवेन्यू कमिस्टेंट) से भी लेकर प्रस्तुत कर सकता है ।

भारत सरकार के पवों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* . . .
 सुपुत्र/सुपुत्री* श्री
 जो गांव/कस्बा*
 जिला मण्डल*
 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
 के/की* निवासी हैं,
 जाति/आदिम जाति* के/की* हैं जिसे
 निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम
 जाति* के रूप में मान्यता दी गई है :—

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियां (संशोधन) आदेश, 1956।*

संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956।*

संविधान (अंडमान और निकोबार-द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1959।*

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962।*

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1962।*

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964।*

संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967।*

2. श्री/श्रीमती/कुमारी*

..... और/या* उनका परिवार आम तौर से गांव/कस्बा* जिला/मंडल* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में रहते/रहती* हैं।

हस्ताक्षर
**पद
(कार्यालय की मोहर)

राज्य *

स्थान

तारीख संघ राज्य क्षेत्र

*जो शब्द लागू नहीं उन्हें कृपया काट दें।

नोट :—यहां "आम तौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो "रिप्रिजेंटेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, 1950" की धारा 20 में है।

**अनुसूचित जाति/आदिम जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी।

(i) जिला मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/क्लैक्टर/ डिप्टी कमिश्नर/ऐडिशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी क्लैक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडिअरी मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/† सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट/ताल्लुक मैजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट/एक्टिंग अमिस्टेंट कमिश्नर।

† (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडिअरी मैजिस्ट्रेट में कम ओहदे का नहीं)।

(ii) चीफ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट/ऐडिशनल चीफ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट।

(iii) रेक्ज्यू अफ़गर, जिनका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।

(iv) उम इलाके का सब-डिवीजनल अफ़गर जहां उम्मीदवार और/या उमका परिवार आम तौर से रहता हो।

(v) ऐडमिनिस्ट्रेटर/ऐडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डेप्युटी सचिव अफ़गर (लकादिव, मिनिक्वाय और अमिनदिव द्वीप-समूह)।

7. (i) उपाबंध-I के पैरा 3 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क में छूट चाहने वाले पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित किसी भी व्यक्ति को दंडकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों के कैंप कमांडेंट से, अथवा महायता शिविरों के कैंप कमांडेंट से, अथवा उस क्षेत्र के जिला मैजिस्ट्रेट से जिनमें वह इस समय निवास कर रहा है, लिया गया मूल प्रमाण-पत्र, उसकी प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह पूर्वी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964, को या उसके बाद भारत आया है। उसे किसी जिला अधिकारी से अथवा सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी से अथवा संसद् या राज्य विधान मण्डल के किसी सदस्य से लिया गया मूल प्रमाण-पत्र भी यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में नहीं है।

(ii) उपाबंध-I के पैरा 3 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क में छूट चाहने वाले श्रीलंका से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति को श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय से लिया गया इस आशय का मूल प्रमाण-पत्र, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, प्रस्तुत करना चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो अक्टूबर, 1964, के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवंबर, 1964, को या उसके बाद भारत आया है। उसको किसी जिला अधिकारी से अथवा सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी से अथवा संसद् या राज्य विधान मण्डल के किसी सदस्य से लिया गया मूल प्रमाण-पत्र भी यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में नहीं है।

(iii) उपाबंध-I के पैरा 3 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क में छूट चाहने वाले बर्मा से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति को भारतीय राजदूतावास रंगून द्वारा दिया गया मूल पहिचान प्रमाण-पत्र, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो 1 जून, 1963, को या उसके बाद भारत आया है अथवा उसे जिस क्षेत्र का वह निवासी है उसके जिला मैजिस्ट्रेट से लिया गया एक प्रमाण-पत्र यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और 1 जून, 1968, को या उसके बाद भारत आया है। उसको किसी जिला अधिकारी से अथवा सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी से अथवा संसद् या राज्य विधान मण्डल के किसी सदस्य से लिया गया मूल प्रमाण-पत्र भी यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में नहीं है।

(iv) नियमावली के पैरा 5(ग) (ii) अथवा 5(ग) (iii) के अंतर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति को दंडकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों

के कैंप कमांडेंट से, अथवा सहायता शिविरों के कैंप कमांडेंट से, अथवा उस क्षेत्र के जिला मैजिस्ट्रेट से, जिसमें वह इस समय निवास कर रहा है, लिया गया मूल प्रमाण-पत्र, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह पूर्वी पाकिस्तान से **वास्तविक** विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964, को अथवा उसके बाद भारत आया है।

(v) नियमावली के पैरा 5(ग) (iv) के अंतर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के उम्मीदवार को उम्र शिक्षा संस्था के प्रिंसिपल से, जिसमें उसने शिक्षा प्राप्त की है, लिया गया मूल प्रमाण-पत्र, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि उसने किसी स्तर पर फ्रेंच के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है।

(vi) नियमावली के पैरा 5(ग) (v) अथवा 5(ग) (vi) के अंतर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले श्रीलंका से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय उम्मीदवार को श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय से लिया गया मूल प्रमाण-पत्र, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो अक्टूबर, 1964, के भारत श्रीलंका सगमती के अधीन 1 नवंबर, 1964 को या उसके बाद भारत आया है।

(vii) नियमावली 5(ग) (vii) के अंतर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले कोनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य टंजानिया (भूतपूर्व टंजानिका तथा जंजीबार) से आए हुए उम्मीदवार को, उम्र क्षेत्र के जिला मैजिस्ट्रेट से जहां वह इस समय निवास कर रहा है, लिया गया मूल प्रमाण-पत्र, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह **वास्तव** में उपर्युक्त देशों से आया है।

(viii) नियमावली 5(ग) (viii) अथवा 5(ग) (ix) के अंतर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले बर्मा से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय उम्मीदवार को भारतीय राजदूतावास, रंगून, द्वारा जारी किया गया मूल पहिचान प्रमाणपत्र, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो 1 जून, 1963, को या उसके बाद भारत आया है, अथवा उसे जिन क्षेत्र का वह नियतसी है उसके जिला मैजिस्ट्रेट से लिया गया एक प्रमाण-पत्र यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह बर्मा से **वास्तविक** प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और 1 जून, 1963, को या उसके बाद भारत आया है।

(ix) नियमावली के पैरा 5(ग) (x) अथवा 5(ग) (xi) के अंतर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को, जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महा-निदेशक, पुनर्वासन, रक्षा मंत्रालय, से नीचे निर्धारित फार्म पर लिया गया मूल प्रमाण-पत्र, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट के रैंक नं० श्री रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में/अशांतिग्रस्त क्षेत्र में* फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और उम्र विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।

हस्ताक्षर
पदनाम
तारीख

*जो शब्द लागू न हो उसे कृपया काट दें।

(x) नियमावली के पैरा 5(ग) (xii) के अंतर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले गोआ, दमन और दियू के संघ राज्य क्षेत्र के उम्मीदवार को अपनी मांग की पुष्टि के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से लिया गया मूल प्रमाण-पत्र, उसकी एक प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत करना चाहिए :—

- (1) सिविल प्रशासन का निदेशक
- (2) कोंसलहोम के प्रशासक (ADMINISTRATORS OF THE CONCELHOS)

8. (क) यदि किसी व्यक्ति के लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र (एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट) आवश्यक हो तो उसे अभीष्ट पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के पर्यटन तथा नागर विमानन/सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय/संचार विभाग को आवेदन करना चाहिए।

(ख) यदि किसी व्यक्ति के लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक न हो तो उसे प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सामने नान-जुडीशल स्टाम्प-पेपर पर नीचे लिखे किसी भी रूप में (जो उम्र पर लागू होता हो) शपथ लेकर शपथ-पत्र (एफिडेविट) प्रस्तुत करना चाहिए :—

(1) "मैं घोषणा करता हूँ कि मैं 19 जुलाई, 1948, से पहले उन इलाकों से भारत आया था जो अब पाकिस्तान में हैं और मैं तब से आम तौर पर भारत में रह रहा हूँ।"

(2) "मैं घोषणा करता हूँ कि मैं 19 जुलाई, 1948, को या उसके बाद उन इलाकों से भारत आया था जो अब पाकिस्तान में हैं और मैं तब से आम तौर पर भारत में रह रहा हूँ और मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करा लिया है।"

(3) "मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पात्रता-प्रमाण-पत्र के बिना ही संविधान के लागू होने की तारीख, अर्थात् 26 जनवरी, 1950, से पहले संघ की सेवा में आ गया था और तब से मैं लगातार

उसो सेवा मे हूँ और मेरे सेवाकाल का क्रम नहीं टूटा है।”

नोट :—यदि कोई उम्मीदवार ऊपर की मद्द (2) के अंतर्गत आता है तो वह ऊपर के सब-पैरा (ख) में अपेक्षित, प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सामने लिए शपथ-पत्र के स्थान पर भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण का मूल प्रमाण-पत्र, एक प्रतिलिपि के साथ, प्रस्तुत कर सकता है।

9. ऊपर के पैरा 4(ii), 4(iii), 4(iv), 6, 7 और 8 (ख) में उल्लिखित मूल प्रमाण-पत्र (उनकी प्रतिलिपियों के साथ) अवश्य भेजे जाने चाहिए। आयोग मूल प्रमाण-पत्रों के बिना इन प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित या किसी अन्य प्रकार की प्रतियां स्वीकार नहीं करता।

ऊपर के पैरा 4(ii), 4(iii), 4(iv), 6, 7 और 8 (ख) के अनुसार भेजे गए सभी मूल प्रमाण-पत्र उम्मीदवार को आवेदन-पत्र के परिणाम की सूचना देते समय लौटा दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रमाण-पत्रों को आयोग के पास भेजने से पहले उनकी अभिप्रमाणित प्रतियां अपने पास रख लें। आयोग आवेदन-पत्र के परिणाम की सूचना भेजने के पूर्व इन प्रमाण-पत्रों को न तो लौटा सकता है और न ही उनकी अभिप्रमाणित प्रतियां भेज सकता है, चाहे उम्मीदवार को उनकी आवश्यकता किसी भी काम के लिए क्यों न हो।

यदि उम्मीदवार ऊपर के पैरा 4(ii), 4(iii), 4(iv), 6, 7 और 8(ख) में उल्लिखित प्रमाण-पत्रों को, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई किसी परीक्षा के संबंध में पहले ही भेज चुका हो, और उन्हें अभी तक उसे लौटाया नहीं गया हो तो उसे अपना आवेदन-पत्र भेजते समय यह बात लिख देनी चाहिए और यदि हो सके तो प्रत्येक प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि भी साथ भेजनी चाहिए। यदि प्रमाण-पत्र आयोग के पास नहीं तो, चाहे उम्मीदवार इस आयोग द्वारा ली गई किसी अन्य परीक्षा में पहले बैठा हो या नहीं, उसे आवेदन-पत्र के साथ प्रमाण-पत्र अवश्य भेजने चाहिए। यदि कोई प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ न भेजा जा सके तो आवेदन-पत्र में उसे भेजने का उचित कारण अवश्य लिखा जाता चाहिए।

10. आवेदन-पत्र देर से प्रस्तुत किए जाने पर देरी के कारण के रूप में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आवेदन-पत्र ही अमुक तारीख को भेजा गया था। आवेदन-पत्र को भेजा जाना ही स्वतः इस बात का सूचक न होगा कि प्रपत्र पाने वाला परीक्षा में बैठने का पात्र हो गया है।

11. यदि परीक्षा से संबद्ध आवेदन-पत्रों के पहुंच जाने की आखिरी तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र की पावती (एक्नानिजमेंट) न मिले तो उसे पावती प्राप्त करने के लिए आयोग से तत्काल संपर्क स्थापित करना चाहिए।

12. इस परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन-पत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि परिणाम कब सूचित

किया जाएगा। यदि परीक्षा के शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र के परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से कोई सूचना न मिले तो परिणाम की जानकारी के लिए उसे आयोग से तत्काल संपर्क स्थापित करना चाहिए। यदि उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया तो वह अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

13. पिछले वर्षों में ली गई परीक्षाओं के नियमों और प्रश्न-पत्रों से संबद्ध पुस्तिकाओं की प्रतियों की बिक्री मैनेजर आफ पब्लिकेशंस विजिल ल.इन्फ, दिल्ली-6 के द्वारा की जाती है और उन्हें वहां से केवल रोल आर्डर द्वारा साधे प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें (i) किताब महल, 14 ए बैरकस जनपथ, नई दिल्ली और (ii) गवर्नमेंट आफ इंडिया बुकशिप, 8, हेस्टिंग्स स्ट्रीट, कलकता-1, से भी नकद पैसा देकर खरीदा जा सकता है। ये पुस्तिकाएं विभिन्न मुकामिल नगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजेंटा से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

14. आवेदन-पत्र से संबद्ध पत्र-व्यवहार :—आवेदन-पत्र से संबद्ध सभी पत्र आदि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-11, को भेजे जाएं तथा उनमें नीचे लिखा ब्योरा अनिवार्य रूप से दिया जाए।

- (i) परीक्षा का नाम
- (ii) परीक्षा का महीना और वर्ष
- (iii) रोल नंबर (यदि उम्मीदवार को सूचित कर दिया गया हो)
- (iv) उम्मीदवार का नाम (बड़े अक्षरों में)
- (v) आवेदन-पत्र में दिया गया पत्र-व्यवहार का पता।

ध्यान दें :—जिन पत्रों आदि में यह ब्योरा नहीं होगा संभवतः उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

15. पत्रों का परिवर्तन :—उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन-पत्र में उल्लिखित पत्र पर भेजे गए पत्र आदि, आवश्यक होने पर, उसको बदले हुए पत्र पर मिला जाया करें। पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना, उपर्युक्त पैरा 14 में उल्लिखित ब्योरे के साथ यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। यद्यपि आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है किन्तु इस विषय में वह कोई जिम्मेवारी स्वीकार नहीं कर सकता।

विज्ञापन सं० 45

निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाने हैं। उम्मीदवारों की आयु 1-1-68 को निर्धारित आयु-सीमाओं के अन्तर्गत होनी चाहिए, किन्तु सरकारी कर्मचारियों को, उन पदों को छोड़कर जिनके संबंध में ऐसी छूट देने का उल्लेख किया गया

हो, आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। ऊपरी आयु-सीमा में 1-1-64 को या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित तथा 1-6-63 एवं 1-11-64 को या उसके बाद क्रमशः बर्मा और श्रीलंका में प्रस्थापित लोगों के लिए 45 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है; अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है। विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर अन्य लोगों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और छूट किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अन्य दृष्टियों से सुयोग्य उम्मीदवारों को, आयोग यदि चाहे तो योग्यताओं में छूट प्रदान कर सकता है। केवल उन पदों को छोड़कर जिनके संबंध में ऐसा वेतन न देने का उल्लेख किया गया हो, विशेषतया योग्य एवं अनुभवी उम्मीदवारों को उच्च प्रारंभिक वेतन दिया जा सकता है।

आवेदन-प्रपत्र और विवरण मन्त्रि, संघ लोक सेवा आयोग, पोस्ट बाक्स संख्या 186, नई दिल्ली से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रपत्र के लिए अनुरोध करते समय पद का नाम, विज्ञापन संख्या एवं मद संख्या अवश्य लिखें, और साथ ही प्रत्येक पद के लिए कम से कम 23×10 सें० सी० आकार का अपना पता लिखा हुआ टिकट रहित लिफाफा भेजना चाहिए; लिफाफे पर उम पद का नाम लिखा होना चाहिए जिसके लिए आवेदन पत्र मांगा जा रहा है। आयोग 1-1-64 को या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए ऐसे विस्थापित व्यक्तियों का शुल्क माफ कर सकता है जो यथार्थतः निर्धन हों। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग शुल्क के साथ अलग-अलग आवेदन-पत्र भेजना चाहिए। विदेशों में रहने वाले उम्मीदवार आवेदन-पत्र न मिलने पर, सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं और स्थानीय भारतीय दूतावास में शुल्क जमा कर सकते हैं। यदि आवश्यक समझा गया तो उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। रु० 8.00 (अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रु० 2.00) के रेखांकित (काम किए हुए) भारतीय पोस्टल आर्डर सहित, आवेदन-पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख 9 दिसम्बर, 1968 (विदेशों तथा अंडमान, निकोबार, लकादिव, मिनिक्वाय एवं अमिनदिव द्वीपसमूह में रहने वाले आवेदकों के लिए 23 दिसम्बर, 1968) है। खजाना रसीद स्वीकार नहीं की जाएगी।

क्रम-संख्या 1, 9, 18 तथा 22 के पद स्थायी हैं। क्रम-संख्या 5, 6, 10, 12 से 17, 20, 21, 24, 26 तथा 30 के पद अस्थायी हैं किन्तु उनके स्थायी आधार पर चलते रहने की संभावना है। क्रम-संख्या 2, 11, 19, 27 तथा 29 के पद स्थायी हैं किन्तु उनके अनिश्चित काल तक चलते रहने की संभावना है। क्रम-संख्या 3, 4, 7, 8, 23, 25 तथा 28 के पद अस्थायी हैं किन्तु उनके चलते रहने की संभावना है।

क्रम-संख्या 19, 20 तथा 23 में से प्रत्येक का एक पद, क्रम-संख्या 24 के दो पद तथा क्रम-संख्या 4, 17, 18 और 29 के पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। क्रम-संख्या 19 तथा 23 में से प्रत्येक का एक पद तथा क्रम-संख्या 8 का पद, अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। क्रम-संख्या 25 का पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और उसके न मिलने पर अनुसूचित आदिम

जातियों के उम्मीदवार के लिए आरक्षित रहेगा। क्रम-संख्या 24 का एक पद अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है और उसके न मिलने पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार के लिए आरक्षित रहेगा। यदि आरक्षित जातियों के उपर्युक्त उम्मीदवार नहीं मिलते तो उपर्युक्त सभी पदों को अनाक्षित समझा जाएगा।

1. एक निवेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय; शिक्षा मंत्रालय। वेतन:— रु० 1800-100-2000। आयु:— 50 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं:— अनिवार्य:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से भारतीय इतिहास, पुरातत्व विज्ञान (Archaeology) या मानव विज्ञान, या संस्कृत या पाली, या प्राकृत या फारसी या अरबी या ललित कलाओं में, या इनमें से दो या अधिक में "मास्टर" डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता (ii) अनुसंधान का अनुभव (लेख-बद्ध प्रमाण प्रस्तुत किया जाए)। (iii) किसी प्रतिष्ठित संग्रहालय में दस वर्ष का अनुभव तथा किसी उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। (iv) भारतीय पुरावशेषों (Antiquities) पुरातत्वीय उत्खनन (Excavation), संग्रहालयों एवं प्रकाशनों, भारतीय कला एवं अलंकरण कला (Decorative Arts) का ज्ञान। (v) कुछ विद्वत्पूर्ण प्रकाशन जो महत्वपूर्ण और वैविध्यपूर्ण हों।

2. एक सीनियर प्रोप्रेमर, महापंजीकार का कार्यालय, गृह मंत्रालय। वेतन:— रु० 700-40-1100-50/2-1250। आयु:— 40 वर्ष या उससे कम योग्यताएं: अनिवार्य:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या सांख्यिकी सहित अर्थशास्त्र / गणित में "मास्टर" डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता। (ii) इलैक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर पर प्रोग्रामिंग में प्रशिक्षण, जो वरीयतः आई० बी० एम० 1401 प्रणाली का हो। (iii) किसी सरकारी कार्यालय, मान्यता प्राप्त संस्थान या विख्यात व्यवसाय प्रतिष्ठान में यांत्रिक सारणीयन उपकरण (Mechanical Tabulation Equipment) के संचालन तथा इस प्रकार के उपकरण पर कार्य के आयोजन एवं पर्यवेक्षण का लगभग पांच वर्ष का अनुभव जिसमें लगभग तीन वर्ष का अनुभव वरीयतः आई० बी० एम० 1401 प्रणाली पर कार्यक्रम लिखने का हो।

3. एक कला प्रबन्धक (Art Executive), विज्ञापन तथा वृश्य प्रचार निदेशालय; सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय। वेतन:— रु० 820-40-1100-50/2-1150। आयु:— 30 तथा 45 वर्ष के बीच। योग्यताएं: अनिवार्य:— (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वाणिज्य कला के विषय सहित डिप्लोमा। (ii) किसी वृहत व्यावसायिक स्टूडियो अथवा सरकार के अधीन किसी ममान संगठन में कला निदेशक की हैसियत से अनुभव।

4. एक सीनियर अनुसंधान अधिकारी, परिप्रेक्ष्य आयोजन प्रभाग, योजना आयोग, नई दिल्ली। वेतन:— रु० 700-40-1100-50/2-1250। आयु:— 40 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं: अनिवार्य:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में द्वितीय श्रेणी की "मास्टर" डिग्री (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्था या सरकारी विभाग में लगभग पांच वर्ष का अनुसंधान का अनुभव

जिसमें संख्यात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा विशेष रूप में आयोजन समस्याओं में निविष्ट-निपज तकनीकों (Input-Output Techniques) का प्रयोग निहित हो।

5. सिविल इंजीनियरी का एक जूनियर प्रोफेसर, पंजाब इंजीनियरी कालेज, चंडीगढ़। वेतन :—रु० 1000-50-1250/50-1500/- तथा साथ में पंजाब सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर सामान्य भत्ते। आयु :— 45 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं : अनिवार्य :—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता। (ii) लगभग दस वर्ष का व्यावसायिक, अध्यापन और / या अनुसंधान का अनुभव जिसमें डिग्री कक्षाओं के अध्यापन का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव सम्मिलित हो।

6. एक जूनियर प्रोफेसर (यांत्रिक), पंजाब इंजीनियरी कालेज, चंडीगढ़। वेतन :—रु० 1000-50-1250/50-1500/ तथा साथ में पंजाब सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर सामान्य भत्ते। आयु :— 45 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं : अनिवार्य :—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता। (ii) लगभग आठ वर्ष का व्यावसायिक, अध्यापन, अनुसंधान, डिजाइन का अनुभव जिसमें डिग्री कक्षाओं के अध्यापन का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव सम्मिलित हो।

7. खाद्य एवं पोषाहार (Nutrition) का एक सीनियर लेक्चरर, होम साइंस कालेज, चंडीगढ़। वेतन :— रु० 400-30-640-40-800। आयु :— 40 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं : अनिवार्य :—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य एवं पोषाहार में विशेषज्ञता सहित गृह-विज्ञान या जीव-रसायन शास्त्र में द्वितीय श्रेणी की "मास्टर" डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता। (ii) दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव।

8. एक सिविल इंजीनियर, सेंट्रल स्टेट फार्म, जलंधर (पंजाब); खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय। वेतन :— 700-40-1100-50/2-1250। आयु :— 40 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं : अनिवार्य :— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक/सिविल इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता। (ii) नलकूपों के निर्माण, संचालन तथा अनु-रक्षण का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

9. एक हार्बर मास्टर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय। वेतन :— रु० 1100-50-1400-50/2-1500/ तथा साथ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में नियुक्त उम्मीदवारों के लिए स्वीकृत कुछ रिआयते। आयु :— वरीयतः 50 वर्ष से कम। योग्यताएं : अनिवार्य :— (i) किसी विदेशीगामी जलयान के पोताध्यक्ष की समक्षता का प्रमाण-पत्र (ii) किसी विदेशी व्यापार जलयान के कमांड का या किसी विदेश गामी जलयान के मालिम अफसर (Mate) की हैसियत में अनुभव। (iii) किसी कार्यालय के संचालन तथा नौवहन का अनुभव।

10. एक सीनियर वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड II (सांख्यिकीविद्) रोजगार तथा प्रशिक्षण महा-निदेशालय; श्रम, रोजगार तथा

पुनर्वास मंत्रालय। वेतन :— रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950। आयु :— 45 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं : अनिवार्य :—(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की "मास्टर" डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम दो वर्ष के प्रशिक्षण के बाद लिया गया सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (ii) मनीमिति (Psychometrics) या मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में सांख्यिकी के प्रयोग का लगभग तीन वर्ष का अनुभव।

11. एक सहायक विकास अधिकारी धातु (विज्ञान), तकनीकी विकास महानिदेशालय, औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय। वेतन :—रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950। आयु :— 30 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं : अनिवार्य :— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से धातुकर्मक इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता।

12. यंत्र इंजीनियरी का एक सहायक प्रोफेसर, ई०एम०ई० स्कूल, बड़ौदा; रक्षा मंत्रालय। वेतन :— रु० 700-40-1100-50/2-1250। आयु :— 40 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं : अनिवार्य :—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता जो उसी क्षेत्र में डिग्री/स्नातकोत्तर स्तर पर यंत्र-व्यवस्था (Instrumentation) के विषय सहित हो। (ii) विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं में डिग्री कक्षाओं के अध्यापन का लगभग पांच वर्ष का अनुभव।

13. आटोमोबाइल इंजीनियरी का एक लेक्चरर, ई०एम०ई० स्कूल, बड़ौदा, रक्षा मंत्रालय। वेतन :— रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950। आयु :— 35 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं : अनिवार्य :— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आटोमोटिव इंजीनियरी के विषय सहित यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता। (ii) विश्वविद्यालय स्तर की किसी संस्था में डिग्री कक्षाओं के अध्यापन का लगभग दो वर्ष का अनुभव।

14. एक सहायक तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (रेडियो-लाजी) सशस्त्र सेना मेडिकल स्टोर डिपो; रक्षा मंत्रालय। वेतन :— रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो० 35-950। आयु :— 35 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं : अनिवार्य :— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विद्युत इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता जो (i) इलेक्ट्रॉनिकी के विषय सहित; या (ii) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में व्यावहारिक अनुभव सहित हो। नोट :— जो उम्मीदवार इस पद के लिए 1-6-1968 को प्रकाशित पूर्व-विज्ञापन के आधार पर आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

15. दो सीनियर वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड II, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय अनुसंधान एवं विकास संगठन; रक्षा मंत्रालय। वेतन :—रु० 400-40-800-50-950। आयु : वरीयतः 30 वर्ष से कम। योग्यताएं : अनिवार्य :—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में द्वितीय श्रेणी की 'मास्टर' डिग्री

अथवा समकक्ष योग्यता। (ii) मनोविज्ञान में अनुसंधान या अध्यापन का लगभग दो वर्ष का अनुभव।

16. एक जूनियर वैज्ञानिक अधिकारी, सी० आई० टी० ऐंड सी०, कानपुर, रक्षा उत्पादन विभाग; रक्षा मंत्रालय। वेतन :— रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900। आयु :—वरीयतः 30 वर्ष से कम। योग्यताएं: अनिवार्य:—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वस्तु प्रौद्योगिकी में द्वितीय श्रेणी की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता।

17. यांत्रिक इंजीनियरी का एक सहायक प्रोफेसर, अप्रेंटिस प्रशिक्षण स्कूल, भोपाल; रक्षा मंत्रालय। वेतन : रु० 700-40-1100-50/2-1250। आयु :—40 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं: अनिवार्य :—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता। (ii) विश्वविद्यालय स्तर की किसी संस्था में डिग्री कक्षाओं के अध्यापन का लगभग पांच वर्ष का अनुभव।

18. यांत्रिक इंजीनियरी का एक लेक्चरर (सीनियर वेतन मान), दिल्ली इंजीनियरी कालेज, दिल्ली। वेतन : रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950। आयु :—40 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं: अनिवार्य :—(i) वही जो उपर्युक्त मद-संख्या 17 के (i) में है। (ii) लगभग एक वर्ष का व्यवसायिक या अनुसंधान तथा अध्यापन का अनुभव।

19. यांत्रिक इंजीनियरी के पांच लेक्चरर, डब्ल्यू पार्सी-टेकनीक, दिल्ली प्रशासन। वेतन : रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950। आयु : 40 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं: अनिवार्य:—(i) वही जो उपर्युक्त मद-संख्या 17 के (i) में है। (ii) लगभग एक वर्ष का व्यवसायिक या अध्यापन का अनुभव।

20. प्रयुक्त विज्ञान के दो लेक्चरर, नौ-इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय; परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय। वेतन : रु० 590-30-830-35-900। आयु: 40 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं: अनिवार्य:—(i) वही जो उपर्युक्त मद संख्या 17 के (i) में है। (ii) किसी विख्यात इंजीनियरी फर्म में (बिग्री विभाग को छोड़ कर) दो वर्ष का कर्मशाला से संबद्ध व्यावहारिक अनुभव अथवा कुछ व्यवहारिक अनुभव सहित यांत्रिक इंजीनियरी के अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव अथवा अध्यापन तथा कर्मशाला से संबद्ध कार्य का कुल मिलाकर दो वर्ष का अनुभव।

21. एक कार्यकारी इंजीनियर (यांत्रिक), विकास सलाहकार संगठन; परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय, (परिवहन पक्ष)। वेतन: रु० 700-40-1100-50/2-1250। आयु: 40 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं: अनिवार्य :—(i) वही जो उपर्युक्त मद-संख्या 17 के (i) में है (ii) किसी विख्यात कर्मशाला में जहां वरीयतः नौ-इंजनों तथा सहायक मशीनरी के उत्पादन और/या मरम्मत का काम होता हो, लगभग पांच वर्ष का अनुभव। अथवा (i) प्रथम श्रेणी का बी० ओ० टी० या एम० ओ० टी० प्रमाण-पत्र। (ii) किसी बृहत नौ-कर्मशाला या यांत्रिक कर्मशाला में उन्नत-दायित्व पूर्ण पद पर लगभग तीन वर्ष का अनुभव।

22. एक उप प्रशासन अधिकारी, दिल्ली इंजीनियरी कालेज, दिल्ली, दिल्ली प्रशासन। वेतन: रु० 590-30-830-35-900। आयु: 40 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं: अनिवार्य:—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता। (ii) सात वर्ष का अनुभव जिसमें सरकारी संस्था में पर्यवेक्षक की हैमियत में चार वर्ष का अनुभव सम्मिलित हो।

23. तीन अनुवादक (रूसी/अंग्रेजी), रक्षा मंत्रालय। वेतन :— रु० 325-15-475-द० रो०-20-575। आयु: 45 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं: अनिवार्य:—(i) वही जो उपर्युक्त मद-संख्या 22 के (i) में है। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रूसी भाषा में डिप्लोमा या उच्च प्रवीणता प्रमाण-पत्र अथवा समकक्ष योग्यता। (iii) लगभग दो वर्ष का रूसी अध्यापन का अथवा रूसी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से रूसी में अनुवाद/दुभाषिया कार्य का अनुभव।

24. तीन प्रबन्धक दुग्ध संग्रह एवं अभिशोषण (Chilling) केन्द्र, दिल्ली दुग्ध योजना। वेतन : रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900। आयु : 35 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं: अनिवार्य:—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से डेरी विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा; अथवा डेरी विज्ञान में विशिष्ट प्रशिक्षण सहित रसायन शास्त्र या रसायन प्रौद्योगिकी में 'मास्टर' डिग्री; अथवा डेरी विज्ञान में विशिष्ट प्रशिक्षण सहित पशु-पालन विज्ञान या कृषि में डिग्री या डिप्लोमा। (ii) दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थों के उत्पादन से संबद्ध किसी बड़े डेरी संयंत्र में लगभग दो वर्ष का अनुभव।

25. एक अनुसंधान सहायक (भूगोल), वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय। वेतन : रु० 325-15-475-द० रो०-20-575। आयु: 35 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं: अनिवार्य : (i) भूगोल में 'मास्टर' डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता तथा हिंदी और अंग्रेजी का ठोस ज्ञान। (ii) शब्दावली से संबद्ध, कोश-रचना (Lexicographical) तथा साहित्यिक पत्रकारिता का अनुभव जिसमें हिन्दी का प्रयोग निहित हो।

26. एक अनुसंधान अधिकारी, विधान-मंडल विभाग, गोआ, वसन्त तथा दिव्य सरकार, पाणजी। वेतन : रु० 350-25-575। आयु : 35 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं: अनिवार्य :—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कानून में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री/डिप्लोमा। (iii) किसी प्रतिष्ठित पुस्तकालय में कार्य करने का लगभग दो वर्ष का अनुभव।

27. एक हृद-शल्य चिकित्सा परामर्शदाता (consultant in Cardiac Surgery) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा ब्लास-I का सुपर टाइम ग्रेड I; स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्रालय। वेतन : रु० 1800-100-2000-125-2250/- तथा साथ में रु० 600/- प्रति मास प्रैक्टिस न करने का भत्ता। आयु: 50 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं: अनिवार्य:—(i) भारतीय मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1956, की प्रथम या द्वितीय अनुसूची में अथवा तृतीय अनुसूची के भाग II में सम्मिलित (लाइसेंसिंगएट योग्यताओं को छोड़कर) मान्य मेडिकल योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग II में

सन्निहित शैक्षिक योग्यताओं वाले उम्मीदवारों को भारतीय मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1956, की धारा 13(3) में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। (ii) शल्य-चिकित्सा में स्नातकोत्तर योग्यता, जैसे हृद-शल्य चिकित्सा के विशेष विषय सहित एम० एम०, एफ०आर०सी०एस०, एफ०ए०सी०एस०, अथवा समकक्ष योग्यता। (iii) सोलह वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। (iv) चिकित्सा सहायता/चिकित्सा अनुसंधान/चिकित्सा शिक्षण के क्षेत्र में विग्नत व्यावहारिक तथा प्रशासनिक अनुभव।

28. रोग-ज्ञांच विज्ञान (Pathology) का एक सहायक प्रोफेसर, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्रालय, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा क्लास-I का विशेषज्ञता ग्रह। वेतन: रु० 600-40-1000-द० रो०-50-1300/- तथा साथ में वेतन के 50 प्रतिशत की दर से प्रैक्टिस न करने का भत्ता जो अधिकतम रु० 600/- प्रतिमास होगा और रु० 100/- प्रतिमास विशेष वेतन। आयु: 45 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं: अनिवार्य:— (i) वही जो उपर्युक्त मद-संख्या 27 के (j) में है। (ii) स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता, जैसे एम० डी० (पैथ०), एम० डी० (पैथ० एण्ड बैक्ट०), एम० एम-सी० (पैथ०), एम० एम०-सी० (पैथ० एण्ड बैक्ट०), पी० एच० डी० (पैथ० एण्ड बैक्ट०), डी० एस०सी० (पैथ० एण्ड बैक्ट०), अथवा समकक्ष योग्यता। (iii) निर्धारित स्नातकोत्तर योग्यताओं के बाद किसी मेडिकल कालेज/शिक्षण संस्था में लेक्चरर या समान शिक्षण पद पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

29. दो मुख्य जलीय सर्वेक्षण अधिकारी (Hydrographic Officers) भारतीय नौसेना; रक्षा मंत्रालय। वेतन: रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950। आयु: 35 वर्ष या उससे कम। योग्यताएं: अनिवार्य: (i) इंजीनियरी में डिग्री अथवा गणित या भौतिक शास्त्र या भू-विज्ञान या भूगोल में कम से कम द्वितीय श्रेणी की 'मास्टर' डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता। (ii) सर्वेक्षण कार्य/मानचित्र या चार्ट संकलन का लगभग पांच वर्ष का अनुभव।

30. एक निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन; मंत्रिमंडल सचिवालय। वेतन: रु० 2500-125/2-2750। आयु: वरीयत: 50 वर्ष से कम। योग्यताएं: अनिवार्य: (i) एक प्रकृति विज्ञानी या समाज विज्ञानी साथ में सांख्यिकीय कार्य में विशिष्ट रिकार्ड जिसमें सांख्यिकीय पर्यवेक्षण एवं प्राक्कलन तथा सांख्यिकीय सूचना की प्रामाणिकता का मूल्यांकन निहित हो एवं जिनके पास प्रशासनिक अनुभव सहित निम्नलिखित योग्यताएं हों: (क) सैद्धांतिक या प्रयुक्त सांख्यिकी की किसी शाखा के कार्य पर आधारित 'डाक्टरेट'; (ख) आर्थिक आयोजन तथा राष्ट्रीय विकास से संबंधित अन्वेषणों का अनुभव।

शुद्धि-पत्र

तीन परिवार नियोजन अधिकारी, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा क्लास I का जी० डी० ओ० ग्रेड I (प्रतिनियुक्ति पत्र) संदर्भ:— आयोग के विज्ञापन संख्या 39 की मद-संख्या 20, दिनांक 28-9-68 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि

पदों की संख्या तीन से बढ़ाकर चार कर दी गई है। यह अनिश्चित पद यदि अनुसूचित जातियों का उपयुक्त उम्मीदवार मिलता है तो उसके लिए आरक्षित है, अन्यथा उसे अनारक्षित समझा जाएगा। अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। आवेदन-पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 2-12-68 (विदेशों में तथा अंडमान एवं निकोबार, लकादिव, मिनिक्वाय एवं अभिनदिव द्वीप समूहों में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए 16-12-68) कर दी गई है। जो उम्मीदवार आयोग के पूर्व विज्ञापन के आधार पर आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, मई, 1969

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यांत्रिक इंजीनियरों से संबद्ध भारतीय रेल सेवा के लिए स्पेशल क्लास अप्रेंटिसेजों के चयन हेतु अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, कटक, विल्ही, हैबराबाद, जयपुर, मद्रास, नागपुर, पटियाला, पटना, शिलांग, और त्रिवेन्द्रम में 8 मई, 1969 में एक प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। आयु सीमाएं: उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी, 1950 से पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा 1 जनवरी, 1953 से बाद का नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा कुछ अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है। योग्यताएं: उम्मीदवारों ने गणित, तथा भौतिक-शास्त्र या रसायन शास्त्र में से एक विषय लेकर प्रथम या द्वितीय श्रेणी में इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो अथवा उनके पास नियमावली में निर्धारित कोई अन्य वैकल्पिक योग्यता हो। परीक्षा से संबद्ध पूर्ण विवरण तथा आवेदन-प्रपत्र सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-11, से रु० 1.00 के मनीआर्डर द्वारा अथवा आयोग के कार्टर पर एक रुपया नकद देकर प्राप्त किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को मनीआर्डर कूपन पर 'स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा 1969' स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए तथा अपना नाम और पत्र-व्यवहार का पूरा पता भी साफ बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। मनी आर्डर के स्थान पर पोस्टल आर्डर या चेक या करेंसी नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भरे हुए आवेदन-पत्र संघ लोक सेवा आयोग के पास 6 जनवरी, 1969 (विदेशों में तथा अंडमान एवं निकोबार तथा लकादिव, मिनिक्वाय एवं अभिनदिव द्वीप समूहों में रहने वाले उम्मीदवारों द्वारा 20 जनवरी, 1969) तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए।

इंजीनियरी सेवा (इलेक्ट्रानिकी) परीक्षा, 1969

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित पदों पर भरती के लिए अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, विल्ही, हैबराबाद, जयपुर, मद्रास, शिलांग तथा त्रिवेन्द्रम में 19 अप्रैल, 1969 में एक सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी:— (i) इंजीनियर (क्लास-I), वायरलेस आयोजन एवं समन्वय पक्ष/अनुश्रवण (Monitoting) संगठन, संचार विभाग। (ii) सहायक स्टेशन इंजीनियर (क्लास-I), आकाशवाणी, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय। (iii) सहायक तकनीकी अधिकारी, नागर विमानन विभाग, पर्यटन तथा नागर विमानन

मंत्रालय । आयु-सीमाएं :—1-8-1969 को 20-25 वर्ष । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा कुछ अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है । योग्यताएं :—इंजीनियरी में डिग्री अथवा ए० एम० आई० ई० (भारत) के संवधान "ग" और "बी" में पास । वायरलेस-संचार, इलेक्ट्रानिकी, रेडियो भौतिकी शास्त्र, रेडियो इंजीनियरी के विशेष विषय सहित एम० एस०-सी० डिग्री या समकक्ष योग्यता, अथवा दूर-संचार इंजीनियर संस्था (भारत) की ग्रेजुएट मेम्बर-शिप परीक्षा में पास अथवा दस परीक्षा के लिए मान्य कुछ अन्य योग्यताएं । परीक्षा से सम्बद्ध पूर्ण विवरण तथा आवेदन-प्रपत्र सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-11, मे रू० 1.00 के मनीआर्डर द्वारा अथवा आयोग के काउंटर पर एक रुपया नकद देकर प्राप्त किए जा सकते हैं । उम्मीदवारों को

मनीआर्डर रूप पर "इंजीनियरी सेवा (इलेक्ट्रानिकी) परीक्षा, 1969" स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए तथा अपना नाम और पत्र-व्यवहार का पूरा पता भी साफ़ बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए । मनीआर्डर के स्थान पर पोस्टल आर्डर या चेक या करेंसी नोट स्वीकार नहीं किए जायेंगे । भरे हुए आवेदन-पत्र संघ लोक सेवा आयोग के पास 23 दिसम्बर, 1968 (विदेशों में तथा अंडमान एवं निकोबार तथा लकादिव, मिनिकवाय एवं अमिनदिव द्वीप समूहों में रहने वाले उम्मीदवारों द्वारा 6 जनवरी, 1969) तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए ।

राजेन्द्र लाल,
सचिव,

संघ लोक सेवा आयोग ।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-11, the 24th October 1968

No. F. 2/20/68-Ests.(A)(I).—The President is pleased to appoint Shri M. C. Mago, a permanent Grade II Stenographer of the C.S.S.S. cadre of the Union Public Service Commission to officiate in Grade I of the Service in the same cadre for the period from 24-10-1968 to 30-11-1968 vice Shri B. S. Jain, permanent Grade I Stenographer granted leave.

R. K. G. RAU
Under Secretary,
(In-charge of Administration)
Union Public Service Commission

New Delhi-11, the 28th October 1968

No. P./1528-Ests.(A)(I).—The services of Shri Dharam Vir, an officer of the Indian Audit and Accounts Service, and Under Secretary in the office of the Union Public Service Commission have been replaced at the disposal of the Comptroller and Auditor General of India with effect from the afternoon of the 24th October, 1968.

R. K. G. RAU
Under Secretary
Union Public Service Commission

New Delhi-11, the 28th October 1968

No. P/1594-Ests.(A)(I).—Secretary, Union Public Service Commission, is pleased to appoint Shri H. G. Hanumappa, formerly Research Assistant in the Vaikunth Mehta National Institute of Co-operative Management to the temporary post of Junior Research Officer in the office of the Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 28th September, 1968, until further orders.

R. K. G. RAU
Under Secretary,
for Secretary,
Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Central Bureau of Investigation

New Delhi, the 28th October 1968

No. PF/S-73/65-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Srikishanlal, Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation, FS-II, New Delhi, to officiate as Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation, Special Investigation Unit, Head Office, New Delhi, in a purely temporary capacity

with effect from the forenoon of 21-9-1968, until further orders.

F. V. ARUL, Director, Central Bureau of Investigation

New Delhi, the 26th October 1968

No. PF/H-41/65-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Harbans Singh, an officer of Uttar Pradesh Police, on deputation, as Superintendent of Police in the Delhi Special Police Establishment Division of the Central Bureau of Investigation, Special Unit, New Delhi in a purely temporary capacity, with effect from the forenoon of 16-10-1968 until further orders.

F. V. ARUL
Director/
Central Bureau of Investigation
and Inspector General of Police
Special Police Establishment

New Delhi, the 28th October 1968

No. PF/B-84/67-Ad.I.—Shri Bhagwan Sahai Sharma, Dy. Supdt. of Police, F.S.-II, Branch, an officer on deputation to the Central Bureau of Investigation from Uttar Pradesh State Police is reverted to the rank of Inspector with effect from the 3rd October, 1968 (A.N.). Shri Sharma is posted as Inspector in Fraud Squad-II branch with effect from 4-10-1968 (F.N.).

O. P. BANSAL
Administrative Officer, C.B.I.

New Delhi, the 28th October 1968

No. 11/6(13)68-Ad.I.—Deputy Inspector General of Police, Special Police Establishment, hereby appoints Shri Ganeshi Lal, Sub-Inspector of Rajasthan State Police on deputation as Inspector in the Delhi Special Police Establishment Division of the Central Bureau of Investigation, Jaipur Branch in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 28-9-1968 until further orders.

The 29th October 1968

No. 11/6(6)68-Ad.I.—Deputy Inspector General of Police, Special Police Establishment, hereby appoints Shri J. M. Mehta, Inspector of Gujarat State Police on deputation as Inspector in the Delhi Special Police Establishment Division of the Central Bureau of Investigation, Ahmedabad Branch in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 25-9-1968 until further orders.

O. P. BANSAL
Administrative Officer,
for Deputy Inspector General of Police
Special Police Establishment

Intelligence Bureau

New Delhi-11, the 25th October 1968

No. 8/SIB/CI/59(166).—On completion of one year of re-employment, Sh. S. K. Bose, D.C.I.O., SIB, Calcutta relinquished charge of the post of D.C.I.O., on the forenoon of October 7, 1968.

The 26th October 1968

No. 8/SIB-CI/64(71).—Consequent upon his reversion to the Punjab Police, Shri Mangal Singh handed over the charge of the post of the Deputy Central Intelligence Officer, Bareilly in the Intelligence Bureau with effect from the afternoon of 9th September, 1968.

The 29th October 1968

No. 7/Est/CI/68(620).—The Director, Intelligence Bureau hereby appoints Shri Lakshmikanta Kyal (Direct Recurit) to the post of Deputy Central Intelligence Officer (Cipher) in the Intelligence Bureau, New Delhi with effect from the forenoon of 11th October, 1968, in a temporary capacity until further orders.

O. P. GROVER
Deputy Director
for Director

Office of the Registrar General, India

New Delhi, the 24th October 1968

No. 3/6-67-RG.—The President is pleased to appoint Shri K. C. Dubey, an Officer of the Madhya Pradesh Civil Service as Deputy Superintendent of Census Operations in the Office of the Superintendent of Census Operations, Madhya Pradesh with effect from the date he assumes charge of that Office, until further orders.

His headquarters will be at Bhopal.

The 25th October 1968

No. 3/63/68-RG.—The President is pleased to appoint Shri C. C. Doctor of the Indian Administrative Service as Superintendent of Census Operations, Gujarat with effect from the forenoon of 14th October, 1968 until further orders.

His headquarters will be at Ahmedabad.

The 26th October 1968

No. 3/62/68-RG.—The President is pleased to appoint Shri D. M. Sinha of the Indian Administrative Service as Superintendent of Census Operations, Uttar Pradesh with effect from the forenoon of 11th October, 1968 until further orders.

His headquarters will be at Lucknow.

A. CHANDRA SEKHAH
Registrar General, India

**OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF
DEFENCE ACCOUNTS**

New Delhi, the 30th October 1968

No. 23012(1)/68-AN/A.—The undermentioned Permanent Accountants are appointed as Accounts Officers in a substantive capacity with effect from the dates shown against each:—

Sl. No.	Name	Office in which serving	Date
1.	Shri M. V. Krishnamurthy	Controller of Defence Accounts (Air Force) On deputation to Ministry of Finance (Defence).	21-6-68
2.	„ L. R. Venkataraman	Controller of Defence Accounts, Western Command	20-7-68
3.	„ K. S. Ramanujam	Controller of Defence Accounts (Pensions)	25-8-68
4.	„ Manohar Singh	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
5.	„ Ram Lal Anand	Controller of Defence Accounts, Central Command	10-10-68
6.	„ P. S. Sundaresan	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
7.	„ Ajit Singh Sawhney	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
8.	„ Tej Bhan Kohli	Controller of Defence Accounts, Patna	10-10-68
9.	„ R. Padmanabhan	Controller of Defence Accounts (Navy)	10-10-68
10.	„ J. C. Banerjee	Controller of Defence Accounts, Central Command. On deputation to Employees' Provident Fund Organisation.	10-10-68
11.	„ Jagdish Chandra Dutta	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
12.	„ Harbans Singh	Controller of Defence Accounts (Air Force)	10-10-68
13.	„ V. S. Kamat	Controller of Defence Accounts (Officer)	10-10-68
14.	„ Braham Dev	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
15.	„ A. M. Shankaravelu	Controller of Defence Accounts, Southern Command	10-10-68
16.	„ Ram Saran Das	Controller of Defence Accounts (Air Force)	10-10-68
17.	„ Harbans Lal Bhatia	Controller of Defence Accounts, Western Command	10-10-68
18.	„ Jagan Nath Wokhlu	Controller of Defence Accounts, Western Command	10-10-68
19.	„ Chanan Das	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
20.	„ S. Rangachari	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
21.	„ P. G. Velappan Nair	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
22.	„ K. V. Hariharan	Controller of Defence Accounts (Other Ranks). On deputation to NCC Directorate.	10-10-68
23.	„ T. K. Sivaraman	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
24.	„ S. Y. Paradkar	Controller of Defence Accounts, Southern Command	10-10-68
25.	„ M. V. Bhandari	Controller of Defence Accounts (Other Ranks). On deputation to Ministry of Defence.	10-10-68
26.	„ G. Narasimhan	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
27.	„ Manohar Lal Sikka	Controller of Defence Accounts, Western Command	10-10-68
28.	„ V. Butchiramaiya	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
29.	„ K. N. Janakiraman	Controller of Defence Accounts (Air Force)	10-10-68
30.	„ V. Rajagopalan	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
31.	„ Roshan Lal Passi	Controller of Defence Accounts, Central Command	10-10-68
32.	„ T. V. Narasimhan	Controller of Defence Accounts (Factories)	10-10-68

Sl. No.	Name	Office in which serving	Date
33.	Shri Hari Datt Bah	Controller of Defence Accounts, Central Command	10-10-68
34.	„ Basant Lal Khattar	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
35.	„ Balbir Narain Khanna	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
36.	„ Dwarka Das Trehan	Controller of Defence Accounts (Pensions)	10-10-68
37.	„ A. K. Sen	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
38.	„ S. N. Paroolkar	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
39.	„ K. Venkatachalam	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
40.	„ V. Gopalan	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
41.	„ N. T. Rangaswamy	Controller of Defence Accounts (Navy)	10-10-68
42.	„ R. Narayanan	Controller of Defence Accounts (Factories)	10-10-68
43.	„ V. Lakshmi Varahan	Controller of Defence Accounts (Air Force)	10-10-68
44.	„ A. M. Balasubramaniam	Controller of Defence Accounts, Southern Command	10-10-68
45.	„ Yash Pal Mehta	Controller of Defence Accounts, Patna	10-10-68
46.	„ R. Srinivasan	Controller of Defence Accounts (Air Force)	10-10-68
47.	„ K. S. Gokhale	Controller of Defence Accounts (Officers)	10-10-68
48.	„ M. Krishnamurthy	Controller of Defence Accounts (Air Force)	10-10-68
49.	„ S. Krishnamurti-II	Controller of Defence Accounts, Western Command	10-10-68
50.	„ V. Natarajan	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
51.	„ Wishwa Nath Obheroi	Controller of Defence Accounts, Western Command	10-10-68
52.	„ Apurba Krishna Datta	Controller of Defence Accounts, Patna	10-10-68
53.	„ Madan Mohan Mukherjee	Controller of Defence Accounts (Factories)	10-10-68
54.	„ Ram Chandra Guglani	Controller of Defence Accounts, Central Command	10-10-68
55.	„ Peshori Lal Ahuja	Controller of Defence Accounts (Pensions)	10-10-68
56.	„ N. S. Srinivasan	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
57.	„ P. C. Sampath Iyengar	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
58.	„ Rattan Chand Kapur	Controller of Defence Accounts, Central Command	10-10-68
59.	„ K. Srinivasan	Controller of Defence Accounts, Patna. On deputation to Min. of Finance (Defence).	10-10-68
60.	„ G. C. Bagchi	Controller of Defence Accounts, Patna	10-10-68
61.	„ E. V. Sarma	Controller of Defence Accounts (Factories)	10-10-68
62.	„ K. Varada Veera Raghavan	Controller of Defence Accounts, Western Command	10-10-68
63.	„ H. S. Biswas	Controller of Defence Accounts, Patna	10-10-68
64.	„ Manohar Lal Pasricha	Controller of Defence Accounts (Pensions)	10-10-68
65.	„ G. Rajagopalan	Controller of Defence Accounts (Air Force). Now on deputation to Ministry of Finance (Defence).	10-10-68
66.	„ M. Manoharan	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)	10-10-68
67.	„ Kasturi Lal Verma	Controller of Defence Accounts, Central Command	10-10-68

A. P. B. NAYAR,
Controller General of Defence Accounts

**MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND
REHABILITATION**

(Department of Labour & Employment)

Labour Bureau

Simla-4, the 2nd November 1968

No. 23/25/68-CPI.—The All-India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers on Base: 1960 = 100 for the month of September, 1968 was 179 (One Hundred and Seventy Nine).

K. K. BHATIA
Director
Labour Bureau

Office of the Chief Labour Commissioner (Central)

New Delhi, the 24th October 1968

No. Adm.I/20(3)/65.—On transfer, Shri P. K. Thanwardas, relinquished charge of the office of the Labour Enforcement Officer (C), Chirimiri on the forenoon of 3rd September, 1968 and assumed charge of the office of the Labour Enforcement Officer (C), Gorakhpur on the forenoon of 12th September, 1968.

Sd. ILLEGIBLE
Administrative Officer

Coal Mines Labour Welfare Organisation

Dhanbad, the 25th October 1968

No. E.21(18)65.—Consequent upon his retirement on superannuation, Shri P. K. Choudhury, Assistant Engineer relinquished charge of the office of Assistant Engineer, Welfare Works Division No. II, Asansol on the 31st July, 1968 in the afternoon.

S. N. PANDE
Coal Mines Welfare Commissioner,
Dhanbad

DIRECTORATE GENERAL: ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 24th October 1968

No. 4/10/67-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri S. K. Suthar, Lecturer in Agriculture, Gram Sewak Training Centre, Junagarh, as Farm Radio Officer at All India Radio, Rajkot in a temporary capacity with effect from the 31st August 1968 until further orders.

The 28th October 1968

No. 6(34)/62-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri Gaiendra Nayak, Transmission Executive, All India Radio, Cuttack as official Programme Executive on ad hoc basis at the same station with effect from the 16th September 1968 until further orders.

S. N. MITAL
Deputy Director of Administration
for Director General

(Planning & Development Unit)

New Delhi, the 26th October 1968

No. 16(36)/67-D(S)—Shri S. Srinivasan an Accounts Officer in the office of Accountant General, Madras has been appointed on deputation to the post of Accounts Officer in the office of Regional Engineer (South), All India Radio, Madras with effect from 4-10-1968.

K RAMACHANDRAN
Deputy Development Officer (A)
for Director General

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi -11, the 24th October 1968

No. 6-7 68-Admn I.—Consequent upon the appointment of Smt Sumati Bala Sharma in the post of Deputy Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli, she relinquished charge of the post of Junior Technical Officer, C R I, Kasauli on the forenoon of the 5-10-1968.

S. SRINIVASAN
Deputy Director Administration

New Delhi, the 25th October 1968

No. 29-65/68-CHSI.—The Director General of Health Services hereby appoints Dr. (Miss) Sarita Dua, as Lady Medical Officer in the Special Scheme in the Central Government Health Scheme, Delhi with effect from the forenoon of the 17th September, 1968, on a purely temporary basis until further orders.

T. J. SITARAM
Dy Director Administration (CHS)

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND DISPOSALS**(Administration Section A-1)**

New Delhi-1, the 18th October 1968

No. A-1/1(723).—Shri P. R. Rajani relinquished charge of the post of Assistant Director of Supplies (Grade I) in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi on the afternoon of 5th October, 1968 on his reversion to his cadre post in the Central Water and Power Commission (Power Wing) under the Ministry of Irrigation and Power.

(Administration Branch A-6)

The 24th October 1968

No. A-6/76(4)/58 XIII.—The President is pleased to appoint Shri C. R. Sircar, officiating Dy. Director of Inspection, in the Engineering Branch of Grade II of the Indian Inspection Service (Class I) of the Directorate General of Supplies and Disposals substantively against the permanent post of Dy. Director of Inspection with effect from 14-9-1968.

T V ANANTANARAYANAN
Deputy Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**(Rajasthan Atomic Power Project)**

Anushakti, the 24th October 1968

No. RAPP/0462/7 68/S/14360.—The Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Project is pleased to appoint Shri P. B. Kochumodeen, a permanent Sectional Officer (Electrical) in the office of the Superintending Engineer, Delhi Central Electrical Circle No. I, Central Public Works Department, New Delhi to officiate as Scientific Officer/Engineer-Grade SB at

Plant Site of this Project in an officiating capacity with effect from the afternoon of October 15, 1968 until further orders.

G. G. KULKARNI
General Administrative Officer

Arvi Satellite Communication Project

Ahmedabad, the 25th October 1968

No. ASCOM/ADM/6.—Shri N. S. Nair, Officiating Storekeeper in the Bhabha Atomic Research Centre, Bombay is appointed to officiate as Assistant Stores Officer, in the Arvi Satellite Communication Project, Department of Atomic Energy, Bombay with effect from the forenoon of September 11, 1968 until further orders.

K. R. RAO
Wg. Cdr.
Project Administrator

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE**(Personnel Division)**

Bombay-74, the 23rd October 1968

No. 1(3)/68-Est.V/400.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre, hereby appoints Shri P. S. Mokashi, an officiating Stenographer in this Research Centre to officiate as Assistant Personnel Officer in the same Centre with effect from 6-5-1968 to 7-6-1968 vice Shri S. Ranganathan, Assistant Personnel Officer, granted leave.

This supersedes the Notification of even number dated 10-7-1968 that appeared at page 824 of Part I, section 2 of Gazette of India dated 22-7-1968.

T. R. KRISHNAMURTI
Deputy Establishment Officer

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-13, the 21st September 1968

No. 13010N/40/59/C/19A.—The following Superintendents, Geological Survey of India, are appointed on promotion as Asstt. Admn. Officer in the Geological Survey of India, on pay according to rules in the scale of Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800 in temporary capacity with effect from the dates mentioned against their names, until further orders:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Shri Gahi Mal | 17-8-1968 (F.N.). |
| 2. Shri M. P. Bhatnagar | 17-8-1968 (F.N.). |

The 16th October 1968

No. 15163N/51/62/19A.—Shri D. P. Sarker, Asstt. Administrative Officer, Geological Survey of India, is appointed on promotion as Administrative Officer in the Geological Survey of India on *ad hoc* basis on pay according to rules in the scale of Rs. 475-25-500-30-590-EB-30-800 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 17th August, 1968, until further orders.

No. 15179N/2222(PKS)/19A.—Shri Prem Kumar Sinha, M.Sc., is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 350/- per month in the scale of Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900 per month in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 9th May, 1968, until further orders.

G. C. CHATERJI
Director General,
Geological Survey of India

MINISTRY OF COMMERCE

The 28th October 1968

Office of the Chief Controller of Imports and Exports**Import and Export Trade Control**

(ESTABLISHMENT)

New Delhi, the 25th October 1968

No. 6/750/65-Admn(G)/4878.—The Chief Controller of Imports and Exports hereby appoints Shri M. Gopalakrishnan, Section Head in the office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Madras as Assistant Controller of Imports and Exports in the same office in an officiating and purely temporary capacity for the following periods :

1. From 30-6-1968 to 26-7-1968.
2. From 27-7-1968 to 5-9-1968.
3. From 7-9-1968 to 30-9-1968.

M. M. SANGHI

Assistant Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports and Exports

Office of the Deputy Chief Controller of Imports & Exports**ORDER**

Cochin-11, the 25th September 1968

No. 3/68.—M/s. Hambers Scientific Co., 11-Kani-chai Buildings, Jew-Street, Ernakulam was granted one import licence No. P/SS/1595394/C/XX/26/C/E/25.26 dated 10-11-1967 for Rs. 1762/- for import of Rough Blanks other than Bifocal Blanks during April-March, 1968 period. They have applied for a duplicate of the Customs Purpose Copy of the said licence on the ground that the original has been misplaced without having been registered with any Customs Authority.

In support of this contention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original Customs Purpose Copy of licence No. P/SS/1595394/C/XX/26/C/E/25.26 dated 10-11-1968 has been misplaced and direct that a duplicate copy of Customs Purposes alone should be issued to the applicant. The original Customs Purpose Copy of licence is cancelled.

[No. 27/67-68/SSI/P.]

R. K. KRISHNAN

Dy. Chief Controller of Imports & Exports
Ernakulam

MINISTRY OF STEEL, MINES & METALS

(Department of Iron & Steel)

Iron & Steel Control**ORDERS**

Calcutta-1, the 26th October 1968

No. PEP/2/4(137)/68.—In exercise of the powers conferred on me by Notification No. S.O. 1436 dated 18-4-1967 under the Essential Commodities (Regulation of Production and Distribution for purposes of Export), Order, 1966, I do hereby cancel the order No. ESS.COMM/RPDE/61 dated 20-6-1968 on M/s. Indian Iron and Steel Co. Ltd., 12, Mission Row, Calcutta for supply of B.P. Sheets [500 mm (26G) × 900mm × 2500mm or 3000mm] 93.491 M/T (Spec. IS-1079 Grade-O) (Ninety three point zero nine one) to M/s Zahir Anwar Mohamed Jan, 77, Babula Tank Road, Bombay-9.

By Order etc.

No. PEP/2/4(52)/68.—In exercise of the powers conferred on me by Notification No. S.O. 1436 dated 18-4-1967 under the Essential Commodities (Regulation of Production & Distribution for purposes of Export) Order 1966, I do hereby cancel the order No. ESS.COMM/RPDE/56 dated 20-6-1968 on M/s. Indian Iron & Steel Co. Ltd. 12, Mission Row, Calcutta-1 for supply of B.P. Sheets—16 Gauge to 24 Gauge Tested 41.041 tonnes (Forty one point zero four one) to M/s. The Hind Safe Co., 199, Kika Street, Bombay-2.

By order etc.

S. SAHAY

Director of Export Production
and Iron & Steel Controller

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 24th October 1968

No. 1/125/68-Est.—The Director General, Overseas Dalgado, Permanent Assistant Supervisor, Bombay Branch (CTO, Bombay) as Supervisor, in an officiating capacity, at the same Branch with effect from the forenoon of the 11th October, 1968, and until further orders.

P. K. G. NAYAR

Administrative Officer
for Director General

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

(India Meteorological Department)

New Delhi-3, the 24th October 1968

No. E(1)00853.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri P. N. Sharma as Junior Scientific Officer (General Central Service, Class II) in the Institute of Tropical Meteorology, Poona, in an officiating capacity with effect from the forenoon of 16th September, 1968, and until further orders.

The 25th October 1968

No. E(1)03884.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri A. H. Pendse, Professional Assistant, Office of the Dy. Director General of Observatories (Forecasting), Poona as Assistant Meteorologist in an officiating capacity for a period of thirty-six days with effect from the forenoon of the 4-10-1968.

Shri Pendse remains posted in the office of the Dy. Director General of Observatories (Forecasting), Poona.

P. A. GEORGE

Meteorologist
for Director General of Observatories

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 24th October 1968

No. 11/23/68-EA.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri D. N. Joshi, permanent Aerodrome Operator, Grade-I (Selection Grade) as Asstt. Aerodrome Officer in an officiating capacity in the Civil Aviation Department in the scale of pay of Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900 until further orders with effect from the 29th August, 1968 and to post him at Agartala.

G. SUBRAMANI

for Director General of Civil Aviation

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 28th October 1968

No. 9/9/68-ECI.—The President is pleased to confirm the following officers as Executive Engineer in Central Engineering Service Class I, in the Central Public Works Department with effect from the date noted against each:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date from which confirmed	Particulars of vacancy against which confirmed
1	2	3	4
	S./Shri		
1.	J. L. Pinto	16-10-1964	Against one of the additional permanent posts in the grade of Executive Engineers sanctioned vide late Min. of Works & Housing letter No. 2/1(9)/63-EWI dated 16-10-1964.
2.	Shyam Narayan	16-10-1964	Vice confirmation of Shri R. G. Gokhale as S.E.
3.	B. V. Subramanyam	16-10-1964	Lying vacant.
4.	P. B. Kulkarni	16-10-1964	Lying vacant.
5.	Balbir Singh	16-10-1964	Vice confirmation of Shri R. P. Mhatre, as S.E.
6.	K. K. Madan	16-10-1964	Vice confirmation of Shri M. M. Patel, as S.E.
7.	N. Veerasubramaniam	4-8-1965	Vice Shri K. C. Govel expired.
8.	S. C. Jain	21-10-1965	Vice Shri C.T. Sahajwala retired.
9.	M. P. Patkar	23-12-1965	Vice confirmation of Shri D. Mukherjee as SE.
10.	K. S. Gangadharan	28-12-1965	Vice Shri S. P. Gangaramany retired.
11.	O. D. Mohindra	1-3-1966	Vice confirmation of Shri Harbhajan Singh as S.E.
12.	S. G. Vaidya	26-3-1966	Vice confirmation of Shri J. Durai Raj as S.E.
13.	U. V. S. Tyagi	11-9-1966	Vice Shri T. J. Makhijani, retired.
14.	G. S. Tawarmalani	1-3-1967	Vice confirmation of Shri G. R. Hingorani as S.E.
15.	N. Vembu	16-6-1967	Vice Shri P. D. Chawla retired.
16.	B. G. Karna	1-9-1967	Vice Shri M. V. Subramanyam retired.
17.	M. H. Lele	25-10-1967	Vice Shri I. S. Chopra retired.
18.	P. B. Vijay	30-11-1967	Vice Shri S. V. Subbarao expired.
19.	M. L. Kalra	21-3-1968	Vice Shri N. N. Khanna retired.
20.	B. B. Misra	2-11-1965	Vice Shri F. N. Almeida resigned.
21.	U. J. Matai	4-2-1966	Vice Shri M. A. Abraham resigned.
22.	K. D. Bhatia	25-6-1966	Vice confirmation of Shri R. Manecksha as S.E.
23.	C. D. Dharmani	13-5-1967	Vice confirmation of Shri K. G. Rajagopalan as S.E.
24.	A. K. Mogre	21-9-1967	Vice confirmation of Shri P. De Sousa as S.E.
25.	R. S. Mathur	6-1-1968	Vice confirmation of Shri N. S. L. Rao as S.E.

The 29th October 1968

No. 33/46/67-ECI.—In continuation of this Department notification No. 33/9/67-EEIII, dated 29th February, 1968, the President is pleased to allow Shri S. K. Sen, Assistant Engineer (Elect.) to continue to officiate as Executive Engineer (Elect.) in C.E.E.S. Class II on an *ad hoc* basis for a further period from 12th May, 1968 to 30th July, 1968.

No. 33/3/68-ECI.—The President is pleased to appoint Shri V. A. Krishnamurthy, Superintending Engineer (Electrical) to officiate as Chief Engineer (Electrical), Central P.W.D., New Delhi, on an *ad hoc* basis for a period of 69 days with effect from the afternoon of 27th September, 1968

V. P. SARVARIA
Dy. Director of Admn.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

Office of the General Manager, Farakka Barrage Project

Farakka, the 25th October 1968

No. PF-II/121/12809(6).—Consequent on his resignation being accepted, Shri M. C. Rajendran, Asstt. Engineer (Electrical) in the Farakka Barrage Project relinquished charge of the Assistant Engineer (Electrical), Farakka Barrage Project on the afternoon of 24th May, 1968.

D. MOOKERJEA
General Manager,
Farakka Barrage Project

NORTHERN RAILWAY

New Delhi, the 15th October 1968

No. 40.—Shri R. K. Sehgal, an officer of Indian Railway Traffic Service Department retired finally from railway service on 28-9-1968 (A.N.).

No. 41.—Shri Sudarshan Singh, Offg. Senior Scale Officer of Indian Railway Traffic Service retired finally from Railway Service on 15-10-1968 (A.N.).

The 17th October 1968

No. 43.—The following officiating Class II officers of the I.R.S.M.E. Deptt. are confirmed in Class II service as Asstt. Mechanical Engineer on this Railway w.e.f. the date shown against each:—

Name	Date
1. Shri Kartar Singh	26-10-1966.
2. Shri Ashiq Ali	1-1-1968.

M. N. BERY
General Manager

EASTERN RAILWAY

Calcutta, the 25th October 1968

No. WW/Cadre/Pt.II.—Sri N. N. Mukherjee, Offg. Assistant Security Officer is confirmed in class II service of the Security Department of Eastern Railway with effect from 9-4-1963.

K. K. MUKERJI
General Manager

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Indian Companies Act, 1913 and of M/s. Kalyan Traders and Investors Limited (In Liquidation) having its registered office at Pilani Bhawan, Jaipur.

Jaipur-6, the 17th October 1968

No. Stat/485/7566.—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 247 of the Indian Companies Act, 1913, that the name of M/s. Kalyan Traders and Investors Limited (In Liquidation) has this day been struck-off the Register and the said company is dissolved.

P. S. MATHUR
Registrar of Companies,
Rajasthan, Jaipur

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Messrs Hirabhai Patel Private Limited

Bombay-2, the 24th October 1968

No. 11118/560.—Notice is hereby given in pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Hirabhai Patel Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Messrs Wagadwal Finance Company Private Limited

Bombay-2, the 24th October 1968

No. 13416/560.—Notice is hereby given in pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Wagadwal Finance Company Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. M. SHAH
Asstt. Registrar of Companies,
Maharashtra, Bombay

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Electro Chemical Products Company Limited

Calcutta, the 25th October 1968

No. 8838/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Electro Chemical Products Company Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Chitrabani Limited

Calcutta, the 25th October 1968

No. 10350/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Chitrabani Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Bharat Burlap Linkers Private Limited

Calcutta, the 25th October 1968

No. 25017/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956, that the name of Bharat Burlap Linkers Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

A. K. GUHA
Asstt. Registrar of Companies,
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Ajit and Chawla Transport Company Private Limited

Delhi, the 25th October 1968

No. 3082/18009.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Ajit and Chawla Transport Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

Sd. ILLEGIBLE
Asstt. Registrar of Companies,
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Chaudhry and Company (Publications) Private Limited

Delhi, the 28th October 1968

No. 2004/18085.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Chaudhry and Company (Publications) Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

Sd. ILLEGIBLE
Asstt. Registrar of Companies,
Delhi

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Hurur Bus Service Private Limited

Madras-6, the 24th October 1968

No. 3876/DN/68.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Harur Bus Service Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Cholan Transports Private Limited

Madras-6, the 24th October 1968

No. 4714/DN/68.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Cholan Transports Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

P. ANNAPURNA
Asstt. Registrar of Companies,
Madras

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Leuna Lamps Private Limited

(Section 445)

Ahmedabad, the 26th October 1968

No. 1273/Liq.—By an order dated 29-8-1967 in Company Petition No. 14 of 1966 of the High Court of Judicature at Ahmedabad it has been ordered to wind up the Leuna Lamps Private Limited.

J. G. GATHA
Registrar of Companies,
Gujarat

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

SPECIAL CLASS RAILWAY APPRENTICES'
EXAMINATION, 1969

New Delhi, the 9th November 1968

No. F.6/2/68-EI(B).—An examination for selection of candidates for appointment as Special Class Apprentices in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers will be held by the Union Public Service Commission at AHMEDABAD, ALLAHABAD, BANGALORE, BHOPAL, BOMBAY, CALCUTTA, CUTTACK, DELHI, HYDERABAD, JAIPUR, MADRAS, NAGPUR, PATIALA, PATNA, SHILLONG and TRIVANDRUM commencing on the 8th May, 1969 in accordance with the Rules published by the Ministry of Railways (Railway Board) in the Gazette of India dated the 9th November 1968.

THE CENTRES AND THE DATE OF COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE COMMISSION.

CANDIDATES ACCEPTED FOR ADMISSION TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED AT WHAT PLACE, AT WHAT TIME AND ON WHAT DATES THEY SHOULD PRESENT THEMSELVES.

2. The approximate number of vacancies to be filled on the results of this examination is 10. This number is liable to alteration.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

3. A candidate seeking admission to the examination must apply to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11, on the prescribed form of application. The prescribed forms of application and full particulars of the examination are obtainable from the Commission by post on payment of Re. 1.00, which should be remitted by Money Order, to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11 stating clearly the name of the examination in respect of which the application form is required. Postal Orders or cheques or currency notes will not be accepted in lieu of Money Orders. The forms can also be obtained on cash payment at the counter in the Commission's Office. *This amount of Re. 1.00 will in no case be refunded.*

4. The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11, on or before the 16th January, 1968 accompanied by necessary documents in accordance with the instructions to candidates contained in Annexure II. *No application received after that date will be considered.*


Applications from candidates residing abroad and in the Andaman & Nicobar and Laccadive, Minicoy & Amindivi Islands will, however, be accepted up to the 20th January, 1969. (This is applicable to persons actually residing abroad or in the Andaman & Nicobar and Laccadive, Minicoy & Amindivi Islands at the time of submission of their applications).

NOTE.—Candidates who send their applications or requests for application forms at a late date will do so at their own risk.

5. THE PRESCRIBED FEE (SEE ANNEXURE I) SHOULD BE PAID BY INDIAN POSTAL ORDERS WITH THE APPLICATION.

AN APPLICATION NOT ACCOMPANIED BY CROSSED INDIAN POSTAL ORDERS FOR THE PRESCRIBED FEE WILL BE SUMMARILY REJECTED. THIS DOES NOT APPLY TO DISPLACED PERSONS FROM EAST PAKISTAN AND REPATRIATES OF INDIAN ORIGIN FROM BURMA AND CYLON WHO HAVE MIGRATED TO INDIA ON OR AFTER 1ST JANUARY, 1964, 1ST JUNE 1963, 1ST NOVEMBER 1964 RESPECTIVELY AND ARE SEEKING REMISSION OF THE PRESCRIBED FEE. *VIDE* PARAGRAPH 3 OF ANNEXURE I.

EACH POSTAL ORDERS INVARIABLY BE CROSSED AS SHOWN BELOW :



AND COMPLETED AS FOLLOWS :

"PAY TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AT NEW DELHI GENERAL POST OFFICE."

CANDIDATES MUST NOTE THAT IT IS NOT SAFE TO SEND POSTAL ORDERS WHICH ARE NEITHER CROSSED NOR MADE PAYABLE TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AT NEW DELHI, GENERAL POST OFFICE, FULL PARTICULARS OF POSTAL ORDERS SHOULD BE ENTERED AGAINST COLUMN 26 OF THE APPLICATION FORM.

6. If any candidate who took the Special Class Railway Apprentices Examination held in 1968 wishes to apply for admission to this examination, he must submit his application by the prescribed date without waiting for the results or an offer of appointment. If he is appointed on the results of the 1968 examination, his candidature for this examination will be cancelled on request and the fee refunded to him, as in the case of a candidate not admitted to the examination, *vide* para 2 of Annexure I.

7. All communications in respect of an application should be addressed to the Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi-11, and should contain the following particulars :

- (i) NAME OF EXAMINATION.
- (ii) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION.
- (iii) ROLL NO. (IF COMMUNICATED TO CANDIDATE).
- (iv) NAME OF CANDIDATE (IN BLOCK CAPITALS).
- (v) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

Communications not giving these particulars may not be attended to. In all correspondence with the Union Public Service Commission concerning this examination, candidates should invariably superscribe their envelopes and correspondence with the words, "SPECIAL CLASS RAILWAY APPRENTICES' EXAMINATION, 1969."

D. R. KOHLI, Dy. Secy.
Union Public Service Commission

ANNEXURE I

FEE

Candidates seeking admission to the examination must pay the following fee. To the Commission with the completed application form :—

Rs. 36.00 (Rs. 9.00 in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) with the completed application form. This amount should be paid by means of CROSSED Indian Postal Orders payable to the Secretary, Union Public Service Commission. The commission will not accept payment made otherwise.

2. Once an application has been considered by the Commission and their decision admitting a candidate to the examination communicated to him, no claim for a refund of the fee paid to the Commission will be entertained nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection. If however, a candidate is either not admitted to the examination by the Commission, or before communicating their decision admitting him to the examination, they permit a

candidate to withdraw his candidature a refund of Rs. 21.00 (Rs. 5.00 in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) will be made to him.

3. The Commission may at their discretion remit the prescribed fee where they are satisfied that the applicant is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964 or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963, or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, and is not in a position to pay the prescribed fee.

ANNEXURE II

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1. A copy each of the Notice, the Rules, the Application Form and other papers relating to the examination is obtainable from the office of the Union Public Service Commission in accordance with para 3 of the Notice. *Candidates should consult them carefully to see if they are eligible before filling in the application form or paying the prescribed fee. The conditions prescribed cannot be relaxed.*

BEFORE SUBMITTING THE APPLICATION THE CANDIDATE MUST SELECT FINALLY FROM AMONG THE CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH I OF THE NOTICE, THE PLACE AT WHICH HE WISHES TO APPEAR FOR THE EXAMINATION. ORDINARILY NO REQUEST FOR A CHANGE IN THE PLACE SELECTED WILL BE ENTERTAINED.

2. The application form, the attestation form and the acknowledgement card must be completed in the candidate's own handwriting. All entries/answers should be in words and not by dashes or dots. The completed application form, the attestation form and the acknowledgement card should be sent to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11, so as to reach him by the last date prescribed in the Notice.

No application received by the Commission after the date prescribed in the Notice will be accepted.

A candidate already in Government Service, whether in a permanent or temporary capacity, must submit his application through the Head of his Department or Office concerned who will complete the endorsement at the end of the application form and forward it to the Commission.

Applications from all other candidates whether in private employment or in Government-owned industrial undertakings or other similar organisations, can be entertained direct. If such a candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application even if submitted to the employer before the closing date, will not be entertained.

3. Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form.

4. A candidate must send the following documents with his application :

- (i) CROSSED Indian Postal Orders payable to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office, for the prescribed fee [See Annexure I].
- (ii) Certificate of Age.
- (iii) Certificate of Character.
- (iv) Certificate of Educational Qualification.
- (v) Statement in the candidate's own handwriting and duly signed giving a short narrative of his career at school and college and mentioning both his educational and sports success.
- (vi) Three copies of recent passport size (5 cm. × 7 cm. approx.) photograph of the candidate.

Details of the documents mentioned in items (i), (ii), (iii), (iv) and (vi) are given below :—

(i) CROSSED INDIAN POSTAL ORDERS FOR THE PRESCRIBED FEE.—All Postal Orders should bear the signature of the issuing Post Master and a clear stamp of the issuing Post Office. All Postal Orders should be CROSSED and filled in as follows :—

"Pay to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office."

In no case will postal orders payable at any other Post Office be accepted. Defaced or mutilated Postal Orders will also not be accepted.

NOTE.—Candidates residing abroad at the time of submitting their applications should deposit the amount of the prescribed fee (the equivalent of Rs. 36.00, Rs. 9.00 in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes) in the office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative, as the case may be, in that country, who should be asked to credit the amount to the account head "XXI—Miscellaneous Department Examination fees—Receipts of the Union Public Service Commission. The candidates should forward the receipt from that Office with the application.

(ii) CERTIFICATE OF AGE.—The date of birth ordinarily accepted by the Commission is that entered in the Matriculation Certificate or in the Secondary School Leaving Certificate, or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University. The expression Matriculation Certificate in this part of the instructions must be understood as including these alternative certificates.

Candidates will thus understand that the Matriculation Certificate is required in all cases as evidence of age and it must invariably be sent to the Commission in original, with a copy thereof, together with the application.

Sometimes the Matriculation or equivalent certificate does not show the date of birth, or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must send, in addition to the Matriculation or equivalent certificate, an original certificate, together with a copy thereof, from the Headmaster/Principal of the institution from where he passed the Matriculation or equivalent examination, showing the date of his birth or his exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with an application, the application may be rejected. Further, they are warned that if the date of birth stated in the application is inconsistent with the age shown in the Matriculation Certificate and no explanation is offered, the application may be rejected.

NOTE 1.—A candidate who holds a completed Secondary School Leaving Certificate need submit with the original a copy of only the page containing entries relating to age.

NOTE 2.—CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED AND ACCEPTED BY THE COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO AN EXAMINATION, NO CHANGE WILL ORDINARILY BE ALLOWED AT A SUBSEQUENT EXAMINATION.

NOTE 3.—Displaced persons, who have lost their original Matriculation Certificate in Pakistan, should obtain duplicate certificate from the University concerned. If they are unable to obtain the duplicate Matriculation Certificate from the University, they should submit an extract from the University Gazette in which their results were published showing their date of birth and certified by the Registrar or the Headmaster.

(iii) CERTIFICATE OF CHARACTER.—A candidate must submit a certificate of character, in original, together with a copy thereof from some person in authority (e.g. Principal, Proctor, Dean, etc.) at an educational institution which the candidate is attending or has attended for at least one year during the three years immediately preceding the date of his application.

The signatory of the certificate should give his designation in full.

NOTE 1—A candidate who has not attended any educational institution for at least one academic year within three years immediately preceding the date of his application may submit a certificate of character in original with a copy thereof from a Gazetted Officer in service

NOTE 2—Only one certificate of character is required

(iv) **CERTIFICATE OF EDUCATIONAL QUALIFICATION**—A candidate must submit a certificate or diploma in original with a copy thereof showing that he has one of the qualifications prescribed in Rule 6. The certificate submitted must be one issued by the authority (*i.e.* University or other examining body) awarding the particular qualification. If such a certificate or diploma is not submitted, the candidate must explain its absence and submit such other evidence, in original as he can to support his claim to the requisite qualifications. The Commission will consider this evidence on its merits but do not bind themselves to accept it as sufficient

If the University Certificate of passing the Intermediate or any other qualifying examination submitted by a candidate in support of his educational qualifications does not indicate all the subjects passed, a certificate from the Principal showing that he has passed the qualifying examination with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry must be submitted

A candidate whose case is covered by Rule 6(b) or Rule 6(e) must submit a certificate in original together with a copy thereof, in the form prescribed below, from the Registrar of the University/Principal of the College/Head of the Institution concerned, as proof of the educational qualification possessed by him

The form of certificate to be produced by the candidate.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*
son/daughter* of Shri
is/was* a *bona fide* student
of this University/College/Institution*

2 He/she* has passed the first year examination under the three-year degree course/first year examination under the five-year Engineering Degree Course/first Examination of the three year diploma course in Rural Services of the National Council for Rural Higher Education*, which concluded on , and is not required to reappear in any of the subjects prescribed for the first year

or

He/she* has passed in division the first/second* year examination of the three-year degree course/first year examination under the five-year Engineering Degree Course*, conducted by the University
The examination concluded on .

3@He/she* was examined in the following subjects

- 1
- 2
- 3
- 4

@Not applicable to those studying for the five-year degree course in Engineering

(Signature of the Registrar/Principal)
(Name of the University/College/Institution*)

Date

Place

*Strike out whichever is not applicable

(v) A candidate covered by Note 1 below Rule 6 must submit a certificate in original, with a copy thereof, from the Principal/Headmaster of the institution from where he passed the examination showing that his aggregate of marks fall within the range of marks for first or second division as prescribed by the University/Board

NOTE—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to this examination. A candidate who

intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates must however submit a certificate in the form prescribed below, from the Principal of the College/Institution concerned. They will be admitted to this examination if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of this examination

A candidate thus admitted is required to submit the proof of passing the qualifying examination by the above time limit whether he qualifies or not at the written part of this examination. If he fails to comply with this instruction, his candidature will be cancelled and he will not be entitled to know his result

The form of certificate to be produced by the candidate

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*
son/daughter* of
is expected to appear/has appeared* at
Examination conducted by
in the month of
19 , with the following subjects —

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

(Signature of Principal)

(Name of the College/Institution*)

Date

Place

*Strike out whichever is not applicable

(vi) **THREE COPIES OF PHOTOGRAPH**—A candidate must submit three passport size (5 cm × 7 cm approximately) copies of his recent photograph one each of which should be pasted on the first page of the application form and the first page of the attestation form, and the third copy should be firmly attached with the application form. Each copy of the photograph should be signed in ink on the front by the candidate

5 Candidates are warned that if an application is incompletely or wrongly filled in or is not accompanied by any one of the documents mentioned under paragraphs 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(v) and 5(vi) above without a reasonable explanation for its absence having been given, the application is liable to be rejected and no appeal against its rejection will be entertained. The documents not submitted with the application should be sent soon after the submission of the application and in any case they must reach the Commission's office [except as provided for in Note under paragraph 4(v) above] within one month after the last date for receipt of applications. Otherwise the application is liable to be rejected

Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in the documents submitted by them nor should they submit a tampered document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents an explanation regarding the discrepancy may be submitted separately

6 A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes should submit in support of his claim a certificate in original with a copy thereof in the form given below from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer of the district in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate; if both his parents are dead the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education

A candidate from the Union Territory of Delhi may submit such a certificate also from the Additional District

Magistrate or the First Class Stipendiary Magistrate or the Revenue Assistant.

The form of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India :—

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*
.....son/daughter* of of village/
town* in District/Division* of the
State/Union Territory* of belongs to the
..... Caste/Tribe* which is recognised as a
Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under—

the Scheduled Castes and Scheduled Tribes
Lists (Modification) Order, 1956*

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled
Castes Order, 1956*

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled
Tribes Order, 1959*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli)
Scheduled Castes Order, 1962*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli)
Scheduled Tribes Order, 1962*

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order,
1964.*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order,
1967.*

2. Shri/Shrimati/Kumari* and/or* his/her*
family ordinarily reside(s) in village/town* of
..... District/Division* of the State/Union
Territory* of

Signature.....

**Designation.....

(with seal of office)

State*

Place.....

Union Territory

Date.....

*Please delete the words which are not applicable.

NOTE.—The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**Officers competent to issue Caste/Tribe certificate.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/
Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commis-
sioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/
City Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate
/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

†(Not below the rank of the 1st Class Stipendiary Magis-
trate.)

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presi-
dency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-divisional Officer of the area where the candidate
and/or his family normally resides.

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development
Officer (Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands).

7. (i) A displaced person from East Pakistan seeking
remission of the prescribed fee under paragraph 3 of
Annexure I should produce a certificate, in original, together
with a copy thereof, from the Camp Commandant of the
Transit Centres of the Dandakaranya Project, or the Camp
Commandant of the Relief Camps, or the District Magistrate
of the area in which he may for the time being, be resident,
to show that he is a *bona fide* displaced person from East
Pakistan and has migrated to India on or after 1st January,
1964. He should also produce a certificate in original, from
a District Officer or a Gazetted Officer of Government or a
Member of the Parliament or State Legislature to show that
he is not in a position to pay the prescribed fee.

(ii) A repatriate of Indian origin from Ceylon seeking
remission of the prescribed fee under paragraph 3 of

Annexure I should produce, in original, together with a copy
thereof, a certificate from the High Commission for India in
Ceylon to show that he is an Indian citizen who has migrated
to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-
Ceylon Agreement of October, 1964. He should also pro-
duce a certificate, in original, from a District Officer or a
Gazetted Officer of Government or a Member of the Parliam-
ent or State Legislature to show that he is not in a position
to pay the prescribed fee.

(iii) A repatriate of Indian origin from Burma seeking
remission of the prescribed fee under paragraph 3 of
Annexure I should produce, in original, together with a copy
thereof, the identity certificate issued to him by the Embassy
of India, Rangoon, to show that he is an Indian citizen who
has migrated to India on or after 1st June, 1963, or a certi-
ficate from the District Magistrate of the area in which he
may be resident to show that he is a *bona fide* repatriate
from Burma and has migrated to India on or after 1st June,
1963. He should also produce a certificate, in original, from
a District Officer or a Gazetted Officer of Government or a
Member of the Parliament or State Legislature to show that
he is not in a position to pay the prescribed fee.

(iv) A displaced person from East Pakistan claiming age
concession under Rule 5(b)(ii) or 5(b)(iii) should produce
a certificate, in original, together with a copy thereof, from
the Camp Commandant of the Transit Centres of the Danda-
karanya Project, or the Camp Commandant of the Relief
Camps, or the District Magistrate of the area in which he
may, for the time being be resident, to show that he is a
bona fide displaced person from East Pakistan and has
migrated to India on or after 1st January, 1964.

(v) A candidate from the Union Territory of Pondicherry,
claiming age concession under Rule 5(b)(iv) should produce,
in original, together with a copy thereof, a certificate from the
Principal of the educational institution he has attended to
show that he had received education through the medium of
French at some stage.

(vi) A candidate claiming age concession as a repatriate of
Indian origin from Ceylon under Rule 5(b)(v) or 5(b)(vi)
should produce, in original, together with a copy thereof, a
certificate from the High Commission for India in Ceylon to
show that he is an Indian citizen who has migrated to India
on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon
Agreement of October, 1964.

(vii) A candidate from the Union Territory of Goa,
Daman and Diu claiming age concession under Rule 5(b)-
(vii) should produce a certificate, in original, together with a
copy thereof, from one of the following authorities in
support of his claim :—

(1) Director of Civil Administration,

(2) Administrators of the Concelhos.

(viii) A candidate who has migrated from Kenya, Uganda
and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika
and Zanzibar) claiming age concession under Rule 5(b)(viii)
should produce a certificate, in original, together with a copy
thereof from the District Magistrate of the area in which he
may, for the time being be resident to show that he is a
bona fide migrant from the countries mentioned above.

(ix) A candidate claiming age concession as a repatriate
of Indian origin from Burma under Rule 5(b)(ix) or 5(b)(x)
should produce, in original, together with a copy thereof, the
identity certificate issued to him by the Embassy of India,
Rangoon, to show that he is an Indian citizen who has
migrated to India on or after 1st June, 1963, or a certificate
from the District Magistrate of the area in which he may
be resident to show that he is a *bona fide* repatriate from
Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(x) A candidate disabled while in the Defence Services,
claiming age concession under Rule 5(b)(xi) or 5(b)(xii)
should produce, in original, together with a copy thereof, a
certificate in the form prescribed below, from the Director
General, Resettlement, Ministry of Defence, to show that he
was disabled while in the Defence Services, in operations
during hostilities with any foreign country or in a disturbed
area, and released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the candidate

Certified that Rank No..... Shri..... of Unit..... was disabled while in the Defence Services, in operations during hostilities with a foreign country/in a disturbed area* and was released as a result of such disability.

Signature

Designation

Date

*Strike out whichever is not applicable.

2. (a) A person in whose case a certificate of eligibility is required should apply to the Government of India, Ministry of Railways, (Railway Board), for issue of the required certificate of eligibility in his favour.

(b) If a certificate of eligibility is not necessary in the case of a person, he should produce an affidavit on non-judicial stamp paper sworn before a first class Magistrate in one of the following forms, whichever may be applicable to him:—

- (1) "I declare that I migrated to India from areas which now form Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been resident in India since then."
- (2) "I declare that I migrated to India from areas which now form Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been resident in India since then and I further declare that I have got myself registered as a citizen of India under Article 6 of the Constitution."
- (3) "I declare that I entered the Union Services without a certificate of eligibility before the commencement of the Constitution i.e., 26th January, 1950, and am continuing in such service since then without a break."

NOTE.—A candidate whose case is covered by item (2) above may submit the certificate of Registration as citizen of India, in original, along with a copy thereof, in lieu of an affidavit sworn before a first class Magistrate as required under sub-para (b) above.

9. THE CERTIFICATES MENTIONED IN PARAGRAPHS 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(v), 6, 7, AND 8(b) ABOVE SHOULD INVARIABLY BE SENT IN ORIGINAL (WITH COPIES THEREOF). THE COMMISSION DO NOT ACCEPT ONLY COPIES OF THESE CERTIFICATES, WHETHER ATTESTED OR OTHERWISE.

THE ORIGINALS OF THE CERTIFICATES FORWARDED IN ACCORDANCE WITH PARAGRAPHS 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(v), 6, 7, AND 8(b) ABOVE WILL BE RETURNED WHEN THE RESULT OF THE APPLICATION IS COMMUNICATED. CANDIDATES ARE ADVISED TO KEEP ATTESTED COPIES OF THEIR CERTIFICATES BEFORE SUBMITTING THEM TO THE COMMISSION. THE COMMISSION CANNOT RETURN THE CERTIFICATES EARLIER THAN THE DATE OF COMMUNICATION OF THE RESULT OF THE APPLICATION FOR WHATEVER PURPOSE THEY MAY BE REQUIRED NOR CAN THEY SUPPLY ATTESTED COPIES.

If a candidate has already submitted the Certificates required in paragraphs 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(v), 6, 7 and 8 (b) above in connection with another examination conducted by the Union Public Service Commission and if they have not yet been returned to him, he should mention the fact when submitting his application, and if possible enclose a copy of each certificate. If the certificates are not with the Commission, they should be sent with the application, irrespective of whether the candidate appeared at a previous examination conducted by the Commission or not. If a certificate cannot be submitted with the application a reasonable explanation for its absence must be given with the application.

10. The fact that an application form has been supplied on a certain date, will not be accepted as an excuse for the late submission of an application. The supply of an appli-

cation form does not *ipso facto* make the receiver eligible for admission to the examination.

11. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a fortnight from the last date of receipt of application for the examination, he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

12. Every candidate for admission to this examination will be informed, at the earliest possible date, of the result of his application. It is not, however, possible to say when the result will be communicated. But if a candidate does not receive from the Union Public Service Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination he should at once contact the Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

13. Copies of pamphlets containing rules and question papers of the examinations held in previous years are on sale with the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi-6, and may be obtained from him direct by mail orders only. These can also be obtained against cash payment (i) the Kitab Mahal 14(A) Barracks, Janpath, New Delhi and (ii) the Government of India Book Depot, 8-Hasting Street, Calcutta-1. The pamphlets are also obtainable from the agents for the Government of India publications at various mofussil towns.

14. *Communications Regarding Applications.*—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, NEW DELHI-11, AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS:—

- (1) NAME OF EXAMINATION.
- (2) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION.
- (3) ROLL NUMBER (IF COMMUNICATED TO CANDIDATE).
- (4) NAME OF CANDIDATE (IN BLOCK CAPITALS).
- (5) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

N.B.—COMMUNICATIONS NOT GIVING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

15. *Change in address.*—A CANDIDATE MUST SEE THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE REDIRECTED, IF NECESSARY. CHANGE IN ADDRESS SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PARTICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 14 ABOVE. ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY EFFORT TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES, THEY CANNOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN THE MATTER.

NOTICE

ENGINEERING SERVICES (ELECTRONIC'S)
EXAMINATION, 1969

New Delhi, the 9th November 1968

No. 1, 3/2 67-E.I.(B).—A combined competitive examination for recruitment to the following posts—

- (1) Engineer (Class I) in the Wireless Planning and Co-ordination Wing/Monitoring Organisation, Department of Communications.
- (2) Assistant Station Engineer (Class I), in the All India Radio Ministry of Information and Broadcasting.
- (3) Assistant Technical Officer in the Civil Aviation Department Ministry of Tourism and Civil Aviation.

will be held by the UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION at AHMEDABAD, ALLAHABAD, BANGALORE, BHOPAL, BOMBAY, CALCUTTA, DELHI, HYDERABAD, JAIPUR, MADRAS, SHILLONG AND TRIVANDRUM, commencing on the 19th April, 1969, in accordance with the Rules published by the Department of Communications in the Gazette of India, dated the 9th November, 1968.

THE CENTRES AND THE DATE OF COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE COMMISSION. CANDIDATES ACCEPTED FOR ADMISSION TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED AT WHAT PLACE, AT WHAT TIME AND ON WHAT DATES THEY SHOULD PRESENT THEMSELVES.

Candidates who qualify in the Examination may also be considered for other posts under the Central Government (vide para 4 of Appendix III to the aforesaid Notification of the Department of Communications) requiring similar educational qualifications.

2. The approximate number of vacancies in the various posts for which recruitment is to be made on the basis of this examination is given below :—

- | | |
|--|----|
| (1) Engineer (Class I) in the Wireless, Planning and Co-ordination Wing/Monitoring Organisation, Department of Communications..... | 1 |
| (2) Assistant Station Engineer (Class I) in the All India Radio, Ministry of Information and Broadcasting.. | 24 |
| (3) Assistant Technical Officer in the Civil Aviation Department, Ministry of Tourism and Civil Aviation..... | 5 |

The above numbers are liable to alteration.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

3. A candidate may apply for admission to the examination in respect of all or any of the above posts. He will be considered only for the post(s) he applies for.

If he wishes to be admitted as a candidate for more than one post, he need send in only one application. He will be required to pay the fee mentioned in Annexure I only once, and will not be required to pay separate fee for each post for which he applies.

4. A candidate seeking admission to the examination must apply to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11, on the prescribed form of application. The prescribed forms of application and full particulars of the examination are obtainable from the Commission by post on payment of Re. 1.00, which should be remitted by Money Order to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11 stating clearly the name of the examination in respect of which the application form is required. Postal Orders or cheques or currency notes will not be accepted in lieu of Money Orders. The forms can also be obtained on cash payment at the counter in the Commission's office. *This amount of Re. 1.00 will in no case be refunded.*

5. The completed application form *must* reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11, on or before the 23rd December, 1968 accompanied by necessary documents in accordance with the instructions to candidates contained in Annexure II. *No application received after that date will be considered.*

Applications from candidates residing abroad and in the Andaman & Nicobar and Laccadive, Minicoy & Amindivi Islands will, however, be accepted up to the 6th January, 1969. (This is applicable to persons actually residing abroad or in the Andaman & Nicobar and Laccadive, Minicoy & Amindivi Islands at the time of submission of their applications).

NOTE.—Candidates who sent their applications or requests for application forms at a late date will do so at their own risk.

6. THE PRESCRIBED FEE (SEE ANNEXURE I) SHOULD BE PAID BY INDIAN POSTAL ORDERS WITH THE APPLICATION.

AN APPLICATION NOT ACCOMPANIED BY CROSSED INDIAN POSTAL ORDERS FOR THE PRESCRIBED FEE WILL BE SUMMARILY REJECTED. THIS DOES NOT APPLY TO DISPLACED PERSONS FROM EAST PAKISTAN AND REPATRIATES OF INDIAN ORIGIN FROM BURMA AND CEYLON WHO HAVE MIGRATED TO INDIA ON OR AFTER 1ST JANUARY, 1964, 1ST JUNE, 1963 AND 1ST NOVEMBER, 1964, RESPECTIVELY, AND ARE SEEKING REMISSION OF THE PRESCRIBED FEE. VIDE PARAGRAPH 3 OF ANNEXURE I.

EACH POSTAL ORDER SHOULD INVARIABLY BE CROSSED AS SHOWN BELOW :



AND COMPLETED AS FOLLOWS :

"PAY TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AT NEW DELHI GENERAL POST OFFICE."

CANDIDATES MUST NOTE THAT IT IS NOT SAFE TO SEND POSTAL ORDERS WHICH ARE NEITHER CROSSED NOR MADE PAYABLE TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AT NEW DELHI GENERAL POST OFFICE. FULL PARTICULARS OF THE POSTAL ORDERS SHOULD BE ENTERED AGAINST COLUMN 26 OF THE APPLICATION FORM.

7. All communications in respect of an application should be addressed to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11, and should contain the following particulars :—

- (i) NAME OF EXAMINATION.
- (ii) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION.
- (iii) ROLL NUMBER (IF COMMUNICATED TO CANDIDATE).
- (iv) NAME OF CANDIDATE. (IN BLOCK CAPITALS).
- (v) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

Communications not giving these particulars may not be attended to. In all correspondence with the Union Public Service Commission concerning this examination, candidates should invariably superscribe their envelopes and correspondence with the words "Engineering Services (Electronics) Examinations, 1968".

D. R. KOHLI, Deputy Secretary,
Union Public Service Commission

ANNEXURE I

FEE

Candidates seeking admission to the examination must pay the following fee to the Commission with the completed application form :—

Rs. 48.00 (Rs. 12.00 in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes). This amount should be paid by means of CROSSED Indian Postal Orders payable to the Secretary, Union Public Service Commission. The Commission will not accept payment made otherwise.

2. Once an application has been considered by the Commission and their decision admitting a candidate to the examination communicated to him, no claim for a refund of the fee paid to the Commission will be entertained nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection. If, however, a candidate is either not admitted to the examination by the Commission, or before communicating their decision admitting him to the examination, they permit a candidate to withdraw his candidature a refund of Rs. 30.00 (Rs. 8.00 in the case of candidates belonging to

the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) will be made to him.

3. The Commission may at their discretion remit the prescribed fee where they are satisfied that the applicant is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964, or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963, or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, and is not in a position to pay the prescribed fee.

ANNEXURE II

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1. A copy each of the Notice, the Application Form and other papers relating to the examination is obtainable from the office of the Union Public Service Commission in accordance with para. 4 of the Notice. *Candidates should consult them carefully to see if they are eligible before filling in the application form or paying the prescribed fee. The conditions prescribed cannot be relaxed.*

BEFORE SUBMITTING THE APPLICATION THE CANDIDATE MUST SELECT FINALLY FROM AMONG THE CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH 1 OF THE NOTICE, THE PLACE AT WHICH HE WISHES TO APPEAR FOR THE EXAMINATION. ORDINARILY NO REQUEST FOR A CHANGE IN THE PLACE SELECTED WILL BE ENTERTAINED.

2. The application form, the attestation form and the acknowledgement card must be completed in the candidate's own handwriting. All entries/answers should be in words and not by dashes or dots. The completed application form, the attestation form and the acknowledgement card should be sent to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11, so as to reach him by the last date prescribed in the Notice.

No application received by the Commission after the date prescribed in the Notice will be accepted.

A candidate already in Government Service, whether in a permanent or temporary capacity, must submit his application through the Head of his Department or office concerned who will complete the endorsement at the end of the application form and forward it to the Commission.

Applications from all other candidates, whether in private employment or in Government owned industrial undertakings or other similar organisations, can be entertained direct. If such a candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application, even if submitted to the employer before the closing date will not be entertained.

3. Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form.

4. A candidate must send the following documents with his application:—

- (i) **CROSSED INDIAN POSTAL ORDERS** payable to the Secretary Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office for the prescribed fee. (See Annexure I).
- (ii) **CERTIFICATE OF AGE.**
- (iii) **CERTIFICATE OF CHARACTER.**
- (iv) **CERTIFICATE OF EDUCATIONAL QUALIFICATION.**
- (v) **THREE COPIES OF RECENT PASSPORT SIZE (5 CM. X 7 CM. APPROX.) PHOTOGRAPH OF THE CANDIDATE.**

Details of the documents mentioned in items (i), (ii), (iii), (iv) and (v) are given below:—

(i) *Crossed Indian Postal Orders for the prescribed fee.*—All Postal Orders should bear the signature of the issuing Post Master and a clear stamp of the issuing Post Office. All Postal Orders should be **CROSSED** and filled in as follows:—

“Pay to the Secretary, Union Public Service Commission, at New Delhi General Post Office.”

In no case will Postal Orders payable at any other Post Office be accepted. Defaced or mutilated Postal Orders will also not be accepted.

NOTE.—Candidates residing abroad at the time of submitting their applications should deposit the amount of the prescribed fee (the equivalent of Rs. 48.00, Rs. 12.00 in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) in the office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative, as the case may be, in that country who should be asked to credit the amount to the account head “XXI—Miscellaneous Department Examination fees—Receipts of the Union Public Service Commission.” The candidates should forward the receipt from that Office with the application.

(ii) *Certificate of Age.*—The date of birth ordinarily accepted by the Commission is that entered in the Matriculation Certificate or in the Secondary School Leaving Certificate (or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation) or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University. The expression “Matriculation Certificate” in this part of the instructions must be understood as including these alternative certificates.

Candidates will thus understand that the Matriculation Certificate is required in all cases as evidence of age, and it must invariably be sent to the Commission, in original, with a copy thereof, together with the application.

Sometimes the Matriculation or equivalent certificate does not show the date of birth, or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must send, in addition to the Matriculation or equivalent certificate, an original certificate, together with a copy thereof, from the Headmaster/Principal of the institution from where he passed the Matriculation or equivalent examination, showing the date of his birth or his exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with an application, the application may be rejected. Further, they are warned that if the date of birth stated in the application is inconsistent with the age shown in the Matriculation Certificate and no explanation is offered, the application may be rejected.

NOTE 1.—A candidate who holds a completed Secondary School Leaving Certificate need submit with the original a copy of only the page containing entries relating to age.

NOTE 2.—**CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED AND ACCEPTED BY THE COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO AN EXAMINATION, NO CHANGE WILL ORDINARILY BE ALLOWED AT A SUBSEQUENT EXAMINATION.**

NOTE 3.—Displaced persons, who have lost their original Matriculation Certificate in Pakistan, should obtain duplicate certificate from the University concerned. If they are unable to obtain the duplicate Matriculation Certificate from the University they should submit an extract from the University Gazette in which their results were published showing their date of birth and certified by the Registrar or the Headmaster.

(iii) *Certificate of Character.*—A candidate must submit a certificate of character, in original, together with a copy thereof, from some person in authority (e.g., Principal, Proctor, Dean, etc.) at an educational institution which he is attending or has attended for at least one year during the three years immediately preceding the date of his application.

The signatory of the certificate should give his designation in full.

NOTE 1.—A candidate who has not attended any educational institution for at least one academic year within three years immediately preceding the date of his application may submit a certificate of character, in original, with a copy thereof from a Gazetted officer in service.

NOTE 2.—Only one certificate of character is required.

(iv) *Certificate of Educational Qualification.*—A candidate must submit a certificate or diploma, in original with a copy;

thereof, showing that he has one of the qualifications prescribed in paragraph 6 of the Rules. The certificate submitted must be one issued by the authority (*i.e.*, University or other examining body) awarding the particular qualification. If such a certificate or diploma is not submitted, the candidate must explain its absence and submit such other evidence, in original as he can to support his claim to the requisite qualifications. The Commission will consider this evidence on its merits but do not bind themselves to accept it as sufficient.

NOTE 1.—A candidate who has appeared at an examination, the passing of which would render him eligible to appear at this examination, but has not been informed of the result, may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided that the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE 2.—A candidate seeking admission to the examination with the qualification mentioned in para 6(e) of the Rules must submit a certificate from the Principal/Dean of the College/Institution/University concerned, showing that he has passed/taken the M.Sc. degree examination or its equivalent with one of the special subjects mentioned therein.

(v) *Three copies of Photograph.*—A candidate must submit three passport size (5 cm. × 7 cm. approximately) copies of his recent photograph, one each of which should be pasted on the first page of the application form, and the first page of the attestation form, and the third copy should be firmly attached with the application form. Each copy of the photograph should be signed in ink on the front by the candidate.

5. Candidates are warned, that if an application is incompletely or wrongly filled in or is not accompanied by any one of the documents mentioned under paragraphs 4(ii), 4(iii), 4(iv) and 4(v) above without a reasonable explanation for its absence having been given, the application is liable to be rejected and no appeal against its rejection will be entertained. The documents not submitted with the application should be sent soon after the submission of the application, and in any case they must reach the Commission's office [except as provided for in Note 1 under paragraph 4(iv) above.] within one month after the last date for receipt of applications. Otherwise, the application is liable to be rejected.

Candidates are warned that they should *in no case* correct or alter or otherwise tamper with any entry in the documents submitted by them nor should they submit a tampered document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents, an explanation regarding the discrepancy may be submitted separately.

6. A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes should submit in support of his claim a certificate, in original, with a copy thereof, in the form given below from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other Officer of the district in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside, who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate; if both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education.

A candidate from the Union Territory of Delhi may submit such a certificate also from the Additional District Magistrate or the 1st Class Stipendiary Magistrate or the Revenue Assistant.

The form of the certificate to be produced by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India:—

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* _____
 _____ son/daughter* of _____ of village/
 _____ town* _____ in District/Division* _____
 _____ of the State/Union Territory* of _____
 _____ belongs to the _____ Caste/Tribe* _____

which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under —

the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956*¹

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956*²

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959*³

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order 1962*⁴

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962*⁵

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964*⁶

the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967*⁷

2. Shri/Shrimati/Kumari* _____ and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* _____ of _____ District/Division* of the State/Union Territory* of _____

Signature _____

**Designation _____

(with seal of Office)

State/Union Territory* _____

Place _____

Date _____

Please delete the words which are not applicable.

NOTE.—The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**Officers competent to issue Caste/Tribe certificates.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner

(†Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate.)

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands).

7. (i) A displaced person from East Pakistan seeking remission of the prescribed fee under paragraph 3 of Annexure I should produce a certificate, in original, together with a copy thereof, from the Camp Commandant of the Transit Centres of the Dandakaranya Project, or the Camp Commandant of the Relief Camps, or the District Magistrate of the area in which he may, for the time being, be resident, to show that he is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964. He should also produce a certificate, in original, from a District Officer or a Gazetted Officer of Government or a Member of the Parliament or State Legislature to show that he is not in a position to pay the prescribed fee.

(ii) A repatriate of Indian origin from Ceylon seeking remission of the prescribed fee under paragraph 3 of Annexure I, should produce in original, together with a copy thereof, a certificate from the High Commission for India in Ceylon to show that he is an Indian Citizen who has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964. He should also produce

a certificate, in original, from a District Officer or a Gazetted Officer of Government or a Member of the Parliament or State Legislature to show that he is not in a position to pay the prescribed fee.

(iii) A repatriate of Indian origin from Burma seeking remission of the prescribed fee under paragraph 3 of Annexure I should produce, in original, together with a copy thereof the identity certificate issued to him by the Embassy of India, Rangoon, to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st June, 1963, or a certificate from the District Magistrate of the area in which he may be resident to show that he is a *bona fide* repatriate from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963. He should also produce a certificate, in original, from a District Officer or a Gazetted Officer of Government or a Member of the Parliament or State Legislature to show that he is not in a position to pay the prescribed fee.

(iv) A displaced person from East Pakistan claiming age concession under paragraph 5(c)(ii) or 5(c)(iii) of the Rules should produce a certificate, in original, together with a copy thereof, from the Camp Commandant of the Transit Centre of the Dandakaranya Project, or the Camp Commandant of the Relief Camps, or the District Magistrate of the area in which he may, for the time being, be resident, to show that he is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964.

(v) A candidate from the Union Territory of Pondicherry claiming age concession under paragraph 5(c)(iv) of the Rules should produce, in original, together with a copy thereof a certificate from the Principal of the educational institution he has attended to show that he had received education through the medium of French at some stage.

(vi) A candidate claiming age concession as a repatriate of Indian origin from Ceylon under paragraph 5(c)(v) or 5(c)(vi) of the Rules should produce, in original, together with a copy thereof, a certificate from the High Commission for India in Ceylon to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vii) A candidate who has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) claiming age concession under paragraph 5(c)(vii) of the Rules should produce a certificate, in original, together with a copy thereof from the District Magistrate of the area in which he may, for the time being, be resident, to show that he is a *bona fide* migrant from the countries mentioned above.

(viii) A candidate claiming age concession as a repatriate of Indian origin from Burma under paragraph 5(c)(viii) or 5(c)(ix) of the Rules should produce, in original, together with a copy thereof, the identity certificate issued to him by the Embassy of India, Rangoon, to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st June, 1963, or a certificate from the District Magistrate of the area in which he may be resident, to show that he is a *bona fide* repatriate from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(ix) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession under paragraph 5(c)(x) or 5(c)(xi) of the Rules, should produce, in original, together with a copy thereof, a certificate in the form prescribed below from the Director General, Resettlement, Ministry of Defence, to show that he was disabled while in the Defence Services, in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the candidate.

Certified that Rank No. _____ Shri _____ of Unit _____ was disabled while in the Defence Services, in operations during hostilities with a foreign country/in a disturbed area* and was released as a result of such disability

Signature
Designation
Date

Strike out whichever is not applicable

(x) A candidate from the Union Territory of Goa, Daman and Diu claiming age concession under paragraph 5(c)(xii) of the Rules should produce a certificate, in original, together with a copy thereof, from one of the following authorities in support of his claim :—

(1) Director of Civil Administration.

(2) Administrators of the Concelhos.

8. (a) A person in whose case a certificate of eligibility is required should apply to the Government of India, Ministry of Tourism and Civil Aviation/Information and Broadcasting/Department of Communications for issue of the required certificate of eligibility in his favour.

(b) If a certificate of eligibility is not necessary in the case of a person, he should produce an affidavit on non-judicial stamp paper sworn before a first class Magistrate in one of the following forms, whichever may be applicable to him :—

(1) "I declare that I migrated to India from areas which now form Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been resident in India since then."

(2) "I declare that I migrated to India from areas which now form Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been resident in India since then, and I further declare that I have got myself registered as a citizen of India under Article 6 of the Constitution."

(3) "I declare that I entered the Union Services without a certificate of eligibility before the commencement of the Constitution i.e., 26th January, 1950, and am continuing in such service since then without a break."

NOTE—A candidate whose case is covered by item (2) above may submit the certificate of Registration as citizen of India, in original, alongwith a copy thereof, in lieu of an Affidavit sworn before a first class Magistrate as required under sub-para (b) above.

9. THE CERTIFICATES MENTIONED IN PARAGRAPHS 4(ii), 4(iii), 4(iv), 6, 7, AND 8(b) ABOVE SHOULD INVARIABLY BE SENT IN ORIGINAL (WITH COPIES THEREOF). THE COMMISSION DO NOT ACCEPT ONLY COPIES OF THESE CERTIFICATES, WHETHER ATTESTED OR OTHERWISE.

THE ORIGINALS OF THE CERTIFICATES FORWARDED IN ACCORDANCE WITH PARAGRAPHS 4(ii), 4(iii), 4(iv), 6, 7 AND 8(b) ABOVE WILL BE RETURNED WHEN THE RESULT OF THE APPLICATION IS COMMUNICATED. CANDIDATES ARE ADVISED TO KEEP ATTESTED COPIES OF THEIR CERTIFICATES BEFORE SUBMITTING THEM TO THE COMMISSION. THE COMMISSION CANNOT RETURN THE CERTIFICATES EARLIER THAN THE DATE OF COMMUNICATION OF THE RESULT OF THE APPLICATION FOR WHATEVER PURPOSE THEY MAY BE REQUIRED, NOR CAN THEY SUPPLY ATTESTED COPIES.

If a candidate has already submitted the certificates required in paragraphs 4(ii), 4(iii), 4(iv), 6, 7, and 8(b) above in connection with another examination conducted by the Union Public Service Commission and if they have not yet been returned to him, he should mention the fact when submitting his application, and if possible enclose a copy of each certificate. If the certificates are not with the Commission they should be sent with the application, irrespective of whether the candidate appeared at a previous examination conducted by the Commission or not. If a certificate cannot be submitted with the application, a reasonable explanation for its absence must be given with the application.

10. The fact that an application form has been supplied on a certain date will not be accepted as an excuse for the late submission of an application. The supply of an application form does not *ipso facto* make the receiver eligible for admission to the examination.

11. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a fortnight from the last date of receipt

of applications for the examination, he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

12. Every candidate for admission to this examination will be informed at the earliest possible date of the result of his application. It is not, however, possible to say when the result will be communicated. But if a candidate does not receive from the Union Public Service Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

13. Copies of the pamphlets containing rules and question papers of the examinations, held in previous years are on sale with the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi-6, and may be obtained from him direct by mail orders only. These can also be obtained against cash payment from (i) the Kitab Mahal, 14-A, Barracks, Janpath, New Delhi and (ii) the Government of India Book Depot, 8-Hastings Street, Calcutta-1. The pamphlets are also obtainable from the agents for the Government of India publications at various mofussil towns.

14. *Communications regarding applications*—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, NEW DELHI-11 AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS :—

- (1) NAME OF EXAMINATION.
- (2) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION.
- (3) ROLL NUMBER (IF COMMUNICATED TO CANDIDATE).
- (4) NAME OF CANDIDATE (IN BLOCK CAPITALS).
- (5) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

N.B.—COMMUNICATIONS NOT GIVING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

15. *Change in address*.—A CANDIDATE MUST SEE THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE REDIRECTED, IF NECESSARY. CHANGE IN ADDRESS SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PARTICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 14 ABOVE. ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY EFFORT TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES THEY CANNOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN THE MATTER.

Advertisement No. 45

Applications are invited for undermentioned posts. Age as on 1-1-1968 must be within the prescribed age limits but is relaxable for Government servants except where otherwise specified. Upper age limit relaxable upto 45 years for displaced persons from East Pakistan who migrated on or after 1-1-1964, and repatriates from Burma and Ceylon who migrated on or after 1-6-1963 and 1-11-1964 respectively. Upper age limit relaxable by 5 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. No relaxation for others save in exceptional circumstances and in no case beyond a limit of three years. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified. Higher initial pay may be granted to specially qualified and experienced candidates except where otherwise specified.

Particulars and application forms obtainable from Secretary, Union Public Service Commission, Post Box No. 186, New Delhi. Requests for forms must specify name of post, Advertisement number and item number and should be accompanied by self addressed unstamped envelopes for each post at least of size 23 x 10 cms., indicating thereon name of post for

which forms are required. Commission may remit fee in the case of genuinely indigent and *bona fide* displaced persons from East Pakistan who migrated on or after 1-1-1964. Separate application with separate fee required for each post. Candidates abroad may apply on plain paper if forms are not available, and deposit fee with local Indian Embassy. If required candidates must appear for personal interview. Closing date for receipt of applications with crossed INDIAN POSTAL ORDER for Rs. 8.00 (Rs. 2.00 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes), 9th December, 1968 (23rd December, 1968 for applicants from abroad and for those in the Andaman and Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands) Treasury receipts not acceptable.

Posts at S. Nos. 1, 9, 18 and ?? permanent. Posts at S. Nos. 5, 6, 10, 12 to 17, 20, 21, 24, 26 and 30 temporary but likely to be retained on permanent basis. Posts at S. Nos. 2, 11, 19, 27 and 29 temporary but likely to continue indefinitely. Posts at S. Nos. 3, 4, 7, 8, 23, 25 and 28 temporary but likely to continue.

One post each of S. Nos. 19, 20 and 23, two posts of S. No. 24 and posts at S. Nos. 4, 17, 18 and 29 reserved for Scheduled Castes candidates. One post each of S. Nos. 19 and 23 and post at S. No. 8 reserved for Scheduled Tribes candidates. Post at S. No. 25 reserved for Scheduled Castes candidate failing which for Scheduled Tribes candidate. One post of S. No. 24 reserved for Scheduled Tribes candidate failing which for Scheduled Castes candidate. If suitable candidates from reserved communities are not available, all the posts are to be treated as unreserved.

1. *One Director, National Museum, Ministry of Education. Pay.—Rs. 1800-100-2000. Age.—50 years and below. Qualifications.—Essential.—*(i) Master's degree of a recognised University in Indian History or Archaeology or Anthropology or Sanskrit or Pali or Prakrit or Persian or Arabic or Fine Arts or a combination, or equivalent. (ii) Research experience (Documentary evidence to be produced). (iii) Ten years' experience in a Museum of standing and 5 years' administrative experience in a responsible post. (iv) Knowledge of Indian antiquities, Archaeology excavation, Museums and publications, Indian arts and decorative arts. (v) Scholarly publications of some volume and variety.

2. *One Senior Programmer, Office of the Registrar General, Ministry of Home Affairs. Pay.—Rs. 700-40-1100-50/2-1250. Age.—40 years and below. Qualifications.—Essential.—*(i) Master's Degree in Statistics or Economics/Mathematics with Statistics from a recognised University or equivalent. (ii) Training in programming on Electronic Computer, preferably on IBM 1401 system. (iii) About five years' experience of operating mechanical tabulation equipment and of planning and supervising work on such equipment, including about three years' experience of writing programmes preferably on IBM 1401 system in a Government office, recognised institute or business concern of repute.

3. *One Art Executive in the Directorate of Advertising and Visual Publicity, Ministry of Information and Broadcasting. Pay.—Rs. 820-40-1100-50/2-1150. Age.—Between 30 and 45 years. Qualifications.—Essential.—*(i) Diploma of recognised Institution with commercial art as one of the subjects. (ii) Experience as Art Director of a large commercial studio or any equivalent organisation under Government.

4. *One Senior Research Officer, Perspective Planning Division, Planning Commission, New Delhi. Pay.—Rs. 700-40-1100-50/2-1250. Age.—40 years and below. Qualifications.—Essential.—*(i) Second Class Master's Degree in Economics or Statistics from a recognised University. (ii) About five years' research experience involving quantitative economic analysis, and in particular the application of input-output techniques to planning problems, in a recognised University, Research Institution or Government Department.

5. *One Junior Professor in Civil Engineering, Punjab Engineering College, Chandigarh.* Pay.—Rs. 1000-50-1250/50-1500 plus usual allowances at Punjab Government rates. Age.—45 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Post-graduate degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) About ten years of professional, teaching and/or research experience including at least five years' experience of teaching Degree classes.

6. *One Junior Professor (Mechanical), Punjab Engineering College, Chandigarh.* Pay.—Rs. 1000-50-1250/50-1500 plus usual allowances at Punjab Government rates. Age.—45 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Post-graduate degree in Mechanical Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) About eight years' professional, teaching, research, design experience, including at least five years teaching experience of degree classes.

7. *One Senior Lecturer in Foods and Nutrition, Home Science College, Chandigarh.* Pay.—Rs. 400-30-640/40-800. Age.—40 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Second class Master's degree in Home Science or Bio-Chemistry with specialisation in Foods and Nutrition from a recognised University or equivalent. (ii) Two years' teaching experience.

8. *One Irrigation Engineer at Central State Farm, Jullundur, (Punjab), Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation.* Pay.—Rs. 700-40-1100-50/2-1250. Age.—40 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Degree in Mechanical/Civil Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) At least five years' experience in construction, operation and maintenance of tubewells.

9. *One Harbour Master, Andaman and Nicobar Islands, Ministry of Transport and Shipping.* Pay.—Rs. 1100-50-1400-50/2-1500 plus certain concessions admissible to candidates posted at Andaman and Nicobar Islands. Age.—Preferably below 50 years. *Qualifications.—Essential.—*(i) Certificate of competency as Master of a foreign going ship. (ii) Experience of command of a home trade ship or as Mate of a foreign going ship. (iii) Experience of shipping and running an office.

10. *One Senior Scientific Officer, Grade II (Statistician), Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation.* Pay.—Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950. Age.—45 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) At least Second Class Master's Degree in Statistics from a recognised University or post-graduate Diploma in Statistics obtained after at least two years' training from a recognised Institute. (ii) About three years' experience in the application of Statistics to Psychometrics or Psychological research.

11. *One Assistant Development Officer (Metallurgy), Directorate General of Technical Development, Ministry of Industrial Development and Company Affairs.* Pay.—Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950. Age.—30 years and below. *Qualifications.—Essential.—*Degree from a recognised University/Institute in Metallurgical Engineering, or equivalent.

12. *One Assistant Professor in Instrument Engineering at E.M.E. School, Baroda, Ministry of Defence.* Pay.—Rs. 700-40-1100-50/2-1250. Age.—40 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Degree in Electrical/Electronics Engineering of a recognised University or equivalent, with instrumentation as one of the subjects at Degree/Post-graduate stage in the same field. (ii) About five years' teaching experience in institutions of University standard at Degree level.

13. *One Lecturer in Automobile Engineering, E.M.E. School, Baroda, Ministry of Defence.* Pay.—Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950. Age.—35 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Degree in Mechanical Engineering with Automotive Engineering as one of the subjects from a recognised University or equivalent. (ii) About two years' teaching experience

in an institution of University standard at degree level.

14. *One Assistant Technical Engineer Officer (Radiology), Armed Forces Medical Stores Depot, Ministry of Defence.* Pay.—Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950. Age.—35 years and below. *Qualifications.—Essential.—*Degree in Electrical Engineering from a recognised University or Institution or equivalent, either (i) with Electronics as one of the subjects; or (ii) with practical experience in Electronics equipment. NOTE: Candidates who have applied in response to the earlier advertisement for the post published on 1-6-1968 need not apply again.

15. *Two Senior Scientific Officers, Grade II, for Directorate of Psychological Research, Research and Development Organisation, Ministry of Defence.* Pay.—Rs. 400-40-800-50-950. Age.—Preferably below 30 years. *Qualifications.—Essential.—*(i) Second Class Master's Degree in Psychology of a recognised University or equivalent. (ii) About 2 years' research or teaching experience in Psychology.

16. *One Junior Scientific Officer for C.I.T. & C., Kanpur, Department of Defence Production, Ministry of Defence.* Pay.—Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900. Age.—Preferably below 30 years. *Qualifications.—Essential.—*Second Class Degree in Textile Technology of a recognised University or equivalent.

17. *One Assistant Professor in Mechanical Engineering, Apprentice Training School Bhopal, Ministry of Defence.* Pay.—Rs. 700-40-1100-50/2-1250. Age.—40 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Degree in Mechanical Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) About five years' teaching experience in institution of University standard at degree level.

18. *One Lecturer (Senior Scale) in Mechanical Engineering, Delhi College of Engineering.* Pay.—Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950. Age.—40 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Same as (i) in item 17 above. (ii) About one year's professional or research and teaching experience.

19. *Five Lecturers in Mechanical Engineering, Boys' Polytechnic, Delhi Administration.* Pay.—Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950. Age.—40 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Same as (i) in item 17 above. (ii) About one year's professional or teaching experience.

20. *Two Lecturers in Applied Science in the Directorate of Marine Engineering Training, Ministry of Transport and Shipping.* Pay.—Rs. 590-30-830-35-900. Age.—40 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Same as (i) in item 17 above. (ii) Either two years practical workshop experience (not in Sales Department) in any engineering firm of repute or two years teaching experience in Mechanical Engineering with some practical experience or combination of teaching and workshop experience totalling to two years.

21. *One Executive Engineer (Mechanical), Development Advisers Organisation, Ministry of Transport and Shipping (Transport Wing).* Pay.—Rs. 700-40-1100-50/2-1250. Age.—40 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Same as (i) in item 17 above. (ii) About 5 years' experience in a reputed workshop preferably engaged in the manufacture and/or repairs of marine engines and auxiliary machinery. OR (i) First Class B.O.T. or M.O.T. certificate. (ii) About 3 years' experience in a large Marine or Mechanical Workshop in a responsible position.

22. *One Deputy Administrative Officer, Delhi College of Engineering, Delhi, Delhi Administration.* Pay.—Rs. 590-30-830-35-900. Age.—40 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) Seven years experience

including 4 years experience in supervisory capacity in Government Institution.

23. *Three Translators (Russian/English), Ministry of Defence.* Pay.—Rs. 325-15-475-EB-20-575. Age.—45 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Same as (i) in item 22 above. (ii) Diploma or High Proficiency Certificate in Russian Language from a recognised Institute or equivalent. (iii) About two years' experience of teaching Russian or translation/interpretation work from Russian to English and vice-versa.

24. *Three Managers, Milk Collection and Chilling Centre, Delhi Milk Scheme.* Pay.—Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900. Age.—35 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Degree or Diploma in Dairying of a recognised University/Institution; OR Master's degree in Chemistry or Chemical Technology with specialised training in Dairying; OR Degree or diploma in Animal Husbandry or Agriculture with specialised training in Dairying. (ii) About two years' experience in a large Dairy Plant treating Milk and Manufacturing Milk Products.

25. *One Research Assistant (Geography), Commission for Scientific and Technical Terminology, Ministry of Education.* Pay.—Rs. 325-15-475-EB-20-575. Age.—35 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Master's Degree in Geography or equivalent with sound knowledge of Hindi and English. (ii) Experience of terminological, lexicographical and literary journalistic work involving use of Hindi.

26. *One Research Officer, Legislature Department, Government of Goa, Daman and Diu, Panaji.* Pay.—Rs. 350-25-575. Age.—35 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Degree in Law of a recognised University or equivalent. (ii) Degree/Diploma in Library Science of a recognised University/Institution. (iii) About 2 years' experience of working in a library of standing.

27. *One Consultant in Cardiac Surgery in Supertime Grade I of the Central Health Service Class I, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development.* Pay.—1800-100-2000-125-2250 plus N.P.A. @ Rs. 600/- p.m. Age.—50 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) A recognised medical qualification included in the first or the second schedule or Part II of the third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in part II of the third schedule should also fulfil the conditions stipulated in Section 13(3) of the I.M.C. Act, 1956. (ii) Post-graduate qualifications in Surgery, e.g. M.S., F.R.C.S. F.A.C.S. with Cardiac Surgery as a special subject, or equivalent. (iii) 16 years' standing in the profession. (iv) Extensive practical and administrative experience in the field of medical relief/medical research/medical education.

28. *One Assistant Professor in Pathology, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development, Specialists' Grade of Central Health Service Class I.* Pay.—Rs. 600-40-100-EB-50-1300 plus N.P.A. @ 50% of pay subject to a maximum of Rs. 600/ p.m. and a special pay of Rs. 100/- p.m. Age.—45 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Same as (i) in item 27 above. (ii) Post-graduate degree qualification, e.g. M.D. (Path.), M.D. (Path. & Bact.), M.Sc. (Path.), M.Sc. (Path. & Bact.), Ph.D. (Path. & Bact.), D.Sc. (Path. & Bact.), or equivalent. (iii) At least three years' experience as Lecturer or an equivalent teaching post in a medical college/teaching institution after the requisite post-graduate qualification.

29. *Two Principal Civil Hydrographic Officers, Indian Navy, Ministry of Defence.* Pay.—Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950. Age.—35 years and below. *Qualifications.—Essential.—*(i) Degree in Engineering, or at least a Second class Master's degree in Mathematics or Physics or Geology or Geography, or equivalent. (ii) About 5 years' experience of survey work/map or chart compilation.

30. *One Director, Central Statistical Organisation, Cabinet Secretariat.* Pay.—Rs. 2500-125/2-2750. Age.—Preferably below 50 years. *Qualifications.—Essential.—*A natural or social Scientist with a distinguished record of statistical work involving the handling of statistical observations and estimates and assessment of the validity of statistical information and administrative experience with qualifications as indicated below:—(a) Doctorate based on work in any branch of theoretical or applied Statistics; (b) Experience of investigations pertaining to economic planning and national development.

CORRIGENDUM

Three Family Planning Officers in G.D.O. Grade I of Central Health Service Class I (Deputation Posts). Reference item 20 of Commission's advertisement No. 39 published on 28-9-1968. It is notified for general information that the number of posts has since increased from three to four. The additional post is reserved for Scheduled Castes candidate, if such a suitable candidate is available, otherwise to be treated as unreserved. Other conditions remain unchanged. Closing date for receipt of applications extended to 2-12-1968 (16-12-1968 for applicants from abroad and for those in the Andaman and Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Those who have applied in response to Commission's earlier advertisement need not apply again.

SPECIAL CLASS RAILWAY APPRENTICES' EXAMINATION, MAY, 1969.

The Union Public Service Commission will hold at AHMEDABAD, ALLAHABAD, BANGALORE, BHOPAL, BOMBAY, CALCUTTA, CUTTACK, DELHI, HYDERBAD, JAIPUR, MADRAS, NAGPUR, PATIALA, PATNA, SHILLONG, and TRIVANDRUM an examination commencing on 8th May, 1969, for selection of Special Class Apprentices for Indian Railway Service of Mechanical Engineers. *AGE LIMITS:* Candidates must have been born not earlier than 2nd January, 1950 and not later than 1st January, 1953. Upper age limit relaxable in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and certain other categories. *QUALIFICATIONS:* Candidates must have passed in first or second division the Intermediate or equivalent examination with Mathematics and either Physics or Chemistry or possess one of the alternative qualifications prescribed in the Rules. Full particulars and application forms obtainable from Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11, by remitting Re. 1.00 by money order or on cash payment at counter in the Commission's office. *Candidates must clearly state on money order coupons "Special Class Railway Apprentices' Examination, 1969" and also give their names and full postal addresses in block letters.* Postal orders or cheques or currency notes not acceptable in lieu of money orders. Completed applications must reach Union Public Service Commission by 6th January, 1969 (20th January, 1969 for candidates residing abroad and in the Andaman and Nicobar and Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands).

ENGINEERING SERVICES (ELECTRONICS) EXAMINATION, 1969.

The Union Public Service Commission will hold a combined competitive examination at AHMEDABAD, ALLAHABAD, BANGALORE, BHOPAL, BOMBAY, CALCUTTA, DELHI, HYDERABAD, JAIPUR, MADRAS, SHILLONG and TRIVANDRUM commencing on 19th April, 1969 for recruitment of: (i) Engineer (Class I) in the Wireless Planning and Co-ordination Wing/Monitoring Organisation, Department of Communications, (ii) Assistant Station Engineer (Class I) in the All India Radio, Ministry of Information and Broadcasting, (iii) Assistant Technical Officer in the Civil Aviation Department, Ministry of Tourism

and Civil Aviation. *AGE LIMITS*: on 1-8-1969: 20-25 years. Upper age limit relaxable in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and certain other categories. *QUALIFICATIONS*: Degree in Engineering or pass in Section A and B of A.M.I.E. (India). M.Sc. degree or its equivalent with Wireless Communication, Electronics, Radio Physics, or Radio Engineering as special subject, or pass in Graduate Membership Examination of Institution of Tele-Communication Engineers (India) or certain other qualifications recognised for the purpose. Full particulars and application forms obtainable from Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11, by remitting Re. 1.00 by money order or on cash payment at counter in the Commission's office. *Candidates must clearly*

state on money order coupons "Engineering Services (Electronics) Examination, 1969" and also give their names and full postal addresses in block letters. Postal orders or cheques or currency notes not acceptable in lieu of money orders. Completed applications must reach Union Public Service Commission by 23rd December, 1968 (6th January, 1969 for candidates residing abroad and in Andaman and Nicobar and Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands).

RAJENDRA LAL
Secretary,
Union Public Service Commission

